द्वितीय माला, खंड ५०—अंक ४

शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१
२८ माघ, १८८२ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५० में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

१ रुपया (देश में) ४ शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५०—अंक १ से १०—१४ से २७ फरवरी, १९६१/२५ माघ से ८ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक १—मंगलवार, १४ फरवरी, १९६१/२५ माघ, १८८२ (शक)

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
निधन संबंधी उल्लेख	१
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया	२—७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	७—८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८—९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०—६१	९
सदस्य द्वारा पद त्याग	९
प्रसूति लाभ विधेयक	१०
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	
बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	१०
दैनिक संक्षेपिका	११—१३
अंक २—बुधवार, १५ फरवरी, १९६१/माघ २६, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ और २३	१५—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९ से २२ और २४ से ४२	३७—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४५ और ४७ से ५७	५२—८०
स्थगन प्रस्ताव	
कुछ बैंकों को शोध-विलम्ब-काल की मंजूरी दी जाने से उत्पन्न स्थिति	८०—८२
कांगो की स्थिति के बारे में वक्तव्य	८२—८६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८७—९१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०—६१	९१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	९१—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में शुद्धि	९३
रेलवे आय-व्ययक (१९६१—६२)—उपस्थापित	९४—१२०
दैनिक संक्षेपिका	१२१—१२८

अंक ३—गुरुवार, १६ फरवरी १९६१/२७ माघ, १८८२ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४६, ४८ से ५५ और ५७ . १२९—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ५६ और ५८ से ८२ . . १५५—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ से १४८ और १५० से १६३ . १६७—२२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के उत्तर में शुद्धि . . . २२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२१-२२

प्राक्कलन समिति—

सौवां प्रतिवेदन २२३

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड २२३

सभा का कार्य २२४

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . . . २२४

विचार प्रस्ताव . . . . २२४—६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छियत्तरवां प्रतिवेदन २६४

कार्य मंत्रणा समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन २६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . २६६—७३

अंक ४—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१/२८ माघ, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४ से ९३ . . . . २७५—३०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ और ९४ से १४० . . . ३०१—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ से २५१ . . . ३२४—६२

दिनांक १६-११-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर में शुद्धि . ३६२

स्थगत प्रस्तावों के बारे में ३६२-६३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६३-६४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पांचवां प्रतिवेदन ३६४

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . ३६४

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर में शुद्धि	३६५
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकसठवां प्रतिवेदन . .	३६५
सभा का कार्य . . .	३६५—६६
समिति का निर्वाचन—	
मानव विज्ञान के लिये केन्द्रीय परामर्श बोर्ड	३६६
सभा के कार्य के बारे में	३६६
द्विसदस्यीय निर्वाचिन क्षेत्र (समापन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	३६६—८७
खंड २ से ८	३६६—८७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियत्तरवां प्रतिवेदन	३८७—८८
कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प—	
अस्वीकृत	३८८—९४
राजनैतिक प्रचार के लिये धार्मिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध सम्बन्धी संकल्प	३९५—४०६
दैनिक संक्षेपिका	४०७

अंक ५—सोमवार, २० फरवरी, १९६१/१ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १५४ और १५७	४१५—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४१, १५५, १५६, और १५८ से १६७	४४२—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ से २८८	४४८—६४
निधन सम्बन्धी उल्लेख	४६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४६४
प्रक्कलन समिति—	४६५
एकसौ छै वां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश में कोयले और कोक की अत्यधिक कमी	४६५—६८
समिति के लिये निर्वाचन —	
राजघाट समाधि समिति	४६८
द्विसदस्यीय निर्वाचिन-क्षेत्र (समापन) विधेयक, १९६०—	

विषय	पृष्ठ
खण्ड ३, ६ और अधिनियम सूत्र	४६८
पारित करने का प्रस्ताव	४६९—७४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	४७४—५१८
दैनिक संक्षेपिका . . .	५१९—२२

अंक ६—मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१/२ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १७१ और १७४ से १८२	५२३—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७३, १८३ से २०६	५४९—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २८९ से ३५४	५६५—९३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	५९३—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	५९४—९७
रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन के बारे में याचिका .	५९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
"हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड", दिल्ली का बन्द होना .	५९७
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—पुरःस्थापित .	५९८
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया . . .	५९८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधयक—पुरःस्थापित	५९८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया	५९९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५९९—६३९
दैनिक संक्षेपिका . . .	६४०—४७

अंक ७—बुधवार, २२ फरवरी, १९६१/३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०७ से २१२, २१४, २१६ और २१८ .	६४७—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१३, २१५, २१७, २१९ से २५० .	६७०—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५५ से ३५८ और ३६० से ४१५ .	६८७—७१३
स्थगन प्रस्ताव—	
चीनी आक्रमण का कथित खतरा . . .	७१४

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७१४—१७
प्राक्कलन समिति—	
एकसौ तीनवां प्रतिवेदन	७१७
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	७१७—५९
दैनिक संक्षेपिका . . .	७६०—६७

अंक ८—गुरुवार, २३ फरवरी, १९६१/४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५१, २६३, २५२ से २५९, और २६८ .	७७१—९४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . .	७९४—९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६२, २६४ से २६७ और २६९ से २८०	७९६—८०६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४७० .	८०६—३२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	८३२
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	८३३
रेल रोड पुल के निर्माण के बारे में याचिका . . .	८३३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	८३३—६१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१	८६१—६८
दैनिक संक्षेपिका	८६९—७३

अंक ९—शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१ / ५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २८१ से २८९, २९१, २९२, २९४ और २९६	८७५—९८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९०, २९३, २९५ और २९७ से ३१७	८९८—९१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ से ५४४	९१०—४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९४६
लोक लेखा समिति—	
तेतीसवां प्रतिवेदन .	९४६
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्तरवां प्रतिवेदन	९४६

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य . .	६४७
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	४७–४८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१ . .	६४८—७४
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन) .	९७४
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का—पुर:स्थापित .	९७४
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१-क का रखा जाना) श्री तंगामणि का—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	९७४—७८
सदस्य की गिरफ्तारी	९८१
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) श्री अजित सिंह सरहदी का—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	९८२
परिचालन करने का संशोधन—स्वीकृत हुआ . .	९८२—८८
ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के सम्भरण का अन्त विधेयक—	
श्री अरविन्द घोषाल का—	
विचार करने का प्रस्ताव	९८८
दैनिक संक्षेपिका . .	९८९—९४

अंक १०, सोमवार, २७ फरवरी, १९६१/८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख	९९५
दैनिक संक्षेपिका .	९९६

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—2079 (Ai) LSD—27-3-61—125

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१

२८ माघ, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जासूसी गिरोह

+

†*८४. श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री सम्पत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० अ० मेहदी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अमजद अली :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री गोरे :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री अजितसिंह सरहदी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

†मूल अंग्रेजी में

1940 (Ai) LSD.—1.

श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नलदुर्गकर :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथपाई :
श्री घनगर :
श्री दामानी :
श्री ब० च० मलिक :
श्री कालिका सिंह :
श्री पहाड़िया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में तीन जासूसी गिरोहों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) अभी तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ;

(घ) वे व्यक्ति किस किस मंत्रालय से सम्बन्ध रखते हैं ;

(ङ) यदि कोई कागज़ात लापता थे तो क्या वे उन व्यक्तियों से बरामद हो गये हैं ; और

(च) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोक थाम के लिये क्या क्या विशेष कार्यवाही की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) से (च). किन्हीं विदेशी राजदूतावास कर्मचारियों और एक विदेशी फर्म को गोपनीय कागजात में निहित जानकारी बता देने के सम्बन्ध में हाल ही में चार मामले ध्यान में आये हैं। इस सम्बध में आठ व्यक्ति पकड़े गये हैं जिन में से ६ व्यक्ति योजना आयोग, वैदेशिक कार्य मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय के कनिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं। प्रतीत होता है कि कोई भी कागजात लापता नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं ताकि इस प्रकार से गोपनीय जानकारी प्रकट न हो सके।

श्री अ० म० तारिक : जैसा वजीर दाखिला ने फरमाया है, कोई पेपर गायब नहीं हुआ, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों पर जब मुकदमे चल रहे हैं और कोई पेपर गायब नहीं हुआ है तो असली जुर्म की नवैयत क्या है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गो० ब० पन्त : कुछ लोगों ने, जो पकड़े गये हैं, जो सीक्रेट कागजात थे उन की नकलें दूसरे लोगों को दे दी हैं ; और बाजे मौकों पर जो इत्तला उन में थी उस को उन्होंने और तरह पर उन तक पहुंचा दिया ।

श्री अ० म० तारिक : चूंकि इस से पेश्तर भी एक या दो मौकों पर ऐसे वाकयात हुए जब कि हमारी वजारतों की जरूरी और खफिया फाइलें चोरी हुईं, इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या होम मिमिनिस्ट्री ने या हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी कार्रवाई की जिस से कि वजारतों के अन्दर ऐसी फाइलों को महफूज रखने का कोई इन्तजाम हो सके, और अगर नहीं है तो क्या आइन्दा करने के लिये कोई चीज पेश नजर है ?

श्री गो० ब० पन्त : इस के लिये खास तौर पर कायदे बनाये गये हैं ; और उन कायदों के मुताबिक अमल किया जाय, इस की ज्यादा ताकीद की गई है । अगर उन कायदों के मुताबिक पूरी तौर पर अमल किया जाय तो यह उम्मीद है कि किसी को भी इस तरह से इस किस्म की इत्तलात देने का मौका नहीं होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार यह बता सकती है कि किस किस विदेशी राजदूतावास और फर्म ने उस प्रकार से भारत सरकार के मंत्रालयों के पदाधिकारियों से गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का यत्न किया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : इस प्रकार से तो कोई भी पदाधिकारी अन्तर्गस्त नहीं है । जो व्यक्ति इस संबंध में अपराधी पाये गये हैं वे अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन कौन से विदेशी राजदूतावास या फर्म हैं जो कि इस अपराधपूर्ण ढंग से जानकारी प्राप्त करने का यत्न करती रही हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे, मैं उस फर्म का नाम नहीं बता सकता । वह एक विदेशी फर्म है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : कुछ राजदूतावास भी तो हैं ?

†**श्री त्यागी** : उस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मामलों के बारे में अभी जांच की जा रही है । जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री त्यागी** : क्या भारत सरकार के उन अन्तर्गस्त कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है और यदि हां, तो उन के विरुद्ध वास्तव में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त**: इन चार मामलों में से २ के बारे में जांच कार्य पूरा हो गया है । चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरूद्ध कर दिया गया है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : राजदूतावासों के नाम दिये जा सकते हैं ;

†**श्री हेम बरुआ** : एक औचित्य प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है जिस में देश की सुरक्षा अन्तर्गस्त है । माननीय मंत्री का कहना है कि जांच का कार्य चल रहा है और इस जांच कार्य के बाद इन व्यक्तियों को दोषमुक्त भी किया जा सकता है । परन्तु क्या उस समय भी सभा सदस्यों को वह जानकारी बतायी जायेगी या नहीं ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं समझता हूं कि सभा और माननीय सदस्य मुझे कृपया यह जानकारी देने से क्षमा करेंगे क्योंकि मैं समझता हूं कि यह जानकारी लोक हित में नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने एक औचित्य प्रश्न उठाया है । परन्तु माननीय मंत्री का यह मत है कि यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है । सामान्यतया हमें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । विशेषतया ऐसे मामले में जहां एक व्यक्ति पर दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाया गया है, हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि यह एक प्रथम दृष्टया-वाद मामला है । अन्त में हो सकता है कि वे दोष मुक्त घोषित कर दिये जायें और सारा मामला ही झूठा सिद्ध हो जाये । क्या हमें अपने मंत्रियों पर इतना विश्वास नहीं है और ऐसे मौकों पर उन्हें सभा का विश्वास प्राप्त करने की अनुमति दे सके । जब राजदूतावासों के संबंध में जांच की जा रही है तो वह मामला ऐसा भी हो सकता है और खतरनाक भी । आरोप सच भी हो सकते हैं और झूठ भी । अतः मैं यह बात माननीय मंत्री पर छोड़ता हूं कि वे स्वयं निर्णय कर लें कि क्या वे इस मौके पर यह जानकारी देना चाहते हैं या नहीं । माननीय मंत्री का यह कहना है कि यदि यह आरोप सच हुआ तो वे बाद में किसी और अवसर पर यह जानकारी दे देंगे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : आरोप हमारे अपने कर्मचारियों के विरुद्ध हैं और माननीय मंत्री ने बताया है कि उन के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । राजदूतावासों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है और हम उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते । हम केवल उन राजदूतावासों के नाम जानना चाहते हैं ; जो कि इस प्रकार से गुप्त जानकारी प्राप्त करते रहे हैं ;

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मैं ने यह कहा है कि कुल चार मामले हैं । उन में से दो के सम्बन्ध में चार सरकारी कर्मचारियों को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध कर दिया गया है । शेष दो मामलों के संबंध में जांच कार्य अभी चल रहा है । इस संबंध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जिन दो मामलों के सम्बन्ध में हमने अपने कर्मचारियों को निरुद्ध कर दिया है, उन मामलों से संबंध रखने वाले राजदूतावासों के प्रतिनिधियों या कनिष्ठ पदाधिकारियों को उन के देश वापिस भेज दिया गया है । मैं समझता हूं कि यह मामला बड़ा नाजुक है । हो सकता है कि इन राजदूतावासों को स्वयं भी इस बारे में कुछ ज्ञान न हो ।

†**श्री वाजपेयी** : उन्हें इस बारे में ज्ञान अवश्य होगा ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं नहीं समझता कि उन्हें ज्ञान होगा ।

†**श्री वाजपेयी** : तो क्या इस से यह तात्पर्य है कि ये कर्मचारी अपनी इच्छा से ही ऐसा करते रहे हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : नहीं, वे अपनी इच्छा से तो नहीं करते रहे हैं ; मैं तो यह जानता हूं कि हमारे गुप्त वार्ता विभाग ने इस बारे में बड़ी जांच की है, परन्तु उस सरकार को

†मूल अंग्रेजी में

कुछ भी पता नहीं है । संभव है कि ऐसा ही हो। मैं किसी भी राजदूतावास को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा ।

†**श्री त्यागी** : क्या उन राजदूतावासों के वे कनिष्ठ कर्मचारी भारतीय राष्ट्रजन थे या विदेशी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : वे विदेशी थे और उन्हें इस देश से वापिस भेज दिया गया है ।

†**श्री रंगा** : इस बात के अतिरिक्त कि क्या इन राजदूतावासों और उन के कर्मचारियों के विरूद्ध गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस किस देश के बारे में यह जानकारी प्रकट की जाती रही है और किन के सम्बन्ध में सरकार ने यह कार्यवाही की है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जिन देशों के बारे में जानकारी प्रकट की गयी है, उनका सम्बन्ध उन राजदूतावासों से नहीं है जो कि जानकारी प्राप्त करते रहे हैं ;

†**श्री रंगा** : हम यहां पर उन राजदूतावासों के सम्बन्ध में नहीं जानना चाहते । यह एक अलग प्रश्न है कि वे राजदूतावास जानकारी प्राप्त करने के जिम्मेवार हैं या नहीं ; परन्तु हम यहां पर यह जानना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों अथवा राजदूतावासों के कर्मचारियों द्वारा जो जानकारी देने का यत्न किया गया है वह किस किस देश के बारे में जानकारी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : संभव है कि जिन कागजात में से जानकारी प्रकट की गयी है उनका सम्बन्ध किसी विदेश से न हो कर हमारे देश के मामलों से ही हो । संभव है कि कुछ मामलों में उनका संबंध अन्य देशों से भी हो । परन्तु उसका ब्योरा मैं नहीं दे सकता ।

†**श्री गोरे** : यद्यपि माननीय मंत्री जानकारी देने से इन्कार कर रहे हैं तथापि कुछ जानकारी तो पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है और कुछ देशों का नाम भी छपा है। क्या यह उचित है कि इस सभा को वह जानकारी देने से इनकार किया जा रहा है, जो कि उधर समाचार पत्रों में प्रकट हो रही है ? यदि जानकारी गलत हुई तो उन देशों की प्रतिष्ठा को कितना धक्का लगेगा ? अतः माननीय मंत्री हमें यह बता क्यों नहीं देते कि क्या ठीक है और उन देशों के क्या क्या नाम हैं ?

†**श्री रंगा** : और इस बारे में सम्पादकीय भी प्रकाशित हो चुके हैं।

†**श्री गोरे** : परन्तु इस सभा को जानकारी नहीं दी जा रही है ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी जानकारी प्रैस को नहीं दी गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्यतया जो कुछ भी होता है, वह जनता के बीच में होता है । उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो चाहे गृह-कार्य मंत्री उस बारे में जानकारी न भी दें, तो भी प्रैस संवाददाता स्वयमेव वह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वे इधर उधर से पूछ ताछ करते हैं और प्रैस में वह खबर आ जाती है । समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों और सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रामाणिक खबरों में अंतर होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा निवेदन यह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रैस में ऐसे समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, सरकार को इस बारे में प्रामाणिक बयान देना चाहिये। संभव है कि प्रैस का समाचार सत्य न हो, और उसका उस देश के बारे में विपरीत प्रभाव हो सकता है। इसलिये सरकार को इस बारे में प्रामाणिक बयान अवश्य देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह भी अनुभव करेंगे कि सरकार एक दम प्रैस को यह नहीं बता सकती कि इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है। सरकार अभी जांच कर रही है।

†**श्री त्यागी** : इतनी जानकारी तो दी जा सकती है कि जिन राजदूतावासों के कर्मचारियों को भेज दिया गया है, उन राजदूतावासों के क्या क्या नाम हैं। इस छोटी सी जानकारी का कुछ भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।

†**श्री गो० ब० पन्त** : उसी प्रश्न को बार बार पूछने का यह बड़ा अजीब तरीका है !

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उन्हें किस किस देश को वापिस भेजा गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि उन राजदूतावासों के नाम बताने में कोई हानि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय सदस्य इस प्रश्न में इतनी अधिक रुचि ले रहे हैं; मैं नहीं समझता कि राजदूतावासों के नाम बताने में कोई गलती है।

†**श्री त्यागी** : यह तो तथ्य संबंधी जानकारी है।

†**श्री गो० ब० पन्त** : यदि उन राजदूतावासों के नाम बता दिये गये तो, जानकारी देने में कठिनाइयों के बारे में मैं अब तक जो कुछ भी कहता रहा वह सभी व्यर्थ हो जायेगा, परन्तु यदि आप आदेश देते हैं तो . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : बस इतना काफी हो चुका है। अब अगला प्रश्न।

सरकारी दफ्तरों में कार्य का समय

†*८५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी दफ्तरों के कार्य के समय को बदलने या कार्य-घण्टों को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) इस प्रकार की कोई भी प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उच्च न्यायालयों और इन मंत्रालयों से संबंधित कुछ अन्य दफ्तरों के कार्य का समय तथा छुट्टियों के बारे में कुछ प्रस्थापनायें आयी थीं ; क्या उन दफ्तरों के कार्य समय के सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त** : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सरकारी आदेशों के अधीन नहीं चलते । सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश केवल सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, पिछले दिनों समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था कि गवर्नमेंट यह विचार कर रही है कि महीने में दो शनिवारों को छुट्टी हो और प्रति दिन एक घंटा काम बढ़ा दिया जाए । क्या इस पर कभी विचार किया गया था, या विचार ही नहीं किया गया था ?

श्री गो० ब० पन्त : इस पर विचार हुआ था, लेकिन यही रखा गया कि जो समय इस वक्त है वही रहे, मगर दो शनीचरों के बदले एक शनीचर को छुट्टी हो ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सरकार ने किन परिस्थितियों के अधीन वेतन आयोग द्वारा की गयी इस सिफ़ारिश को बदल दिया है कि एक महीने में दो शनिवारों को छुट्टी हो ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : सरकार ने यह अनुभव किया है कि यदि उन्हें केवल एक ही शनिवार की छुट्टी दी जाये तो कर्मचारी अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्मचारियों को चार आधे शनिवारों के स्थान पर अब तीन शनिवारों को काम करना पड़ता है तो क्या कोई ऐसा प्रबन्ध है जिस से अतिरिक्त काम करने के बदले कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की जा सके ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ नहीं सका, परन्तु यह सच है कि पहले दफ्तर प्रति शनिवार को आधे दिन के लिये बन्द रहते थे और अब उन्हें तीन शनिवारों को भी अन्य दिनों के समान ही काम करना पड़ता है ।

†**श्री तंगामणि** : तो इस से यह तात्पर्य है कि अब उन्हें एक दिन के लिये अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है जिस के बारे में वेतन आयोग ने सिफ़ारिश नहीं की थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस क्षतिपूर्ति के लिये कोई छुट्टी बढ़ाई जा रही है या कोई और प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं समझता हूं कि छुट्टियों आदि के बारे में कुछ रियायतें दी गई हैं, परन्तु मैं उन का ब्योरा इस समय नहीं बता सकता और न ही मैं यह कह सकता हूं कि वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये दो शनिवारों की छुट्टियों में से एक के लिये क्षतिपूर्ति के बारे में कोई व्यवस्था की गई है ।

†**श्री दी० च० शर्मा** : कुछ समय पहले यह कहा जा रहा था कि यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिये दफ्तर के समय बदल दिये जायें । क्या इस सम्बन्ध में कुछ किया गया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : यह अनुभव किया गया है कि यह प्रबन्ध सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के लिये बड़ा असुविधाजनक होगा । उन के बच्चों ने विशेष समय पर स्कूल जाना होता है और उन के लिये भोजन आदि का भी प्रबन्ध करना पड़ता है और अपना कार्यक्रम उस के अनुसार बनाना पड़ता है । इस के अतिरिक्त यह भी विचार किया गया है कि यदि अलग अलग दफ्तरों के अलग अलग समय रखे गये तो उस से दफ्तरों के कार्य को शीघ्रता से निपटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : क्या सरकार दो शनिवारों को छुट्टियां करने और इस दृष्टि से कार्य का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ताकि कर्मचारी छुट्टियों में व्यायाम कर सकें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे आशा है कि वे स्वस्थ हैं और मैं चाहता हूं कि वे प्रति दिन व्यायाम किया करें । केवल १५ दिनों के बाद ही एक दिन वे व्यायाम क्यों करें ।

†**श्री रामसिंह भाई वर्मा** : जब गवर्नमेंट ने पे कमिशन की रिपोर्ट को एक ऐवार्ड की तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की है तो फिर उस के काम लेने और छुट्टियों आदि के बारे में परिवर्तन क्यों किया गया है ?

श्री गो० ब० पन्त : ऐवार्ड के मुताबिक जोकि उस की माली बातें थीं यानी उन की तनख्वाह के बारे में और एलाउन्स के बारे में थीं उन चीजों को गवर्नमेंट ने पूरी तरह माना है । मगर कुछ बातों का उन के फायदे के लिये बदलाव किया है और कुछ छोटी छोटी बातों में ऐसे बदलाव भी किये हैं जिन से कि उन को नुक्सान न हो मगर बदलाव किया जाय ।

तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये विश्वबैंक से सहायता

+

†*८६. **श्री उस्मान अली खां** :
श्री कोडियान :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दामानी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री पहाडिया :
श्री हेम बरुआ :
श्री अय्याकण्णु :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वबैंक के द्वि-सदस्यीय मिशन ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये सहायता देने के सम्बन्ध में भारत सरकार से बातचीत पूरी कर ली है ;

(ख) उस बैंक से सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) इस दल द्वारा सहायता के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना की किन किन परियोजनाओं पर विचार किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) विश्व बैंक से सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के बारे में इस समय बताना कठिन है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस के लिये अन्त में किस किस परियोजना को चुना जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मिशन ने यह सूचित किया है कि वह अस्थायी रूप से निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कर रहा है :—

(१) कलकत्ता पत्तन का विकास ;

(२) दामोदर घाटी निगम तथा बम्बई क्षेत्रों में विद्युत् सम्बन्धी विकास ;

(३) गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन

(४) रेलों का विकास ; और

(५) औद्योगिक उधार तथा भारतीय धन विनियोग निगम के लिये अतिरिक्त राशियां ।

इन परियोजनाओं के बारे में बैंक द्वारा अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री उस्मान अली खां** : क्या विश्व बैंक से ग्रामों में बिजली लगाने के कार्यक्रम के लिये कोई सहायता मांगी जा रही है जिस से तृतीय पंचवर्षीय योजना के कृषि सम्बन्धी आधार को सुधारा जा सके ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास सन्था से मांगी जायेगी । उस परियोजना पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री उस्मान अली खां** : क्या मद्रास और बम्बई पत्तनों के विकास के लिये विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी जा रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने उन पांच परियोजनाओं की सूची बता दी है जिन के लिये अभी सहायता मांगी जा रही है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या यह राशि सहायता के रूप में प्राप्त की जा रही है या कि ऋण के रूप में और यदि ऋण के रूप में है तो कितना व्याज दिया जायेगा और राशि अदा कैसे की जायेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस बारे में बातचीत अभी प्रारम्भिक अवस्था में है । बैंक ऋण के रूप में राशि देता है और उस के व्याज की दर समय समय पर बदलती रहती है । यदि माननीय सदस्य गत वर्षों के बारे में पूछें तो मैं उन वर्षों के व्याज की दरों के बारे में बता सकता हूं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस समय व्याज की कितनी दर है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस बारे में अभी विचार किया जा रहा है । इस बारे में इस समय यह बताना कठिन है कि क्या उन परियोजनाओं को ऋण के लिये सम्मिलित भी किया जायेगा या नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि वह बैंक सीधे ऋण के अतिरिक्त एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ के माध्यम से द्विपार्श्विक सहायता देने का भी विचार रखता है और यदि हां, तो उस का रूप क्या होगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वह सहायता भारतीय क्लब के अधीन है । अप्रैल में एक बैठक करने का विचार है जिस में इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

†**श्री दामानी** : प्रश्न का शीर्षक है—"तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता" । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह राशि हमें सहायता के रूप में प्राप्त हो रही है या

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या हम ने केवल ऋण के लिये प्रार्थना की है या कि दोनों के लिये। यदि दोनों के लिये है तो कितनी राशि ऋण के रूप में है और कितनी सहायता के रूप में है ?

†श्री ब० रा० भगत : सहायता तो एक सामान्य शब्द है जिस में ऋण भी सम्मिलित है। विश्व बैंक ऋण देता है, सहायता के रूप में राशि नहीं देता।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि कार्य संचालन के डायरेक्टर, श्री जोसफ सुसिन्स्की ने यह बयान दिये हैं कि बैंक हमारी योजनाओं के सम्बन्ध में आधारभूत योजना बना रहा है और यदि हां, तो क्या वह योजना तैयार कर ली गयी है या नहीं ?

†श्री ब० रा० भगत : जो मिशन इस समय भारत का पर्यटन कर रहा है वह यहां दो प्रयोजनों के लिये आया है। प्रथम है देश की आर्थिक स्थिति तथा संभावनाओं के सम्बन्ध में फिर से अध्ययन करना। और दूसरा है उन परियोजनाओं का निरीक्षण करना जिन के लिये सहायता दी जा सकती है। इस समय दोनों कार्य किये जा रहे हैं। यद्यपि मिशन के नेता श्री सुसिन्स्की वापिस चले गये हैं तथापि शेष सदस्य अभी यहीं हैं।

†श्री कोडियान : सरकार द्वारा विश्व बैंक से कुल कितनी राशि मांगी गई है और क्या यह राशि तृतीय पंचवर्षीय योजना की इस के लिये चुनी जाने वाली योजनाओं के सम्पूर्ण खर्च को पूरा करने के लिये है या कि यह केवल उक्त योजनाओं के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा को पूरा करने के लिये ही है ?

†श्री ब० रा० भगत : मैं प्रश्न के दूसरे भाग को समझ नहीं सका। जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, हम ने विश्व बैंक से कोई निश्चित राशि नहीं मांगी है। वह स्वयं ही परियोजनाओं का चुनाव करेगा। यदि उस ने अन्तिम रूप से किन्हीं परियोजनाओं का चुनाव कर लिया, तो वह हमें उन के लिये राशि दे देगा।

†श्री कोडियान : वह राशि सम्पूर्ण परियोजनाओं के हिसाब से होगी या कि उन के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा के अनुसार ?

†श्री ब० रा० भगत : केवल आवश्यक विदेशी मुद्रा के हिसाब से, सम्पूर्ण खर्च को पूरा करने के लिये नहीं।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या परियोजनाओं को चुनने का कार्य पूर्णतया बैंक पर छोड़ दिया गया है याकि हम स्वयं अपनी ओर से परियोजनाओं का चुनाव करने के बाद उन के बारे में बैंक को सुझाव देते हैं, और फिर उस के बाद बैंक उन में से चुनाव करता है ?

†श्री ब० रा० भगत : इन परियोजनाओं का चुनाव सम्बन्धित विभागों से बातचीत करने के बाद ही किया जाता है। हमारे देश में आया हुआ वह मिशन भारत सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों से भेंट कर चुका है। वह कई गैर-सरकारी संस्थाओं से भी मिल चुका है। अत्यधिक गहन अध्ययन और पर्याप्त बातचीत के बाद ही उन परियोजनाओं का चुनाव किया जाता है।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मेरा प्रश्न यह नहीं था।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या पहले स्वयं सरकार अस्थायी रूप से कुछ परियोजनाओं के बारे में सुझाव देती है और फिर उन्हें विश्व बैंक के विचार के लिये पेश करती है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री ब० रा० भगत : जी, हां ।

†अध्यक्ष महोदय : विश्व बैंक स्वयं वैसा नहीं करता ।

†श्री ब० रा० भगत : सुझाव हम ही देते हैं ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या उन परियोजनाओं के लिये सहायता देते समय विश्व बैंक का मत सर्वमान्य होगा या कि भारत सरकार अपनी शर्तों के आधार पर यह राशि प्राप्त कर सकेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : ऋणदाता का मत ही अन्तिम रूप से मान्य होता है ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यदि उसका मत अन्तिम रूप से मान्य है तब तो भारत सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । भारत सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोयला खानो का सरकारी क्षेत्र में विकास करना चाहती है परन्तु विश्वबैंक गैर-सरकारी क्षेत्र का विकास करना चाहता है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता जो कि स्पष्ट है । ऋण दाता ऋण देने से पहिले परियोजनाओं को सबलता का विनिश्चय करना चाहता है । यदि वह संतुष्ट न हुआ, तो हमारे मत से क्या होता है ?

†श्री ब्रजराज सिंह : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । माननीय मंत्री ने सम्भवत: यह कहा था कि विश्वबैंक गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयले के विकास के लिये सहायता देने के बारे में विचार कर रहा है । १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में यह लिखा है कि सरकारी क्षेत्र में ही नहीं नयी कोयले की खानों का विकास किया जायेगा । परन्तु वे ऐसा किस प्रकार से कर सकते हैं । यही मेरा औचित्य प्रश्न है ।

†श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य उत्तर को गलत समझे हैं । मैंने तो कहा था कि परियोजनाओं में कोयले का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा । इस समय भी कुछ अंश तक उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जा रहा है ।

†श्री मुहम्मद इलियास : क्या सरकार को ज्ञात है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय बृहद कलकत्ता के विकास के लिये २०० करोड़ रुपयों के ऋण के लिये विश्वबैंक से बात-चीत कर रहे हैं ? क्या वह ऋण इस तृतीय पंच वर्षीय योजना के अधीन आता है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जी नहीं ।

†श्री वें० प० नायर : क्या वे बात चीत कर रहे हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह उसमें सम्मिलित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

यांत्रिक परिवहन गाड़ियों के पुर्जों की खरीद

†*८७. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भक्त दर्शन :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक यांत्रिक परिवहन गाड़ियों के लिये फाल्तू पुर्जे खरीदने के लिये कनाडा की एक फर्म के साथ किये गये करार के सम्बन्ध में जांच करने के लिये नियुक्त की गयी उस समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसके प्रधान श्री विष्णु सहाय थे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) समिति इस मामले का परीक्षण कर रही है और शीघ्र ही प्रतिवेदन मिलने की आशा की जाती है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्योंकि अब श्री विष्णु सहाय को आसाम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो क्या इस जांच के लिये किसी अन्य सदस्य को नियुक्त किया जा रहा है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जब मंत्रिमंडल सचिव को आसाम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो काम जारी था । सदा एक मंत्रिमंडल सचिव रहता है । जाने के अन्दर थोड़ा समय लग ही जाता है । जांच हो चुकी है । मैं समझता हूं कि इस समय कुछ पहलू एक प्रविधिक समिति के हाथों में हैं । इस पर वास्तव में विचार किया जायेगा और मुझे बताया गया है कि शीघ्र ही प्रतिवेदन पेश किया जायेगा ।

†**श्री मोरारका** : फर्म को कितनी राशि दी गई है और क्या जांच का आदेश दिये जाने के पश्चात् कोई भुगतान किया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री भक्त दर्शन** : समिति के प्रतिवेदन पर कब तक विचार किया जायेगा । क्या समिति ने कोई समय बताया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : उसने हमें कोई तिथि नहीं दी । इसके कुछ पहलू एक प्रविधिक समिति को जनवरी में सौंपे गये थे, और जब तक प्रतिवेदन नहीं आता, वे अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दे सकते । उसने इतना ही कहा है कि शीघ्र ही प्रतिवेदन दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या पुर्जे अब प्रतिरक्षा संस्थानों में बनाये जा रहे हैं ; यदि हां, तो इस के कारण विदेशी आयातों पर हमारी निर्भरता किस सीमा तक कम हुई है ?

†श्री कृष्ण मेनन : दूसरा प्रश्न पूछा जाये ।

†श्री स० मो० बनर्जी : यह इससे उत्पन्न होता है ।

†श्री मोरारका : चूंकि इस मामले पर लोक लेखा समिति टीका टिप्पणी कर चुकी है, और इस सौदे में बड़ी भारी राशि अन्तर्ग्रस्त है, सरकार ने इस जांच को शीघ्र करवाने के लिये क्या कार्यवाही की है और क्या इस प्रविधिक समिति ने इस मामले पर विचार कर लिया है और अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

†श्री कृष्ण मेनन : जब एक समिति बना दी गयी है, सरकार जल्दी प्रतिवेदन देने के लिये इसे बाध्य नहीं कर सकती ।

†श्री मोरारका : मैं, आपका और मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विमानों के पुर्जों आदि के बारे में इसी मंत्रालय में दूसरी अनियमितात्रों की जांच के लिये ऐसी ही एक जांच समिति नियुक्त की गई थी । कई वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु अभी तक वह प्रतिवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है । इसी प्रकार, यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस में भी वर्षों की देरी की जा सकती है । अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने की एक निश्चित तिथि नियत की जानी चाहिये, ताकि सभा इस मामले पर विचार कर सके ।

†अध्यक्ष महोदय : स्वभावतः माननीय सदस्य इस मामले की स्थिति जानने को उत्सुक हैं । यदि समिति नियुक्त की गयी है तो इस का उद्देश्य उसका प्रतिवेदन प्राप्त करना है । यदि वे प्रतिवेदन देने में अनिश्चित समय लगाते हैं, तो समिति बनाने का क्या लाभ है ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह उत्तरदायी समिति है जिसका सभापति मंत्रिमंडल सचिव है और भारत सरकार के तीन सचिव इसमें हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या इसका यह अर्थ है कि यदि वह चाहे तो उनको शीघ्रता करने को नहीं कहा सकता ?

†श्री कृष्ण मेनन : मंत्री ने यह नहीं कहा कि उसने उन्हें नहीं कहा । उन्होंने बहुत से साक्ष्यों का परीक्षण किया है और उनके साक्ष्य लिये हैं । इस बीच, सरकारी अकस्मिक कार्यों के कारण, उस समय का मंत्रिमंडल सचिव दूसरी जगह चला गया है । दूसरे व्यक्ति को इस मामले की जानकारी प्राप्त करनी है और फिर हमने कुछ ब्योरे के लिये एक प्रविधिक उप-समिति नियुक्त की है ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक तरीका अपनाया जा रहा है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कम से कम सभा को सूचना मिलनी चाहिये कि क्या काम हो चुका है ताकि हम अनुमान लगा सकें ।

†अध्यक्ष महोदय : अधिक ब्योरा नहीं दिया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा

†*८८ **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुस्तकालयाध्यक्षों की एक सेवा स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना को कब तक अंतिम रूप से तय कर लिया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). प्रश्न अभी विचाराधीन है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : जिस सेवा की रचना का प्रस्ताव किया गया है क्या वह केन्द्रीय आधार पर होगी या राज्यवार होगी ?

†**डा० का० श्रीमाली** : केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों के लिये यह सेवा बनाने का विचार है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान

†*८९. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री म० ल० द्विवेदी
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के विकास और नयी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के सम्बन्ध में हाल हीं में एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है और उस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यक्रम जारी रहने वाले होते हैं और उनको कभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता।

(ख) तीसरी योजना अवधि की कुछ योजनाओं का वर्तमान प्रयोगशालाओं के समेकन तथा विकास एवं नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना से सम्बन्ध है। तीसरी योजना के लिये अन्तिम आवंटन अभी विचाराधीन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : तीसरी योजना में सरकार कौनसी नई प्रयोगशालायें स्थापित करने का विचार करती है और क्या ये सब राष्ट्रीय प्रयोगशालायें होंगी या प्रादेशिक होंगी ?

†**श्री हुमायून् कबीर** : हम तीसरी योजना में दो राष्ट्रीय और एक प्रादेशिक प्रयोगशाला की स्थापना का विचार कर रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : प्रादेशिक प्रयोगशाला कहां होगी और क्या मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में समान रूप से इन प्रयोगशालाओं का वितरण करने के लिये प्रयत्न कर रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : पहले भाग का उत्तर है कि अभी इसका फैसला नहीं किया गया है और दूसरे भाग का उत्तर है 'हां' ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : हम १९६१-६२ में तीसरी योजना के पहले वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस लिये क्या हमें उन कार्यक्रमों का पता नहीं लग सकता जिन्हें मंत्रालय योजना के पहले वर्ष में करेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि तीसरी योजना के बारे में कुछ पूछा जाता है तो मैं निश्चय ही उत्तर दूंगा, किन्तु वैज्ञानिक कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के प्रश्न का उत्तर देना कठिन है ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : हमें तीसरी योजना के पहले वर्ष के बारे में जानना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री हुमायून् कबिर**: यदि वह चाहते हैं तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : तीसरी योजना में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के विकास के लिये लगभग कितनी राशि आवंटित की जायेगी ?

†**श्री हुमायून् कबीर** : तीसरी योजना में विकास के लिये अस्थायी आवंटन ३० करोड़ रुपये हैं परन्तु अभी यह अन्तिम रूप में तय नहीं किया गया है ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय जांच समिति

+

*९०. {
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामेश्वर टाटिया :
श्री खुशवक्त राय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पांगरकर :
श्री अच्युतन् :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार ने रिपोर्ट पर यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ; और

(घ) क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने अपनी १२ और १३ फरवरी १६६१ की बैठक में एक उपसमिति नियुक्त की है जिसमें परिषद् के ही सदस्य हैं । यह समिति जांच समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट की परीक्षा करेगी और जितनी जल्दी हो सकेगा अपने विचार परिषद् के सामने रखेगी । इस बीच में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने रिपोर्ट छपवाने के लिये कार्रवाई की है । प्राप्त होते ही रिपोर्ट और उसमें की गयी शिफारिशों का सारांश सभा-पटल पर रख दिया जायेगा । रिपोर्ट के सम्बन्ध में कार्यकारिणी परिषद् के विचार मालूम हो जाने पर ही इस बात पर विचार किया जायेगा कि सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मूल प्रश्न में तो यह पूछा गया है कि जांच समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और माननीय मंत्री जी न यह बताया है कि कार्यकारिणी परिषद् ने एक समिति बनाई है, जो उस पर विचार कर रही है । परन्तु ये सिफारिशें समाचारपत्रों में तो प्रकाशित हो चुकी हैं । क्या वे शिक्षा मंत्रालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

डा० श्रीमाली : शिक्षा मंत्रालय में एक कापी आ गई है । मैं तीन चार रोज में रिपोर्ट को सदन के टेबल पर रखूंगा, ताकि सब मेम्बर देख सकें कि क्या सिफारिशें हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री जी को ऐसी भी जानकारी मिली है कि जांच समिति के किसी सदस्य से पंजाब सरकार न यह पूछा कि उन्होंने पंजाब सरकार से बिना अनुमति लिये हुए जांच समिति में सम्मिलित होना क्यों स्वीकार किया और अब एसी स्थिति है कि उन को पंजाब सरकार के अधीन उस पद से, जहां वह काम कर रहे थे, त्यागपत्र देना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने इस संबन्ध में पंजाब सरकार से जानकारी ली है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पंजाब सरकार का इस से क्या संबंध है ?

† **श्री वाजपेयी** : जांच समिति का एक सदस्य पंजाब से और पंजाब सरकार ने जांच समिति में उस के सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति की है ।

डा० श्रीमाली : यह तो सच है कि वहां के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के सदस्य इस कमेटी के मेम्बर थे और यह भी सच है कि उन से यह पूछा गया था कि उन्हें ने बिना सरकार को पूछे इस की सदस्यता क्यों मन्जूर की, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, उन के इस्तीफ का सम्बन्ध इस इन्क्वायरी से कुछ नहीं है । दूसरे कारणों से उन पर यह कार्यवाही की गई होगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जिस समय जांच समिति कार्य कर रही थी, क्या उस समय भी शिक्षा मंत्री जी की जानकारी में इस प्रकार के प्रश्न आये थे कि जो लोग समिति के समक्ष गवाहियां देने के लिये आये थे, उन के साथ एसे व्यवहार किये गये कि वे स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से समिति के समक्ष अपनी गवाहियां न दे सके ? लेकिन उस के पश्चात् भी जिन लोगों ने समिति के समक्ष गवाहियां दीं,

†मूल अंग्रेजी में

उनको विश्वविद्यालय में परेशान किया जा रहा है, यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री महोदय इस प्रकार के निर्देश उक्त विश्वविद्यालय के उपकुलपति को देंगे कि इस प्रकार की कार्यवाही को रोका जाये ?

डा० श्रीमाली : अभी तक इस की कोई इत्तिला नहीं है। आप अगर कोई इस तरह के उदाहरण मुझे दें तो मैं अवश्य उपकुलपति को लिखूंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इत्तिला तो आप को उसी समय हो गई थी जब कि इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल को पीटने का कांड हुआ था। एक दूसरे डिपार्टमेंट का हैड था, उन के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी बिठाई थी तथा और भी जो लोग ज्यों त्यों कर के गवाहियां देने के लिये आये थे, उन को भी इसी प्रकार से परेशान किया जा रहा है।

डा० श्रीमाली : यह सच है कि एक साहब पीटे गये थे। लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इस इन्क्वायरी से उस का कोई सम्बन्ध था।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कार्यकारिणी परिषद् ने जो उप-समिति नियुक्त की है वह कितना समय विचार करने में लगायेगी, उसके बाद परिषद् स्वयं कितना समय लगायगी और फिर सरकार कितना समय लगायेगी और कब इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित किया जा सकेगा ?

डा० श्रीमाली : रिपोर्ट में तीन चार दिन में सदन के सामने रख दूंगा। जहां तक मुझे मालूम है मार्च के प्रथम सप्ताह में यह रिपोर्ट एग्जैक्टिव काउन्सिल के पास चली जायगी और इस के ऊपर शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, चूंकि जब एक बार शासन किसी सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लेता है तो उस को बदला नहीं जाता, क्योंकि यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। इसलिये कोई निर्णय करन से पहले क्या इस सदन के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जायगा ?

डा० श्रीमाली: जी हां, अवश्य।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने जिन अध्यापक महोदय के पीटे जाने का उल्लेख किया था वह जब जांच समिति के सामने गये तो जांच समिति ने इस सम्बन्ध में कोई भी जांच पड़ताल करने से इन्कार कर दिया और उन को कहा कि आप के लिये पुलिस का दरवाजा खुला हुआ है, आप वहां जा कर अपनी शिकायत लिखवायें ?

डा० श्रीमाली : जहां मारपीट होती है वहां पुलिस को ही जाना पड़ता है और पुलिस ही उस का फैसला कर सकती है। माननीय सदस्य को कुछ मालूम था तो उन को चाहिये था कि वह कमेटी के सामने गवाही देने के लिये जाते। जहां तक मुझे मालूम है माननीय सदस्य को गवाही देने के लिये बुलाया गया था लेकिन वह गवाही देने के लिये नहीं गये।

श्री वाजपेयी : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गवाही देने के लिये क्यों नहीं गया इस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि समिति ने जो तिथियां नियत की थीं, वे मेरे लिये सुविधाजनक नहीं थीं और उन तिथियों में मैं जा नहीं सकता था। मैं ने मांग की थी समिति से कि संसद् का जब सत्र चलता हो उस समय मुझे गवाही देने के लिये बुलाया जाय लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो तिथियां मुकर्रर की गयीं उन में जाना मेरे लिये सम्भव नहीं हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि माननीय सदस्य ने तुरन्त मा० मंत्री को लिखा हो। प्रश्न इस बजट सत्र की प्रतीक्षा करने की बजाय वह आसानी से माननीय मंत्री को लिख सकते थे कि उन्हें उपस्थित होने नहीं दिया गया। क्या ऐसी बात नहीं है ?

†**श्री वाजपेयी** : अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं था . . . .

†**डा० श्रीमाली** : यदि उन्हों ने मुझे को लिखा होता तो मैं सरलतापूर्वक समिति से प्रार्थना कर सकता था कि वह उन को समिति के सामने आने की सुविधा दें।

†**श्री वाजपेयी** : मैं ने समिति को लिखा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने समिति को लिखा होगा, परन्तु माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि यदि समिति ऐसा करने को तैयार नहीं थी तो वह माननीय मंत्री को लिख सकते थे। मंत्री इस सभा के लिये उत्तरदायी है।

†**श्री तंगामणि** : यह अजीब स्थिति है। समिति स्थापित की जाती है और एक सदस्य साक्ष्य देने की इच्छा रखता है, परन्तु समिति उसे लेने को तैयार नहीं है।

श्री जगदीश अवस्थी : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन सज्जन को पीटा गया था, उन को इसलिये नहीं पीटा गया कि वह गवाही देने जा रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन को पीटने के अन्य और कौन-कौन से कारण थे ?

डा० श्रीमाली : मेरा ख्याल है पुलिस में केस चला होगा, मगर मुझे ठीक पता नहीं है और मैं पता करूंगा। बात यह है कि किसी आदमी के साथ अगर इस तरह से मारपीट हो तो उस के ऊपर पुलिस ही कार्यवाही कर सकती है, और कोई क्या कर सकता है।

†**कुछ माननीय सदस्य** उठे---

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, माननीय मंत्री ने कहा है कि वह सभा पटल पर प्रतिवेदन रखेंगे। इस मामले में माननीय सदस्य जो दिलचस्पी ले रहे हैं उसकी दृष्टि से तथा क्योंकि मामला यहां आता रहा है, मैं निश्चय ही इस प्रतिवेदन पर चर्चा की अनुमति दूंगा। तब माननीय सदस्य कह सकते हैं कि प्रतिवेदन पूर्ण नहीं है, और समिति ने उन लोगोंको अवसर नहीं दिये जो साक्ष्य देना चाहते थे और जो लोग साक्ष्य देना चाहते थे उन्हें बलात् रोका गया आदि। ये सब आरोप लगाये जा सकते हैं और तब उन पर का उत्तर दिया जा सकता है, और यदि फिर भी आरोप सत्य सिद्ध होते हैं, और अग्रेतर कार्रवाई की जरूरत होती है, तो सभा यह निदेश दे सकती है कि अमुक काम और किया जाना चाहिये।

राजा महेन्द्र प्रताप : मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। इस यूनिवर्सिटी का नाम मुस्लिम युनिवर्सिटी है, इसलिये मेरा कहना यह है कि यह इम्प्रेशन नहीं पड़ने देना चाहिये लोगों पर कि हम लोग जो हिन्दू हैं, वे कुछ ज्यादा उस के पीछे पड़ गये हैं। हम को यह दिखलाना है कि हम हिन्दू जो हैं वे मुसलमानों के साथ और भी ज्यादा मुहब्बत करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य को इस सभा के मान की जितनी चिंता है उन से अधिक माननीय सदस्य इस प्रश्न का प्रभाव दे रहे हैं। हम ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के मामलों सम्बन्धी प्रतिवेदन पर बहुत चर्चा की अनुमति दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये यह उस की तुलना में कुछ नहीं है। अतः जो सुझाव दिया गया है वह भी ठीक नहीं है । जिस माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है वह भी उतना ही प्रतिनिधि है जितना कि उस क्षेत्र या उस के समीपवर्ती क्षेत्र आने वाला सदस्य है। माननीय सदस्य इस प्रकार का सुझाव दे कर जो उन के मन में दिखाई देता है, लाभ की अपेक्षा हानि अधिक करते हैं, मैं यहां इसलिये हूं कि ऐसा प्रभाव पैदा न होने दिया जाये; मैं यह बात फैलने नहीं दूंगा कि कोई एक समाज सामुदायिक भावनाओं के आधार पर दूसरे समाज के प्रति भेद-भाव करने का प्रयत्न करता है; और यह संसद् ने, जो सर्वोपरि तथा सर्वोच्च अधिकार वाला है, सामुदायिक परस्पर दोषा-रोपण में पड़ने में प्रयत्न किया है; सर्वथा ऐसी बात नहीं है । मुझे वास्तव में खेद है कि इस प्रकार का आरोप लगाया गया है और इस मामले में एक वरिष्ठ सदस्य ने ऐसा परामर्श दिया है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैं अलीगढ़ कोर्ट का सदस्य रहा हूं, इसलिय मुझे इस के बारे में अधिक जानकारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अधिक जानकारी हो सकती है, परन्तु वह भी इस समिति के समक्ष उपस्थित हुए होंगे । वह कोर्ट के सदस्य रहे होंगे, परन्तु हो सकता है कि उन्होंने गलती भी की हो । यह सभा माननीय सदस्य से बड़ी है और इस का निर्णय करना सभा का काम है न कि किसी अकेले सदस्य का स्वतन्त्र रूप से । इस प्रकार के आरोप नहीं लगाय जाने चाहियें ।

†**आचार्य कृपालानी** : क्या यह उचित नहीं है कि सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिये ताकि इन विश्वविद्यालयों के नामों से सामुदायिक नाम हटा दिये जायें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्रवाई के लिये सुझाव है ।

†**श्री हेम बरुआ** : जांच समिति ने इस आशय का सुझाव दिया है कि विद्यार्थियों के प्रवेश तथा योग्यता के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति के उपाय अपना कर विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री**: मैं एक आवश्यक प्रश्न करना चाहता हूं और वह यह है कि इसी सदन में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने एक बार यह कहा था कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति को इस प्रकार का वह परामर्श देंगे कि समिति के समक्ष जब गवाहियां हों तो उन में जहां तक सम्भव हो वह न बैठें । सम्भव है कि उनके शब्दों में और इन शब्दों में कुछ अन्तर हो लेकिन उन के कथन का सार यही था। मैं जानना चाहता हूं कि कमेटी के चेयरमैन को क्या कुछ व्यक्तियों ने लिख कर ऐसा आवेदन-पत्र भी दिया था कि हम गवाहियां देने के लिये आना चाहते हैं लेकिन उस समिति के समक्ष आना चाहते हैं जिस में उपकुलपति मौजूद न हों ? क्या यह भी सत्य है कि प्रायः सभी बैठकों में जिन में गवाहियां ली गयीं वह उपस्थित रहे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह और अधिक टिप्पणी न करें ।

डा० श्रीमाली : जी हां यह सत्य है कि मैंने इस सदन में कहा था कि अगर वाइस-चांसलर के खिलाफ कुछ चार्जिज हैं तो यह एक मामूली बात है कि उन को उस कमेटी पर नहीं बैठना चाहिये । इसी सदन में मैं ने यह कहा था और यह मेरी राय थी वह वाइस-चांसलर को भी मालूम थी। लेकिन एक्ट में इस तरह का प्राविजन है कि वाइस-चांसलर कमेटी में बैठ सकते हैं और वह बैठे । उन को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य ने कमेटी के चेयरमैन को लिख कर दिया था कि ......

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर, मि० तारिक :

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत है कि वाइस-चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में अक्सर जो मीटिंग्ज़ हुईं उन में वह नहीं बैठे और खास तौर पर ऐसी मीटिंग्ज़ में जिन में उन को यह अंदेशा था कि उन के खिलाफ इस किस्म के चार्जिज़ आयेंगे, उन्होंने बिल्कुल भी शिरकत नहीं की ?

डा० श्रीमाली : जब गवाहियां ली जा रही थीं और जब कमेटी मीटिंग्ज़ हो रही थीं तो वाइस-चांसलर बराबर मौजूद रहे। जब डेलीबेशंस हो रही थीं, वहां जब रिपोर्ट तैयार हो रही थी उस वक्त वाइस-चांसलर मौजूद नहीं थे। लेकिन यह सच नहीं है कि वह गवाहियों के वक्त मौजूद नहीं थे। जब गवाहियां हो रही थीं तो वह बराबर मौजूद थे।

†**श्री अन्सारी हरवानी** : जब मैं समिति के सामने उपस्थित हुआ, उपकुलपति उपस्थित नहीं था।

†**डा० श्रीमाली** : मुझे अपने वक्तव्य का अधिक विश्वास है जितना कि माननीय सदस्य को है। उपकुलपति एक या दो के अतिरिक्त, जिन के बारे में मुझे पता नहीं है, प्राय: सभी सत्रों में उपस्थित थे केवल उस समय, जब समिति विचार कर रही थी, वह उपस्थित नहीं थे। जब मैं सभा में कोई वक्तव्य देता हूं तो माननीय सदस्य को उसे मानना चाहिये।

बरसुआ की लौह अयस्क की खानें

†*६१. श्री विद्या **चरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन**, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरसुआ की लौह अयस्क की खानों के विकास के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभासचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). पेचीदा नींव रखने आदि की अप्रत्याशित कठिनाइयों के कारण ग्यारह महीनों का विलम्ब हो गया था। अयस्क धाख पद्धति नवम्बर १६६० में चालू की जाने के लिये तैयार थी। प्रयोग किये जा रहे हैं और आरम्भिक त्रुटियां दूर की जा रही हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल**: क्या सरकार ने यह जानने के लिये कि इस विलम्ब के कारण हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी को कितनी हानि हुई है, क्या कोई जांच की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : वास्तव में जांच नहीं हुई और न ही जांच का कोई अवसर था। एक वर्ष का विलम्ब हो गया है, जैसा कि पहले कह चुका हूं और उस का कारण है अप्रत्याशित परिस्थितियां, जो रोकी नहीं जा सकती थीं।

†**श्री मुरारका** : रूरकेला इस्पात संयंत्र अन्य साधनों से जो लोहा अयस्क खरीदने के लिये मूल्य दे रहा है, वह मूल्य, बरसुआ खानों से यदि अयस्क खरीदा जाता तो उस के लिये दिये जाने वाले मूल्य की तुलना में कितना है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा**: इस समय रूरकेला राजकीय व्यापार निगम से लोहा अयस्क खरीदता है। इस समय मैं इस का मूल्य बताने में असमर्थ हूं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मा० मंत्री ने पिछले सत्र में कहा है कि रूरकेला को राजकीय व्यापार निगम के द्वारा बर्ड एंड कम्पनी से २२ से २५ रुपये प्रति टन के हिसाब से लोहा अयस्क मिलता है, जब कि रूरकेला में उत्पादन की लागत ११ रुपये प्रति टन है। अब वह कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं पहले कह चुका हूं कि रूरकेला के लिये लोहा अयस्क राजकीय व्यापार निगम के द्वारा खरीदा जाता है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : बर्ड एंड कम्पनी।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अकेले बर्ड एंड कम्पनी से लोहा अयस्क नहीं खरीदा जाता। यह अन्य साधनों से भी खरीदा जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बात यह है कि जब यह ११ रुपये प्रति टन पर मिल सकता है तो २५ या ३० रुपये क्यों दिये जाते हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

†**श्री मुरारका** : इन ११ महीनों में अन्य साधनों से रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये कुल कितना लोहा अयस्क खरीदा गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मूल प्रश्न विलम्ब के बारे में है। यदि पृथक प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं उत्तर दूंगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल**: ऐसी अकाट्य परिस्थितियां क्या थीं जिन के कारण इस खान के संचालन में एक वर्ष से अधिक समय का विलम्ब किया गया था ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : ठेकेदार द्वारा निर्मित माल के संभरण में कुछ विलम्ब हो गया था। उस के बारे में आवश्यक कार्रवाई की गई है। दूसरे चट्टानें टेढ़ी मेढ़ी थीं जिन के कारण हिन्दुस्तान इस्पात के भूतत्वों को व्यापक परीक्षण करने की आवश्यकता अनुभव हुई। विलम्ब के यही कारण थे।

†**श्री राधा रमण** : क्या बरसुआ खानों का विकास सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया है या गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा**: बरसुआ खानों का विकास हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के द्वारा किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसलमेर में तेल की खोज

†*९२. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजीत सिंह सरहदी :
श्री उस्मान अली खां : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो वर्षों में जैसलमेर के क्षेत्र में तेल तथा गैस की खोज के सम्बन्ध में सरकारी कार्यक्रम क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्य को वैभागिक रूप से करने का है या विदेशी अभिकरणों के द्वारा; और

(ग) क्या विभिन्न विदेशी अभिकरणों द्वारा हाल ही में की गयी बातचीत में इस क्षेत्र के बारे में भी विचार किया गया था ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) लगभग ४०० वर्ग मील का भूतत्वीय मानचित्र तैयार करना है तथा भूभौमिकीय सर्वेक्षण करना है तथा उसके पश्चात् यदि परिणाम अच्छे और लाभदायक निकले, तो एक प्रयोगात्मक कुंआ खोदा जायेगा ।

(ख) इस समय सरकार इस क्षेत्र में तेल की खोज सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार कर रही है जो विदेशी तेल कम्पनियों को भी प्राप्त हुए हैं ।

(ग) जी, हां ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** विदेशी सार्थों, विशेषकर इटली के सार्थ के साथ इस क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र की खोज के बारे में जो बात चीत की जा रही थी उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस क्षेत्र के बारे में जो कुछ विदेशी सार्थ बात चीत कर रहे थे उन्हें हम ने सब सुविधायें दी हैं । अब वे अपने देशों को वापिस चले गये हैं । वे पूरे मामले पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अब जब कि पाकिस्तान से गैस के संभरण की बात समाप्त कर दी गई है, इस विशिष्ट क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिये क्या प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** क्या समाप्त कर दिया गया है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** समाचार-पत्रों से पता चलता है कि हम पाकिस्तान से गैस के संभरण के बारे में जो बातचीत कर रहे थे, वह अब बन्द कर दी गई है ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, नहीं । मैं इस धारणा को शुद्ध कर दूं जो माननीय सदस्य के मन में हैं । पाकिस्तान से सूई गैस खरीदने का प्रश्न हमारी ओर से समाप्त नहीं किया गया है । मामला अभी विचाराधीन है । संभव है कि पाकिस्तान सरकार इस मामले पर बातचीत करने के लिये शीघ्र ही एक दल भेजने का विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : राजस्थान क्षेत्र के बारे में स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी की पेशकश क्या थी ? क्या वे उस मशीनरी को जो पहले से इस देश में हैं, लेने के लिये तैयार थे ? यदि हां, तो उनकी पेशकश को स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है और क्या राजस्थान सरकार ने उन की पेशकश का समर्थन किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा कि मैंने कहा, स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कंपनी अब बातचीत के ब्योरे पर विचार कर रही है। अब मामला उनके पास है । हमने जो कुछ उन्हें इस मामले में कहना था, कह दिया है। जब तक वे अन्तिम उत्तर न दें, कि क्या वे उनको किये गये पेशकश की शर्तों को स्वीकार करते हैं या नहीं, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते ।

मैं यह भी बता दूं कि हमने एक निर्णय कर लिया है कि अगली योजना अवधि में जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज का काम तेजी से किया जाएगा ।

†**श्री कासलीवाल** : कुछ समय पूर्व मा० मंत्री ने एक उत्तर दिया था कि इस क्षेत्र में काम करने की स्थिति कठिन है अतः खोज में विलंब कर दिया गया था। क्या सरकार ने उस क्षेत्र में काम करने की स्थिति को सुधारने के लिये कोई कारवाई की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : काम करने की स्थितियों की कठिनाई स्वयं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को वहां काम आरंभ करने के सम्बन्ध में बताई गई है । काम करने की स्थितियां सुधारी जा सकती हैं, परन्तु क्योंकि इस जोखिम को उठाना आयोग के लिये बड़ा महंगा सिद्ध हो सकता है, इसलिये हम इसे बेहतर समझते हैं कि इस क्षेत्र की खोज अन्य दल भी करें जो वहां अधिक धन खर्च कर सकते हों। परन्तु यदि ऐसे दल तैयार न हों, तो भारत सरकार का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग स्वयं यह सोचेगा कि कितनी जोखिम उठाई जाए। अन्त में, भारत सरकार ने एक निर्णय किया है कि यदि कोई अन्य दल तैयार है, तो उस क्षेत्र में तेल की खोज को तेज करने के लिये वे सब संभव कार्रवाई करने का विचार करेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : पश्चिम बंगाल में स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी ने जो कुछ किया है उस का हमें अनुभव होते हुये, ऐसे क्या कारण हैं कि हम चाहते हैं कि यह काम उसी कंपनी के द्वारा करवाया जाए ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : भारत सरकार के पास एक तेल समवाय से एक पेशकश आई है, जो स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी है। कुछ अन्य कंपनीयां भी हैं जिन्होंने वहां कुछ काम करने का प्रस्ताव किया है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इस सम्बन्ध में स्टैंडर्ड वैक्यूम के अतिरिक्त और किस विदेशी कंपनी ने पेशकश की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उस क्षेत्र में एक फ्रांसीसी कंपनी दिलचस्पी रखती है। एक अमरीकी कंपनी—केनीनैंटल तेल कंपनी को भी उस क्षेत्र में दिलचस्पी है ।

†मूल अंग्रेजी में

वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण

+

*६३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री आसर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ नवम्बर, १९६० को श्वेत पत्र संख्या ४ के पटल पर रखे जाने के पश्चात् चीनी विमानों ने कभी भारत के वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई, अथवा की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतेह सिंह गायकवाड़) : (क) तथा (ख). जी हां। दो वायुक्षेत्र अतिक्रमण की रिपोर्ट मिली है, एक ८ नवम्बर, को और दूसरा २४ दिसम्बर, १९६० को।

(ग) चीन सरकार से विरोध किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री भक्त दर्शन।

†**श्री वाजपेयी** : भाग (ग) का क्या उत्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री ने उत्तर दिया है कि विरोध कर दिया गया है।

†**श्री त्यागी** : यह घटना कहां हुई और उसकी भूगोलिक स्थिति क्या है ?

†**श्री वाजपेयी** : ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को कुछ शिष्टता का पालन करना चाहिये। दोनों सदस्य इकट्ठे प्रश्न आरंभ नहीं कर सकते। मैंने श्री भक्त दर्शन को बुलाया था।

†**श्री भक्त दर्शन** : ये अतिक्रमण ठीक किस स्थान पर हुआ ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : ८ नवम्बर, १९६० को एक विमान सिक्किम में चुंगयांग (२७४०° एन तथा ८८३५° ई०) के ऊपर १२ बजे दो पहर से १२.२६ तक उड़ा। २४ दिसम्बर, १९६० को एक विमान उखीमठ के ऊपर (३० ३२° एन, ७९०५° ई०) ९ बजकर ३ मिनट पर उड़ा।

इन अतिक्रमणों के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्री ने चीन लोक गणतंत्र के दूतावास नई दिल्ली से विरोध किया है। चीन सरकार से पुनः प्रार्थना की गई है कि वे अपन अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दें कि वे भारतीय आकाश का अतिक्रमण न करें, क्योंकि ऐसे अतिक्रमणों का आसानी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** चीनी दूतावास की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या उन्होंने खेद प्रकट किया है या उन्होंने इन तथ्यों का खंडन किया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हमें अभी कोई उत्तर नहीं मिला ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या आपको उत्तर मिलने की आशा है ?

†**श्री आसर :** क्या उत्तर प्रदेश सरकार को उस राज्य सम्बन्धी आकाश अतिक्रमण के बारे में सूचित किया गया है ?

†**श्री गोरे :** क्या यह सच नहीं है कि चीनी प्रधान मंत्री .....

†**श्री वाजपेयी :** प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया गया ? उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री ने विधान सभा में कहा है कि जो आकाश अतिक्रमण हुआ है उसकी उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें सूचना क्यों दी जानी चाहिये ? यह इस सभा का पूर्ण उत्तरदायित्व है । इसके पूर्व क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जो मामला हो उसके बारे में क्या इसे राज्य मंत्रियों को सूचना देते रहना चाहिये कि वे क्या कार्रवाई कर रहे हैं ? राज्य सरकार को सूचित करने का उत्तरदायित्व कहां है ?

†**श्री वाजपेयी :** भारत के आकाश का अतिक्रमण किया गया है, यह उत्तर प्रदेश में हुआ है । उस राज्य के मुख्य मंत्री को अंधेरे में रखा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** देश के प्रत्येक भाग का इस संसद् से भी सम्बन्ध है ।

†**श्री गोरे :** क्या यह सच नहीं है कि चीन के प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि भारत को सन्देह है कि यह उनका विमान है जो भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, तो वे उसको गिरा सकते हैं और उन्हें उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी । उन्होंने जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुए विरोध प्रदर्शित करने का क्या लाभ है ?

†**श्री त्यागी :** यह ताने वाला उत्तर था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब प्रश्न यह है कि इस मामले में विमान को गोली मार कर क्यों नहीं गिराया गया ?

†**श्री गोरे :** मैं इस बात पर जोर देता हूं । चीन के प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि हमें सन्देह था कि यह चीनी विमान था तो हमें इसको गिरा डालने का हक था । जब उन्होंने ऐसा कहा है, तो विरोध प्रदर्शित करने का क्या लाभ है ?

†**श्री त्यागी :** हमें विमान को गोली मार कर गिराने के लिये कभी उनकी अनुमति नहीं चाहिये **(अन्तर्बाधा)** ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य एक दूसरे को उत्तर दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरु)** : मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न उद्देश्यों के लिये विरोध प्रदर्शित करने ही पड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि यदि और किसी काम के लिये नहीं तो अभिलेख के लिये विरोध प्रदर्शित करना ही पड़ता है चाहे हम सफल न हों और चाहे हमें उपयुक्त उत्तर की आशा भी न हो। परन्तु मैं जो कुछ कह रहा था, वह यह था।

चीनी सरकार ने बताया कि ऐसी बहुत सी सीमा उल्लंघन की उड़ानों के बारे में, जो भारत के उत्तर-पूर्वी किनारे में देखी गई हैं--उनका मत यह था कि वे चीनी विमान नहीं थे और किसी दूसरे देश ने उन्हें भेजा था। वास्तव में, उन्होंने यह बात निश्चित रूप से कही है और उन्होंने कहा है कि उनके पास उसके प्रमाण हैं। चाहे यह वहां था या यहां पश्चिम में यह मालूम करना प्राय: असंभव है कि यह किसका विमान था इनमें से एक विमान २५००० फुट की तथा दूसरा ३५००० फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। किसी भी देश के लिये इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को पहचानना संभव नहीं होता है। (अन्तर्बाधा), जब तक कि उनके पास आकाश में उड़ने वाले कई विमान न हों। हम केवल तभी इसे देख सकते हैं जब वह निकल जाता है।

जब हम ऐसा विमान देखते हैं तो हमें पहली जांच यह करनी होती है कि क्या यह हमारा विमान है। क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हमारे और दूसरों के विमानों के अन्तर हम नहीं देख सकते। निस्सन्देह हम अपने विमानों को जानते हैं। परन्तु हमें पहले यह पता करना पड़ता है कि क्या हमारा विमान उस क्षेत्र में तो नहीं है। जब हम देखते हैं कि यह हमारा विमान नहीं है, तो हम अनुभव करते हैं कि यह विदेशी विमान है। इसके अतिरिक्त और भी बातें होती हैं।

जहां तक भारत के उत्तर-पूर्व कोने का सम्बन्ध है, वहां चीनी विमानों के अतिरिक्त अन्य विमानों के होने की संभावना होती है। परन्तु उत्तर प्रदेश जैसे इस पश्चिमी क्षेत्र में ऐसी कोई सामान्य संभावना नहीं होती। असाधारण रूप से कुछ भी हो सकता है, परन्तु साधारणतया ऐसा नहीं होता। इसलिये अनुमान है कि पहले तो यह हमारा विमान नहीं है, इसलिये दूसरे यह विदेशी विमान है; तीसरे भूगोलिक दृष्टि से यह चीनी विमान है। हमें इस प्रकार अनुमान लगाना पड़ता है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई कि वायु में विमानों को पहचाना जा सके ? क्या सरकार अकर्मण्य दर्शकों की तरह न देख कर सकर्मण्य कार्रवाई करने तथा विमान को गोली मार कर गिराने का विचार करेगी, चाहे विमान किसी भी देश का हो और उस चेतावनी दिये बिना ऐसी कार्रवाई करने का विचार करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : रूस सरकार ४-५ वर्ष में अमरीकी विमान यू० २ को ढूंढ़ने और गोली मार कर गिराने में सफल हुई है। इससे ४ वर्ष पहले तक वे वहां काम करते रहे हालांकि उनके पास बड़ा वैज्ञानिक ज्ञान और शक्ति थी।

†**श्री कर्णीसिंह जी** : विमान २६ मिनट तक हमारे राज्य-क्षेत्र में रहा। मैं समझता हूं कि कोई जैट उस ऊंचाई तक लगभग ५ मिनटों में पहुंच सकता था। क्या हम मान्य तरीका अपना कर कम से कम अतिक्रमण करने वालों को नीचे उतरने को बाध्य नहीं कर सकते थे, यदि हम उन्हें गोली मार कर नहीं गिरा सकते थे ?

---

† मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है । जैट पास में वायु में खड़ा नहीं रहता है । जैट को किसी स्थान से आना पड़ता है ; हमें उनको सूचना देनी पड़ती है और इस में समय लगता है । (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री कर्णी सिंह जी** : सीमा के साथ साथ हमारा हवाई अड्डों का जाल है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जिस प्रकार माननीय सदस्य का आशय है हम उस प्रकार कैसे रक्षा कर सकते हैं ? जिस प्रकार उनका विचार है संसार की कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति ऐसा नहीं कर सकती ।

†**श्री कर्णी सिंह जी** : हमारे यहां बहुत से अतिक्रमण हो चुके हैं। हमें निश्चय ही कम से कम एक विमान को नीचे उतारना चाहिये था ताकि हम उसे पहचान सकते ।

†**श्री नाथपाई** : एक बार माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था उन्हें पहचानना बहुत कठिन है। इस से पहले प्रतिरक्षा मंत्री ने हमें बताया था कि हमने चीनी सरकार से विरोध किया। यदि हम विमान को पहचान नहीं सकते तो हमने विरोध कैसे कर दिया? माननीय प्रधान मंत्री जानते हैं कि अभी चीन ऐसे विमान नहीं बना रहा है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सकें और किसी अन्य देश ने उन्हें ये जहाज दिये होंगे। यदि चीन ऐसे विमान नहीं बनाता और हम भी तैयार नहीं करते, तो अवश्य कोई दूसरा देश उन्हें ये विमान देता होगा । यदि हमें स्रोत मालूम हो जाये कि वे किस देश से ये विमान लेते हैं तो हम उस देश से विरोध कर सकते हैं कि हमारा मित्र राष्ट्र क्यों उनको ऐसे विमान देता है जिनका प्रयोग भारत के विरूद्ध किया जाता है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं सभा के साथ बहुत स्पष्टवादी होने का प्रयत्न कर रहा हूं। ऐसे मामलों में साधारणतया ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि ऐसे मामलों में खुली बातचीत कई बार विरोधी पक्ष के लिये लाभदायक हो सकती है । (**अन्तर्बाधा**) माननीय सदस्य प्रश्न पूछते जा रहे हैं और मैं नहीं कहना चाहता । परन्तु मुझे उनको उत्तर देना पड़ता है । सामान्यतया ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते क्योंकि कोई उत्तर दूसरे पक्ष के लिये लाभदायक हो सकता है । मुझे यह कठिनाई है ।

मैं ने बताया था कि इस मामले में, हटाने के तरीके से और ढूंढ़ने के तरीके से नहीं हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यह चीनी विमान ही हो सकता है ।

†**श्री नाथपाई** : परन्तु वे आये कहां से ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल पूर्ण हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में मकानों की कमी

*८३. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मकानों की कमी को दूर करने और जमीन के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन ने एक योजना तैयार की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि के विकास के लिये योजना बनाई गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) दिल्ली में भूमि के अधिग्रहण, विकास और वण्टन के लिये दिल्ली के मुख्यायुक्त ने कुछ सुझाव दिये हैं।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में विज्ञान संग्रहालय

†*९४. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है और उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) और (ख). यह सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है कि एक विज्ञान संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए परन्तु ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

राजा रवि वर्मा के चित्र

†*९५. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के राजा रवि वर्मा के सभी मूल चित्रों (पेंटिंग्स) को संकलन करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या उस महान कलाकार के नाम पर कोई स्मारक बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उनके दो चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मार्डन आर्ट द्वारा अर्जित किये गये हैं । ललित कला अकादमी ने भी अपनी समकालीन भारतीय कला की पुस्तक-माला में एक एलबम प्रकाशित किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेट्रोलियम उत्पाद

†*९६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मांग का अनुमान है ; और

(ग) इस मांग की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का प्राक्कलन तैयार करने और उसके पुनरीक्षण के लिये निर्मित की गई तेल मंत्रणा समिति ने अपना कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है । पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अंगीकार किये जाने के लिये प्रस्तावित उपाय तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिये गये हैं। खोज, शोधन और वितरण के क्षेत्र में कार्य की गति बढ़ाने की योजना है ।

उत्तर प्रदेश को कोयले का संभरण

*९७. { **श्री ब्रजराज सिंह** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रार्थना की है कि लघु उद्योगों के लिये कोयले का अभ्यंश (कोटा) बढ़ा दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो कितना कोयला मांगा गया है ;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(घ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश को उसके औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के कारण अधिक कोयला देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो अधिक कोयला कब दिया जायेगा ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के राज्य कोयला नियंत्रक द्वारा सिफारिश किये गये वर्तमान अभ्यंश (कोटा) को उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों के लिये नियत किया है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राज्य-सरकार द्वारा सिफारिश किये गये उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकताओं के आधार पर कोयले का वण्टन (allotment) किया जाता है । अभी इस वण्टन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात कारखानों के लिये चूने के पत्थर और डोलोमाइट का संभरण

†*९८. श्री कोडियान :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री नथवानी :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात कारखानों के लिये आवश्यक चूने के पत्थर और डोलोमाइट का संभरण कम मात्रा में हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कच्ची सामग्रियों की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

नए संयंत्रों (विशेषकर दुर्गापुर और रूरकेला के संयंत्रों) के अपनी खानें न चालू कर सकने के कारण चूने के पत्थर की कुछ कमी पड़ी है। यदाकदा रेल परिवहन में होने वाली कठिनाइयों के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है । इसलिये वर्तमान स्रोतों से संभरण को नियंत्रित करना पड़ा ।

भिलाई इस्पात संयंत्र चूने के पत्थर और डोलोमाइट की निकासी क्रमशः नन्दिनी और हिर्री से कर रहा है और उसे कोई कठिनाई नहीं हुई है । रूरकेला की समस्त मांग पूरनपानी की खानों के यंत्रीकरण की समाप्ति पर ही पूरी होगी । चूंकि दुर्गापुर अपनी खानें अभी तक स्थापित नहीं कर सका है और पूरनपानी की खानों का पूर्ण यंत्रीकरण नहीं हो सका है, इसलिए इन दोनों संयंत्रों को संभरण की व्यवस्था मेसर्स बिसरा स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी और कुछ अन्य स्रोतों से की जा रही है । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति मेसर्स बिसरा स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी और सतना लाइम स्टोन कम्पनी से कर रही हैं। मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को भी अपने चूने के पत्थर और डोलोमाइट का संभरण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है ।

परन्तु फिर भी चूने के पत्थर का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान तथा नये और तीसरी पंचवर्षीय योजना में विस्तार किये गये इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए नए स्रोतों के लिए अनुसन्धान भी जारी हैं । चूने के पत्थर की कम्पनियों का उत्पादन बढ़ जाने और नए स्रोतों का विकास हो जाने पर आशा है कि वे कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रूस से प्राप्त ऋण से चलायी जाने वाली परियोजनायें

†*९९. श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :
श्री पांगरकर :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने साठ करोड़ रुपये का जो कर्जा देने की पेशकश की है उससे चालू की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कौन कौन सी हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् । इस कर्ज से वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में इस समय एक रूसी प्रतिनिधि-मण्डल के साथ बातचीत चल रही है जो ६ फरवरी, १९६१ को भारत आया था ।

यूनाइटिड प्राविन्सिस कर्मशियल कारपोरेशन

†*१००. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के यूनाइटिड प्राविन्सिस कर्मशियल कारपोरेशन को समुद्र सीमा शुल्क विनियमों और आयात नियंत्रण विनियमों को उल्लंघन करने के सम्बन्ध में पिछले वर्षों में कई बार चेतावनी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो १९५८, १९५९ और १९६० में कितनी बार चेतावनी दी गयी; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस फर्म पर सीमा शुल्क विधियों के अधीन कितने मामलों में जुर्माना किया गया और अन्तर्ग्रस्त राशि कितनी थी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक बार १९५८ में, चार बार १९५९ में और एक बार १९६० में ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

वर्ष	मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि
१९५८	१	२८० रुपए जुर्माना
१९५९ .	१	३,००० रुपए जुर्माना और १००० रुपए व्यक्तिक अर्थ-दंड
१९६० .	३	११,३०० रुपए जुर्माना २८,०९० रुपए जुर्माना १५,६८० रुपए जुर्माना

केन्द्रीय संस्कृत संस्था

†*१०१. { **श्री आसर :**
श्री वाजपेयी :

क्या **शिक्षा** मंत्री केन्द्रीय संस्कृत संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में ९ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर में शुद्धि करने के लिये अपने ७ दिसम्बर, १९६० को दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्थापित केन्द्रीय संस्कृत संस्था के स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संस्था कहां स्थापित की जायेगी ; और

(ग) निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां श्रीमान् ।

(ख) तिरुपती ।

(ग) निर्माण कार्य होने तक के लिए तिरुपती के देवस्थानम् प्राच्य संस्था की इमारत प्रस्तावित केन्द्रीय संस्कृत संस्था को सौंप देने को राजी हो गए हैं ।

भारत-पाक कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति सम्बन्धी मामले

†*१०२. { **श्री रामजी वर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री साधन गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने दोनों देशों में कतिपय प्रकार के विस्थापित कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति अथवा अधिवार्षिकी पेंशन के दावों की अदायगी करना स्वीकार कर लिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस करार के अधीन किस किस वर्ग के कर्मचारी सम्मिलित होंगे ; और

(ग) ऐसे कौन से नियम लागू किये जा रहे हैं जिनसे उन्हें पेंशन तथा सेवा निवृत्ति सम्बन्धी लाभ प्राप्त हो सकें ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पाकिस्तान सरकार के साथ हुए विभिन्न करारों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) पेंशनें संबंधित सरकारों द्वारा विस्थापित कर्मचारियों पर प्रव्रजन के समय लागू नियमों के अनुसार मंजूर की जाती हैं ।

प्रविधिक विषयों पर सस्ती पुस्तकें

†*१०३. **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री सूपकार :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक विषयों सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकों के सस्ते संस्करण तैयार कराने और उनके वितरण की योजना अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). योजना का व्योरा तैयार किया जा रहा है ।

सोने का तस्कर व्यापार

†*१०४. **श्री यादव नारायण जाधव** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में "ईस्टर्न मून" नामक जहाज के चीनी क्वार्टर मास्टर और एक अन्य चीनी नाविक की जहाज पर तलाशी ली गयी थी और उन्हें सोने के तस्कर व्यापार के अपराध में गिरफ्तार किया गया ;

(ख) यदि हां, तो तलाशी का व्योरा क्या है ;

(ग) जहाज से कितना सोना पकड़ा गया ; और

(घ) तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है ।

विवरण

३१ दिसम्बर, १९६० को 'ईस्टर्न मून' नामक जहाज में नियुक्त पाल लगाने वालों के दल के चार सदस्यों को कलकत्ता कस्टम कर्मचारियों द्वारा जेट्टी गेट पर रोक लिया गया था । मेटल डिटेक्टर द्वारा परीक्षण किए जाने पर पता लगा कि उनमें से दो व्यक्ति अपने शरीर पर या शरीर के अन्दर सोना छिपाए हुए हैं । इस पर उन दोनों व्यक्तियों ने सोने की चार चार छड़ें निकाल कर दी । पूछताछ किए जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें वह सोना जहाज पर एक चीनी क्वार्टर-मास्टर और एक चीनी नाविक से प्राप्त हुआ था । इन दोनों चीनियों, उनके जहाज पर रहने की जगह और जहाज की सामान्य तलाशी ली गई परन्तु कोई और परिणाम नहीं निकला । जहाज से कोई सोना बरामद नहीं हुआ था ।

उन दो श्रमिकों से सोने की कुल ८ छड़ें बरामद हुई थीं जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग १६ तोले था तथा जिनका कुल मूल्य लगभग १७,१०० रुपए था ।

(घ) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कस्टम प्राधिकारियों के समक्ष न्याय-निर्णयन कार्यवाही और दांडिक कार्यवाही की जा रही है ।

अध्यापक

†*१०५. **श्री एन्थनी पिल्ले :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री तंगामणि :
श्री अमजद अली :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ३५वें अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की ओर से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें अध्यापकों को १०० रु० न्यूनतम वेतन देने और अध्यापकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक वेतन आयोग नियुक्त करने की मांग की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रपाड़ा में पालीटेक्नीक

†*१०६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केन्द्रपाड़ा नामक स्थान पर स्थापित की जाने वाली पालीटेक्नीक संस्था अब तक स्थापित की जा चुकी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी क्या कठिनाई है जिसके कारण इसकी स्थापना अभी तक नहीं हो सकी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) पालीटेकनीक चालू हो गया है और विद्यार्थियों का पहला दल डिप्लोमा कोर्स में भर्ती किया गया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सन्था से ऋण

†*१०७. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री खुशवक्त राय :
श्री झामानी :
श्री अ० मु० तारिक : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास सन्था भारत को २३.७५ करोड़ रु० ऋण दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख) उपयुक्त परियोजनाओं के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सन्था के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा चल रही है । भारत को दी जाने वाली सहायता के संबंध में संघ द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

नूनमती का तेल शोधक कारखाना

†*१०८. { **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमती (गोहाटी) में सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने की स्थापना हो चुकी है ;

(ख) क्या डिब्रूगढ़ में नाहरकटिया और मोरन में अब तक खोदे गये कुओं में से उत्पादन शुरू हो गया है ; और

(ग) इन कुओं से कितना वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) नहीं, श्रीमान् । इस परियोजना का निर्माण कार्य अभी चल रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकारी क्षेत्र के तेल शोक कारखानों को संभरण करने के लिए नाहरकटिया और मोरन में खोदे गए कुओं से उत्पादन अभी तक शुरु नहीं हुआ है। परन्तु डिगोबी के तेल शोधक कारखाने के संभरण के लिए थोड़ी सी मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है ।

(ग) आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से वार्षिक उत्पादन तेल क्षेत्रों का पूर्णतः विकास किए जाने और तेल की मात्रा का अंतिम निर्धारण किए जाने के पश्चात् ज्ञात होगा। इस समय इन कुओं से २७.५ लाख टन अशोधित तेल का प्रति वर्ष उत्पादन करने की योजना है ।

आसवान बांध क्षेत्र में पुरातत्वीय खुदाई

†*१०९. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक भी दल का मार्गदर्शन करने के लिये दल के साथ गये थे ;

(ख) क्या आसवान में खुदाई करने वाले पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से कोई प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) इस खुदाई कार्य के सम्बन्ध में (एक) यात्रा भत्ते, (दो) खुदाई कार्य से सम्बन्धित वास्तविक व्यय, और (तीन) खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को भारत लाने के कार्य के लिये कितनी धन राशि निर्धारित की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) खुदाई के लिये स्थान चुनने के लिये पुरातत्व विभाग के महानिदेशक को लगभग १० दिनों के लिये मिश्र भेजा गया था ।

(ख) खुदाई अभी तक शुरू नहीं हुई है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) (१) यात्रा भत्ता	३६,३०० रुपये
(२) खुदाई व्यय	१,००,००० रुपये
(३) सामान की ढुलाई	३,००० रुपये

जूते तैयार करने का कारखाना[1]

†*११०. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री आसर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की सरकारी "हारनेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी" में एक बूट संयंत्र की स्थापना के लिये किसी अन्य देश से मशीनें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र के कब स्थापित होने की सम्भावना है ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Boot- [illegible]t :

(ग) क्या कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कहां दिया जायेगा : भारत में अथवा विदेश में ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) अधिकांश मशीनें पहुंच चुकी हैं और शेष के दो महीनों में आ जाने की आशा है ।

(ख) संयंत्र की स्थापना मशीनों की प्राप्ति के पश्चात् ३-४ महीनों के अन्दर हो जायेगी ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) एक अधिकारी को प्रेग (चेकोस्लोवेकिया) की मेसर्स कोवो फर्म में प्रशिक्षण दिया जाना है ।

रूरकेला इस्पात

†*१११. { **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में उत्पादित इस्पात का निर्यात किये जाने से पहले उसका यथोचित रूप से परीक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अपेक्षित स्तर का था; और

(ग) इसका निर्यात किस कीमत पर किया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) रूरकेला स्टील वर्क्स से लगभग १२५ लाख रुपये के मूल्य के इस्पात के डले और टुकड़े निर्यात किये गये हैं ।

सीमान्त सड़कें

†*११२. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त सड़कों के लिये अपेक्षित सामान और मशीनें, जिन्हें मंगवाने के लिये रूस और अमरीका में आर्डर दिये गये थे, प्राप्त हो गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य लगभग कितना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). यह सूचना सभा में प्रकट करना जनहित में नहीं होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में नगरीय पंचायतें

†*११३. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दिल्ली में नगरीय पंचायतों की स्थापना करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इन पंचायतों का स्वरूप, कृत्य और अधिकार क्या होंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन की जनसम्पर्क समिति ने दिल्ली के नागरिक क्षेत्रों में समिति की सहायक संस्थाओं के रूप में काम करने के लिये इलाका पंचायतों के निर्माण के कुछ प्रस्ताव भेजे हैं । वे प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन हैं ।

जीवन बीमा पालिसी जारी करना

*११४. { **श्री अनिरुद्ध सिंह :**
श्री दामानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने संयुक्त जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत पालिसियां जारी करना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) (क) जी हां । जीवन बीमा निगम ने पति और पत्नी के जीवन के लिये संयुक्त जीवन बीमा पालिसियां जारी करना बन्द कर दिया है ।

(ख) बात यह है कि संयुक्त जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत जिन पत्नियों का बीमा किया गया उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम को बहुत ही कटु अनुभव हुआ ।

तीसरा वित्त आयोग

†*११५. { **श्री तंगामणि :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वित्त आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है ;

(ख) इसकी रिपोर्ट कब तक मिलने की संभावना है ;

(ग) क्या चालू वर्ष की समाप्ति से पहले अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निदेश दिये गये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९६१ के अन्त में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से अन्तरिम प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है।

(घ) भारत सरकार द्वारा किन्हीं निदेशों के दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

भिलाई इस्पात संयंत्र

†*११६. **श्री अमजद अली** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ जनवरी, १९६० को भिलाई इस्पात संयंत्र में कोक भट्टी की गैस से सांस घुटने के कारण बहुत से कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी ;

(ख) यदि हां, तो सांस घुट जाने से कुल कितने कर्मचारी मारे गये ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मुद्रा का तस्कर व्यापार

†*११७. **श्री नाथ पाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से एक रुपये के नोटों के रूप में बहुत सा धन अवैध रूप में मलाया ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि अब तक अवैध रूप से मलाया में कितना रुपया ले जाया गया है; और

(ग) सरकार का एक रुपये के नोटों के इस अवैध व्यापार को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) सरकार यह नहीं मानती है कि भारत से एक रुपये के नोटों के रूप में बहुत सा धन अवैध रूप से मलाया ले जाया जा रहा है।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

ग्राम्य बीमा योजना

†*११८. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राम्य बीमा योजना पर विचार कर लिया है और उसे अन्तिम रूप दे दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना को पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कैसे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

गृह-रक्षक

*११९. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में गृह-रक्षक दलों की स्थापना की गई है; और

(ख) क्या राजनैतिक दलों के सदस्यों को उनमें सम्मिलित होने की मनाही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पजाब, केरल राज्यों तथा दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में नगर सैनिक दल अथवा ऐसे वैधानिक स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता

†*१२०. { **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **विधि** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की योजना के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** राज्य सरकारों से और कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

†मूल अंग्रेजी में

रुद्र सागर में तेल निक्षेप

†*१२१. श्री डी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री स० अ० मेहदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री कोडियान :
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका राय :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **इस्पात् खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में रुद्र सागर में कुंआ संख्या १ में दिसम्बर, १९६० में तेल पाया गया था ;

(ख) वहां से अनुमानतः कितना तेल मिलने की आशा है ; और

(ग) उस तेल की किस्म कैसी होगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तेल क्षेत्र के विस्तार और तेल की मात्रा का निर्धारण करने के लिये बहुत से कुएं खोदने होंगे ।

(ग) अभी तक किए गए प्रयोगशाला परीक्षणों से ऐसा मालूम होता है कि वह तेल काफी हल्का है और उसमें मोम का अंश काफी है । परन्तु विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है ।

श्रीमती एलन राय हत्या कांड

†*१२२. श्री उस्मान अली खाँ :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
डा० क० ब० मेनन :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री यादव नारायण जाधव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय खुफिया विभाग कर्मचारियों ने, जिन्हें कि श्रीमती एलन राय की हत्या का भेद जानने का काम सौंपा गया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस बात का कोई संकेत मिला है कि यह हत्या राजनैतिक कारणों की वजह से की गयी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) श्रीमती राय की हत्या की जांच में खुफिया विभाग ने उत्तर-प्रदेश पुलिस की सहायता की थी ।

(ख) इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हत्या किसी राजनैतिक विचार से की गई है ।

लौह अयस्क का उपयोग

*†१२३. { **श्री राधाकृष्ण गुप्त** :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क के चूरे का उपयोग किये जाने की समस्या का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गयी हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टैंकों का निर्माण

†*१२४. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री उस्मान अली खाँ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री म० रं० कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल पश्चिम जर्मनी तथा इंगलिस्तान गया था और उसने वहां निर्माताओं से भारत में भारी तथा दरम्याने आकार के टैंक बनाने के लिये संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी एक प्रस्ताव के सिलसिले में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) हां, श्रीमान्। सैनिक मुख्यालय, प्रतिरक्षा और वित्त (प्रतिरक्षा) मंत्रालय के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिसम्बर-जनवरी में अन्य देशों के साथ पश्चिम जर्मनी भी गया था।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल ने अपना प्रतिवेदन २ फरवरी, १९६१ को पेश किया था जिसमें उसके द्वारा जांच किए गए विभिन्न प्रस्तावों की वित्तीय तथा प्रविधिक अन्तर्ग्रस्ततायें बताई गई थीं। प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

शस्त्र नियम

†*१२५. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पांगरकर :
श्री हेम राज :

क्या गृह-कार्य मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० को शस्त्र नियमों के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास और गुजरात राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) शस्त्र नियमों का प्रारूप तैयार करने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) मद्रास सरकार का उत्तर मिल गया है।

(ख) और (ग) नियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और उन्हें यथाशीघ्र अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

ह्विटले कौंसिल

*१२६. श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या गृह-कार्य मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ह्विटले कौंसिल्स की स्थापना सम्बन्धी सुझाव के बारे में क्या प्रगति हुई है?

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : एक योजना तैयार कर ली गई है। आशा है कि अन्तिम निर्णय शीघ्र ही किया जायेगा।

सुई गैस

†*१२७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री धनगर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान से सुई गैस प्राप्त करने के लिए और आगे बातचीत की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

होमगार्ड

†*१२८. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में होमगार्डों के कार्यों एवं उनके संगठन में एकरूपता लाने के सम्बन्ध में मार्ग तथा उपाय मालूम करने के हेतु एक उच्चस्तरीय निकाय की स्थापना करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सिलसिले में यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो उसका ब्योरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख) मई, १९६० में होमगार्डों के संबंध में हुए अन्तर्राज्यीय सम्मेलन की सिफारिश पर विभिन्न राज्यों/प्रशासनों में होमगार्ड संगठनों के कार्यों का समन्वय करने और ऐसे संगठनों के कार्यकरण में यथासंभव एकरुपता लाने के लिए एक होमगार्ड मंत्रणा समिति निर्मित की गई है। उस समिति में राज्य सरकारों/प्रशासनों के मनोनीत सदस्य और एक केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि हैं। उसकी पहली बैठक बम्बई में १७,१८ और १९ दिसम्बर, १९६० को हुई थी और अन्य बैठकें समय-समय पर होती रहेंगी जिनका उद्देश्य होमगार्ड संगठनों के संगठन, प्रशिक्षण, प्रशासन और अन्य पहलुओं से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने और सिफारिशें करना है।

†मूल अंग्रेजी में

बोकारो तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र

†*१२९. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में प्रथम श्रेणी के कोयले की खोज करने और उसका खनन करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) इन निक्षेपों में प्राप्त कोयल की किस्म सम्बन्धी परीक्षण के क्या परिणाम निकले हैं,

(ग) यदि कोयले की मात्रा सम्बन्धी कोई विश्लेषण किया गया है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(घ) इन कोयला क्षेत्रों में कोयले के खनन के बारे में क्या प्रबन्ध किये गये हैं?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ) आवश्यक सूचना वाला विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

नवाब भोपाल का उत्तराधिकारी

†*१३०. { श्री यादव नारायण जाधव :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नवाब भोपाल के उत्तराधिकारी की निजी थैली का मामला झगड़े में पड़ा हुआ है,

(ख) क्या यह भी सच है, कि भूतपूर्व नवाब के सही उत्तराधिकारी का निर्णय करने के बारे में विवाद रहा है,

(ग) क्या वह विवाद समाप्त हो गया है, और

(घ) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) तीन व्यक्तियों ने भोपाल की गद्दी के उत्तराधिकार का दावा किया था जिनमें से राजकुमारी मेहर ताज साजिदा सुल्तान बेगम को शासक के रूप में मान्यता दी गई है। नए शासक को ६.७ लाख रुपए प्रतिवर्ष की निजी थैली मंजूर की गई है।

यूनेस्को के साथ सहयोग सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय आयोग

†*१३१. **श्री प्र० च० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को के साथ सहयोग सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को कार्यक्रम के अधीन विदेशों के स्कूलों में प्रयोगार्थ भारत की राष्ट्रीय संस्कृति एवं

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन सम्बन्धी अध्यापन एवं पठनीय सामग्री वाली पुस्तकों की अंग्रेजी में पांडुलिपियां मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पांडुलिपियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या है;

(ग) क्या कोई पांडुलिपि अभी तक आई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ३० अप्रैल, १९६१ ।

(ग) अभी तक नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

उर्वरक कारखाने के लिये विकास ऋण निधि से ऋण

†*१३२. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकास ऋण निधि ने गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना लगाने के लिए कुछ ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की है; और

(ग) किस सार्थ को यह ऋण दिया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

निवेली संयंत्र

†*१३३. **श्री तंगामणि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेली में ब्रीक्वेटिंग[1] तथा कार्बोनाइजिंग संयंत्र लगाने के लिए टेन्डर आये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान अनुमानित व्यय क्या है;

(ग) क्या यह कार्य किसी सार्थ को दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निबन्धन और शर्तें क्या हैं, तथा अनुमानत: यह कब तक समाप्त हो जायेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Briquetting and Carbonising Plant.

†इस्पात, खान ग्रौर ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). जी हां । टेंडर प्राप्त हो गए हैं और उनको छानबीन के परिणामस्वरूप एक विदेशी फर्मों के संघ के साथ शीघ्र ही वार्ता प्रारंभ की जाने वाली है जिसका प्रस्ताव प्रावधिक दृष्टि से तथा अन्य प्रकार से स्वीकार किए जाने योग्य पाया गया है। लागत और शर्तों तथा निबन्धनों के बारे में सही स्थिति इस वार्ता के समाप्त हो जाने पर ही ज्ञात होगी। श्रोक्वेंटिंग तथा कार्बोनाइजिंग संयंत्र प्रारंभिक उत्पादन के लिए ठेका किए जाने की तारीख से लगभग तीन वर्षों में तैयार हो जाएगा ।

धातु मिश्रित तथा औजारी इस्पात संयंत्र

†*१३४. **श्री उस्मान अली खाँ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ८००० टन के धातु मिश्रित तथा औजारी इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए सरकार को टाटा की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ग) परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां श्रीमान् प्रतिवर्ष ६०,००० टन तैयार इस्पात के लिए।

(ख) नहीं, श्रीमान्। उसकी जांच की जा रही है।

(ग) पूरी परियोजना की लागत के अनुमान प्रतीक्षित हैं।

जम्मू तथा काश्मीर का खनन सर्वेक्षण

†*१३५. { **श्री अ० मु० तारिक** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर के विभिन्न भागों का अभी हाल में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण के आधार पर किसी स्थान विशेष पर लिगनाइट, कोयला तथा जिप्सम जैसे खनिज पदार्थ प्राप्त हुये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). आवश्यक सूचना वाला विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या २१**]

उत्तर प्रदेश में तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम

†*१३६. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अ० म० तारिक :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम शरण :

क्या शिक्षा मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को जारी करने के काम में कितनी प्रगति हुई है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए पुनरीक्षित प्राक्कलन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन हैं।

काश्मीर में विमान दुर्घटना

†*१३७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काश्मीर की विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** :(क) हां, श्रीमान्।

(ख) दुर्घटना का कारण पोर्ट इंजन का बिगड़ जाना था जिसके परिणामस्वरूप विमान एक इंजन पर कांग ताला दर्रा पार करने के लिए १५,५०० फीट ए० एस० एल० की ऊंचाई नहीं कायम रख सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

†*१३८. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुबिमन घोष :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री का० चं० जेना :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडिया आफिस लाइब्रेरी के बारे में सरकार ने इंगलिस्तान की सरकार से जो पत्र-व्यवहार किया है उस में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : ब्रिटेन की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ और चर्चा हुई है परन्तु उस के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन ने यह तय किया था कि तीनों सरकारों के करार के बिना कोई सूचना प्रकट न की जाए।

अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

१३९. श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा की योजना स्वीकार करने और उसे कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : कार्यकारी दल की रिपोर्ट अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक टन वाले ट्रकों का निर्माण

†*१४०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में एक टन वाले ट्रकों का निर्माण करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक ट्रक का मूल्य क्या होगा ; और

(ग) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय को गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा जो ट्रक संभरण किये जाते हैं, उन के मूल्य की अपेक्षा इन ट्रकों का मूल्य कम है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) अभी तक २३० ट्रकों का निर्माण हुआ है ।

(ख) प्रत्येक ट्रक की अनुमानित लागत १६.५४८, १८ रुपए है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

मिनीकाय और लक्कादीव द्वीप

†**१६४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में अब तक मिनीकाय और लक्कादीव टापुओं में विकास योजनाओं पर कुल कितना व्यय सरकार ने किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : लक्कादीव, मिनीकाय, और अमीनदीवी टापुओं में विकास योजनाओं पर वर्ष १९६०–६१ (दिसम्बर, १९६०) में ७,५१, ३८४ रुपये व्यय किया गया है ।

दिल्ली में अपहरण के मामले

†**१६५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ की तुलना में वर्ष १९६० में विवाहित महिलाओं तथा अविवाहित कुमारियों को भगाने के कितने मामले दिल्ली में हुए हैं ; और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में कितनी महिलाओं तथा कुमारियों को फिर से प्राप्त किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** :

		१९५९	१९६०
(क)			
	(१) महिलाएं .	१७	७
	(२) कुमारियां	७	४
(ख)	(१) महिलाएं	१६	६
	(२) कुमारियां . . .	६	४

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश पर बकाया ऋण

***१६६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६० को आंध्र प्रदेश पर केन्द्रीय सरकार का कुल कितना ऋण शेष था ;

(ख) ३१ मार्च, १९६० को आंध्र प्रदेश पर केन्द्रीय सरकार ऋण का कुल कितना ब्याज शेष ;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश ने ब्याज की मद में अब तक कुछ भुगतान किया है ; और

(घ) यदि हां तो राज्य सरकार ने अब तक कुल कितना धन दिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) लगभग १४२.७८ करोड़ रुपये ।

(ख) से (घ). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९५६–५७ से १९५९–६० तक आन्ध्र प्रदेश सरकार पर ब्याज तथा उसके द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का विवरण :

(करोड़ रुपयों में)

	बकाया राशि	दी गई राशि
१९५६–५७	२.२८	२.२८
१९५७–५८ .	३.९३	३.९३
१९५८–५९ .	३.२४	३.२४
१९५९–६०	३.७६	३.७६
	१३.२१	१३.२१

मत्स्यपालन, कृषि तथा भूगर्भशास्त्र में स्नातक उपाधि

†**१६७. श्री वें० प० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने विश्वविद्यालयों में मत्स्यपालन, कृषि तथा भूगर्भशास्त्र में स्नातक परीक्षाओं का प्रबन्ध है, और

(ख) वर्ष १९६०–६१ में सारे देश में इन विषयों की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जायेगी वैसे ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान

†**१६८. श्री वें० प० नायर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार देश के विश्वविद्यालयों में किये जाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान की कोई सूची रखती है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या पग, यदि कोई उठाये गये हैं, उठाये गये हैं?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) तथा (ख). भारतीय विश्वविद्यालयों में किये जाने वाले अनुसंधान के बारे में मंत्रालय के पास सामयिक प्रतिवेदन आते हैं और उन की प्रतियां भारत के सभी विश्वविद्यालयों को वितरित कर दी जाती हैं। अनुसंधान की पुनरावृत्ति सामान्यतः नहीं होती क्योंकि जहां कहीं भी कोई व्यक्ति यदि अपने आप भी किसी समस्या पर कार्य करता है तो उसकी पृष्ठ भूमि एवं उस के कार्य करने के साधन विभिन्न होते हैं।

रबड़ प्रौद्योगिकी

†**१६९. श्री वें० प० नायर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत के कितने विश्वविद्यालयों में रबड़ प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम चल रहे हैं; और

(ख) तृतीय योजना के दौरान में अनुमानतः कितने प्रशिक्षित रबड़ प्रौद्योगिकों की आवश्यकता है होगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) रबड़ प्रौद्योगिकी का विशेष अवर-स्नातक पाठ्यक्रम इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनोलोजी खरगपुर में चल रहा है । यह विषय हाई पोलीमरस के अंग के रूप में दो विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता रहा है ।

भौतिक इंजीनियरिंग के पहले स्नातक पाठ्यक्रम में भी रबड़ प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण का कुछ अंश रहता है ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने रबड़ प्रौद्योगिकों की आवश्यकता पड़ेगी इसका अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है ।

सरकारी उपक्रमों में सरकारी पदाधिकारी

†**१७०. श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अपने उपक्रमों में १ जनवरी १९६१ तक केन्द्रीय सरकार के कितने प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी काम करने के लिये वहां भेजे गये हैं ; और

(ख) आजकल उन्हें प्रति मास कूल कितना प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मराठी भाषा का विकास

†१७१. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा के विकास के लिये वर्ष १९६०–६१ में अब तक कोई अनुदान मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना अनुदान दिया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) वर्ष १९६०–६१ के लिये तो नहीं बल्कि वर्ष १९६१–६२ के लिये।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई योजना के लिये महाराष्ट्र सरकार को वर्ष १९६१–६२ के लिये २१,२४३ रुपये दिये गये हैं।

महाराष्ट्र में पुरातत्वीय खुदाई

†१७२. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में महाराष्ट्र राज्य में और पुरातत्वीय खुदाई का कार्य करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर खुदाई करने की आशा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) वर्ष १९६०–६१ के लिये तो कोई प्रस्ताव नहीं है । वर्ष १९६१–६२ के लिये अभी कोई कार्यक्रम तैयार नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

परली-बैजनाथ में अयस्कनिक्षेत्र

†१७३. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में परली बैजनाथ (महाराष्ट्र) के निकट काफी मात्रा में अयस्क निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस निक्षेप की मात्रा क्या है तथा वह अयस्क किस किस्म का है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर और त्रिपुरा के लिये लोहे की चादरों का संभरण

†१७४. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में त्रिपुरा तथा मनीपुर में कितनी लोहे की चादरों की मांग थी ; और

(ख) किस हद तक उस मांग की पूर्ति की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). संभरण की मांग आई थी और वित्तीय वर्ष के अनुसार आवंटन किये जाते हैं।

टनों में

वर्ष	राज्य	मांग	आवंटन	माल भेजा गया * (अप्रैल से नवम्बर ६०)
१९६०–६१	मनीपुर	२,३१५	२,१५६	९९७
१९६०–६१	त्रिपुरा	५,३६८	१,८५८	१९५ @

*नियंत्रित माल विक्रेताओं के माल से अतिरिक्त क्योंकि उन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

@त्रिपुरा राज्य अपना अधिकांशतः संभरण उस राज्य के नियंत्रण अधिकार प्राप्त विक्रेताओं से लेता है जो आंकड़े दिये गये हैं वे नियंत्रण अधिकार प्राप्त विक्रेताओं द्वारा भेजे गये माल से अतिरिक्त हैं।

बिहार के लिये लोहा और इस्पात का संभरण

†१७५. **श्री पांगरकर** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक बिहार के लिये कितनी मात्रा में लोहे तथा इस्पात की आवश्यकता है ; और

(ख) उस में से कितनी मात्रा उनको दी गई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :

(क) तथा (ख). (१) **इस्पात** — **टनों में**

	मांग/आवश्यकता	आवंटन	भेजा गया/संभरण
१९५९–६०.	११७,३५८	७०,४४१	४९,४१३
१९६०–६१	१२९,०९०	१००,७२२	४२,५३६ (अप्रैल से दिसम्बर ६० तक)
(२) **कच्चा लोहा***			
१९५९–६० .	. .	. .	१५,९०९
१९६०–६१ (अप्रैल से दिसम्बर ६० तक) .	. .		१९,५१७

*कच्चे लोहे का आवंटन १९५९ की दूसरी छमाही से बन्द कर दिया गया है। बिना किसी अधीकरण के उपभोक्ता अपनी मांग भेज सकते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

तम्बाकू का उत्पादन

†१७६. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में राजस्थान में प्रतिवर्ष कुल कितना तम्बाकू उत्पन्न हुआ है;

(ख) गत चार वर्षों में प्रति वर्ष कुल कितना उत्पाद शुल्क प्राप्त हुआ है; और

(ग) किस ढंग से यह शुल्क लगाया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) तथा (ख).

वर्ष	तम्बाकू का उत्पादन किलोग्राम में	कुल उत्पादन शुल्क (मूल तथा अतिरिक्त जो प्राप्त हुआ) रुपयों में
१९५६–५७	३५७७२००	४१,०५,६०८ मूल
१९५७–५८	२५१३०९२	४७,१६,३७३
१९५८–५९	३४४२०११	६१,३८,२७५
१९५९–६०	२१००११२	५२,३४,१६६

(ग) सामान्यतः उत्पाद शुल्क घोषित उत्पादन पर लगाया जाता है जिस की जांच वास्तविक तौल तथा औसत उत्पाद के आधार पर की जाती है। उत्पादकों द्वारा घोषित उत्पाद तथा निकाले गये औसत उत्पाद के मामले में जब अधिक अन्तर होता है तथा ऐसे मामलों में जब कि उत्पादक/अभिसाधक निर्धारित सीमा से अधिक उत्पाद करते हैं जो कि केन्द्रीय उत्पाद नियंत्रक ने निश्चित की है और वह उस उत्पाद को वार्षिक विवरण दिये बिना अथवा गलत वार्षिक विवरण देता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक/अभिसाधक को यह सूचना दी जाती है कि क्यों न प्रति एकड़ उत्पादन के आधार पर बिना पूछ ताछ किये उत्पाद शुल्क न लगा दिया जाना चाहिये। उत्तर मिलते पर उस मामले की छान बीन की जाती है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, १९४४ के नियम ३७–के अधीन उत्पाद शुल्क की मांग की जाती है ।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को वित्तीय सहायता

†१७७. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) उड़ीसा राज्य में इस प्रकार की प्रति वर्ष सहायता प्राप्त बच्चों की जिलेवार संख्या क्या है; और

(ग) ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जिन के बारे में कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार विचार कर रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) : (क) उड़ीसा राज्य में राजनैतिक पीड़ितों को प्रति वर्ष दी जाने वाली वित्तीय सहायता दिखाने वाला विवरण उन्हीं सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या १७९ के उत्तर में सभा पटल पर रख दिया गया था। इस वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को उन की शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति तथा शिक्षा सम्बन्धी राशि देने के लिये एक योजना उड़ीसा राज्य में १९५९-६० में शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार भारत सरकार प्रत्येक राज्य में किये जाने वाले व्यय का आधा भार उठायेगी। अतः उड़ीसा राज्य को इस योजना के लिये वर्ष १९५९-६० के लिये केन्द्रीय सरकार के अंश के रूप में २,८३६ रुपये राज्य सरकार को दे दिये गये थे।

(ख) तथा (ग). चूंकि उल्लिखित योजना का पूर्णदायित्व राज्य सरकार का है अतः जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

इस्पात संयंत्र

†१७८. **श्री कुम्भार : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला में १ जनवरी, १९६१ को हर एक श्रेणी के कितने कितने कर्मचारी थे; और

(ख) उन में से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख).

श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
भिलाई इस्पात सयंत्र			
श्रेणी १	६४०	१	..
श्रेणी २	३०३	२	..
श्रेणी ३	१०,९४७	१८७	८२
श्रेणी ४	३,९२१	१,२९५	१३०
रूरकेला इस्पात सयंत्र			
श्रेणी १	४५४	..	..
श्रेणी २	१९८	१	..
श्रेणी ३	६,००४	८१	९३
श्रेणी ४	४,९५३	३३०	६२६
दुर्गापुर इस्पात सयंत्र			
श्रेणी १	४५६	२	..
श्रेणी २	१३५	२२	..
श्रेणी ३	५,२९५	१०४	१२
श्रेणी ४	३,५८१	६००	११०

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में राजनैतिक पीड़ित

†१७९. **श्री कुम्भार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को राजनैतिक पीड़ितों की सहायता आदि के लिये कितना धन दिया जाता है;

(ख) उड़ीसा के प्रत्येक जिले में ऐसे कितने कितने व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रति वर्ष ऐसी सहायता दी जाती है; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिन के बारे में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) तथा (ख). जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) जहां तक कि केन्द्रीय सरकार की बात है वह एक व्यक्ति के बारे में विचार कर रही है ।

विवरण

वर्ष	कुल दी गई राशि	राजनैतिक पीड़ितों की संख्या
१९५५–५६ .		
१९५६–५७	२,५००	२
१९५७–५८ .	६००	१
१९५८–५९ .	१००	१
१९५९–६० . . .	२,१५०	५
१९६०–६१ (१ फरवरी, १९६१ तक)	२,१००	३

तार का वितरण

†१८०. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के तार अथवा तार सम्बन्धी उत्पादों का वितरण मद्रास के एक अभिकरण द्वारा किया जाता है जो कि मद्रास और केरल को भी माल का वितरण करती है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि यह अभिकरण एक दूसरे राज्य में है और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों से काफी दूर पड़ती है अत: माल के मिलने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा देर भी होती है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया है कि मद्रास केरल और आन्ध्र प्रदेश के लिये जो केवल एक ही अभिकरण रखा गया है उस के टुकड़े कर के आंध्र प्रदेश के लिये अलग से एक अभिकरण बनाया जाये;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है,

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो वह क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इस सम्बन्ध में और विस्तृत बातें क्या हैं; यदि कोई हैं तो ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं। मद्रास, केरल और आन्ध्र प्रदेश के लिये तार तथा तार-उत्पाद का वितरण के लिये केवल एक ही अभिकरण नहीं है। राज्य सरकार तथा अभ्यांशधारियों को इस बात की छट है कि वे तार तथा तार-उत्पादों सम्बन्धी माल सीधे उत्पादकों अथवा राज्य के विभिन्न पंजीकृत माल विक्रेताओं से लें जिनके अभ्यांश सीधे उत्पादकों को भेजे जाते हैं।

(ख) से (च). आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं आया है। हालांकि राज्य सरकार ने इस्पात नियंत्रक को सन् १९५९ में यह सुझाव दिया था कि आन्ध्र प्रदेश में नियंत्रण प्राप्त विक्रेताओं को तार तथा तार-उत्पादों के बेचने की छूट दी जाये लेकिन लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने उन को यह सूचना दी थी कि तार-उत्पादों की कमी के कारण उस समय तक यह संभव नहीं है जब तक इस क्षेत्र में स्थिति का विकास नहीं हो जाता कि नये नियंत्रण प्राप्त विक्रेताओं को तार तथा तार उत्पादों को बेचने की अनुमति दी जाये। राज्य सरकार को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि वह राज्य के छोटे कुटीर उद्योगों के लिये वह तार पंजीकृत विक्रेताओं से ले ले और वास्तविक उपभोक्ता उत्पादकों को सीधे अपनी मांग भेज सकते हैं।

लोक सहायक सेना

†१८१. **श्री कुम्भार** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सहायक सेना प्रशिक्षण योजना के लागू होने के बाद से विभिन्न राज्यों में तथा संघ द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में कितने लोक सहायक सेना प्रशिक्षण शिविर खोले गये हैं एवं उनके नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक शिविर पर कितना व्यय हुआ है तथा प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ग) उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). लोक सहायक सेना प्रशिक्षण योजना जो १ मई, १९५५ से शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक प्रत्येक राज्य तथा संघ प्रशासित क्षेत्रों में लोक सहायक सेना प्रशिक्षण शिविरों के नाम तथा प्रत्येक शिविरों में प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षितों की संख्या बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]**

प्रत्येक शिविर पर कितना धन व्यय हुआ इस के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

पंजाब में केन्द्रीय "बाद की देखभाल" गृह

†१८२. **श्री डी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल पंजाब में कितने केन्द्रीय "बाद की देखभाल" गृह चल रहे हैं;

(ख) वे किन किन स्थानों पर हैं;

(ग) इन गृहों में कितने व्यक्ति रह रहे हैं।

(घ) क्या और कोई गृह खोलने का विचार है; और

(ङ) क्या इन गृहों का काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ङ). वांछित जानकारी एकत्रित की जा रही है और जैसे ही मिल जायेगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विद्यार्थियों म अन्तर्राज्यीय भावना की वृद्धि

†**१८३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में माध्यमिक स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों में अन्तर्राज्यीय भावना की वृद्धि करने के लिये कितने क्षेत्रीय शिविर चल रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : कोई क्षेत्रीय शिविर तो नहीं थे। लेकिन जनवरी, १९६१ में गणतन्त्र दिवस पर नई दिल्ली में माध्यमिक स्कूलों की एक अखिल भारतीय अन्तर्राज्यीय रैली अवश्य हुई थी।

अंदमान और निकोबार में अन्तरद्वीपीय संचार के लिये जहाज

१८४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपों में अन्तरद्वीपीय संचार के लिये एक जहाज खरीदने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). सरकार ने इस उद्देश्य से एक जहाज खरीदने का निश्चय किया है और उस के निर्माण का आदेश दिया जा चुका है।

सरकारी कर्मचारी

१८५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशिष्ट पदों पर स्थायी बनाये गये कर्मचारियों को उच्च पदों पर अर्धस्थायी घोषित नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें, यदि वे उच्च पदों पर अर्धस्थायी होने की सारी शर्तें पूरी करते हों, अपने पदों पर बने रहने के वे सब अधिकार देती है जो अर्धस्थायी कर्मचारियों को दिये जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोर्ट ब्लेयर में लड़कियों का स्कूल

१८६. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर में लड़कियों के स्कूल का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य स्थानों पर भी ऐसे स्कूल खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) लगभग ६ महीने में ।

(ख) अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रौस द्वीप (पोर्ट ब्लेयर) में नारियल के बागान

१८७. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का पोर्ट ब्लेयर के रौस द्वीप में नारियल का एक बागान लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां। रौस द्वीप में नारियल का एक बागान सरकार द्वारा पहले ही लगाया जा चुका है ।

(ख) इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल १०० से १२० एकड़ है। इसमें से लगभग ९० एकड़ में बागान लगाये जा चुके हैं। शेष क्षेत्र बागान के लिये ठीक नहीं है।

फिल्म वित्त निगम

१८८. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम के संचालक-मण्डल के कौन-कौन सदस्य हैं; और

(ख) इन सदस्यों को क्या क्या कार्य सौंपे जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नाम नीचे लिखे अनुसार हैं :

१. श्री एन० डी० मेहरोत्रा अध्यक्ष
२. श्री एन० जे० कामत सरकारी निदेशक
३. श्री सी० वी० आर० पणिक्कर सरकारी निदेशक
४. श्री इजरा मीर सरकारी निदेशक
५. श्री पी० एस० नाडकर्णी सरकारी निदेशक
६. श्री टी० एस० राजम गैर-सरकारी निदेशक
७. श्री एम० एच० हाशम प्रेमजी गैर-सरकारी निदेशक
८. डाक्टर के० बी० भरूचा गैर सरकारी निदेशक
९. श्रीमती रेणु मुकर्जी गैर-सरकारी निदेशक

(ख) निगम के काम का प्रबन्ध निदेशक बोर्ड करता है ।

मनीपुर और त्रिपुरा में बच्चों की शिक्षा

१८९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर और त्रिपुरा में ६ वर्ष से ले कर ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों में बच्चे अपनी इच्छा से अधिक संख्या में स्कूल में भर्ती हो सकें ताकि अनिवार्य शिक्षा आरम्भ करने के लिये मार्ग प्रशस्त हो सके।

हिन्दी शिक्षक

१६०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लगभग आठ महीने पहले सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की योजना के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षकों के पदों के लिये आवेदन पत्र मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कार्य के लिये उपयुक्त व्यक्ति चुन लिये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विषय में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दी शब्दावली

१६१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री हिन्दी शब्दावली बनाने के काम में लगे कर्मचारियों की संख्या, उन के वेतनक्रम, नियुक्ति की तारीखें, और पदों के नाम बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उप-निदेशक	२	९००-५०-१२०० रुपये	एक १४-१-१९५९ को और दूसरा १६-२-१९६० को
सहायक-निदेशक	५	७००-४०-९०० रुपये	२८-१०-१९५९ २५-११-१९५९ १-१२-१९५९ २२-१२-१९५९ और १७-१-१९६१
सहायक शिक्षा अधिकारी.	१	४००-२५-५०० ३०-५९० कु० रो० ३०-६८० रुपये	८-२-१९५४
अनुसन्धान सहायक	४५	३२५-१५-४७५ कु०रो० २०-५७५ रुपये	२७-१-१९५४ और १७-१२-१९६० के बीच विभिन्न तारीखों को

तकनीकी सहायक	. .	६	२१०-१०-२९० १५-३२० कु० रो० १५-४२५ रुपये	२४-८-१९५७ और २२-१२-१९६० के बीच विभिन्न तारीखों को ।

टीन की प्लेटों का आयात

†१९२. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में विकास ऋण निधि कार्यक्रम के अधीन टीन की प्लेटों के आयात के लिए उपलब्ध की गई धनराशि से कितनी मात्रा में टीन की प्लेटों का आयात करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : लगभग २०,००० टन ।

तीसरी योजना के लिये विदेशी सहायता

†१९३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी योजना में प्राप्त ८७१ करोड़ रुपये के ऋण में से २२० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता को तीसरी योजना में लिया जायेगा ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ योजनायें चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पूरी हो जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) विदेशी ऋणों को तीसरी योजना में ले जाने की राशि तभी बता दी जायेगी जब सभा में १९६१-६२ का आय-व्ययक सभा पटल पर रख दिया जायेगा और उस में १९६०-६१ (पुनरीक्षित प्राक्कलन) में विदेशी ऋणों के उपयोग की राशि बता दी जायेगी ;

(ख) और (ग) अधिकृत ऋणों के एक अंश का अग्रेनयन करने का एक कारण यह है कि कुछ योजनायें जिन को यह सहायता दी गई है, दूसरी योजना के अन्त तक पूरी नहीं हो पायेंगी । विशेष परियोजनाओं के लिये निश्चित यह सहायता दूसरी परियोजना पर व्यय नहीं की जा सकती है । दूसरा कारण यह है कि कुछ ऋणों का उपयोग उन्हीं देशों में किया जा सकता है जिन से ऋण लिया जा रहा हो । इन सीमाओं के कारण तथा उच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के लिये ऋणों का उपयोग करने की सरकारी नीति के कारण और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर उन योजनाओं के लिए आवश्यक यंत्रों का उन्हीं देशों से खरीदने के लिए, आर्डर देने के कारण, इतना समय लगना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त कुछ ऋण चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में अधिकृत किये गये थे इसलिये इस योजनावधि में इसका उपयोग करना संभव नहीं था; और

(घ) जिन परियोजनाओं को विदेशी सहायता दी गई है वह धीरे धीरे पूरी होने वाली है और परियोजना प्रतिवेदन, जिसको बनाने में समय लगता है, में निर्धारित अवधि के अनुसार ही पूरी हो सकती हैं । नमूने के आधार पर यंत्रों तथा मशीनों के निर्माण के आर्डर तभी दिये जा सकते हैं जब उन की आवश्यकता हो और सम्भवतया आर्डर देने के दो वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि में वस्तुओं को लिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुरुद्वारा शीशगंज

†१९४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में गुरुद्वारा शीशगंज के सामने कितनी हिंसात्मक घटनायें हुईं ; और

(ख) कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) पांच ।

(ख) १२७ पुलिस अधिकारियों समेत १८४ व्यक्ति इन घटनाओं में घायल हुए । एक घायल व्यक्ति अस्पताल में मर गया था ।

सौ रुपये के नये नोट

१९५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक की घोषणा के अनुसार सौ रुपये के नये नोटों का चलन कब से आरम्भ होगा ;

(ख) सौ रुपये के नोट के स्वरूप को बदलने के क्या कारण हैं ;

(ग) नये नोटों की क्या विशेषतायें और उपयोगिता है ; और

(घ) इन नोटों के स्वरूप में क्या परिवर्तन किये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नये डिजाइन के १०० रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी १९६१ के पहले हफ्ते में जारी किये थे ।

(ख) से (घ) नोट का रूप इसलिये बदला गया कि जाली नोट बनाना और भी मुश्किल हो जाय और साथ ही भारतीय संविधान की अनुसूची आठ में दी गई सभी चौदह भाषाओं में नोट की रकम लिखी जा सके । भारतीय रिजर्व बैंक ने नये नोट के रंग-रूप के बारे में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उस की एक प्रति इसी के साथ लगी है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३]**

मोगा के निकट विमान दुर्घटना

†**१९६. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोगा के निकट भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटना के कारणों की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कारण क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां । परन्तु मोगा के निकट वायु सेना का केवल एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ।

(ख) जब चालक आकाश में अभ्यास कर रहा था उस समय विमान चक्कर खाने लगा और चालक उन चक्करों से अपने को न बचा पाया । बहुत नीचे आ कर वह विमान से कूदा और पेराशूट खुलने से पहले ही ज़मीन पर गिरा और मर गया । विमान चक्कर खाता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा और उस में आग लग गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेश जाने वाले विद्यार्थी

†१९७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लाभ के लिये प्राच्य पाठ्यक्रम का प्रबन्ध करने के सुझाव पर कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् इन पाठ्यक्रमों को बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में पढ़ाने का प्रबन्ध करती हैं । पहला पाठ्यक्रम बम्बई में आरम्भ होगा । यह ४ से ६ दिन की अवधि का होगा और भारतीय सांस्कृतिक प्रथा, आर्थिक तथा सामाजिक विकास, राजनैतिक संस्थायें तथा विदेश नीति के बारे में प्रवचन दिये जायेंगे । सरकारी छात्रवृत्ति पाने वाले व्यक्तियों तथा ग़ैरसरकारी विद्यार्थियों को इन से लाभ उठाने की सलाह दी जायेगी ।

पुरातत्वीय विभाग का उत्तर-पश्चिम सर्किल

†१९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरातत्वीय विभाग के उत्तर-पश्चिम सर्किल के मुख्य-कार्यालय को दिल्ली से देहरादून ले जाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : उत्तर-पश्चिम सर्किल के अधीक्षक एक ज़मींदार से उस के मकान को लेने के बारे में समझौता कर रहे हैं।

ईसाई धर्म के प्रसार के लिये विदेशों से सहायता

१९९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के लिये १९५७ से ले कर १९६० तक प्रतिवर्ष विदेशों से कितना धन प्राप्त हुआ ;

(ख) इन देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक से कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(ग) क्या सरकार ने ईसाई धर्म के प्रसार के लिये विदेशों से प्राप्त होने वाले धन के व्यय अथवा वितरण के लिये कोई नीति निर्धारित की है और यदि हां, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख) सूचना को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ग) जी नहीं ।

विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

†२००. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ तथा १९६० में सरकार को विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग अथवा तस्कर व्यापार के कितने मामलों और विदेशी बैंकों में हिसाब रखने वाले कितने व्यक्तियों का पता लगा है तथा इन में से कितने मामलों की जांच की जा चुकी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५६ तथा १९६० में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामलों में कितने अभियोग लगाये गये तथा सजायें दिलाई गईं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सरकार के एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को निम्नलिखित मामलों का पता लगा है :—

	१९५९	१९६०
(१) विदेशी मुद्रा का कथित दुरुपयोग	१९	९१
(२) विदेशी बैंकों में कथित हिसाब रखना	३७	२७

इन सभी मामलों की जांच हो चुकी है ।

(ख) उपरिलिखित किसी भी मामले में अभियोग नहीं लगाये गये हैं ।

मुद्रा अथवा अन्य वस्तुओं के तस्कर व्यापार के मामलों तथा ऐसे मामलों में अभियोग लगाने के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

पाकिस्तानी नागरिक

२०१. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या गृह-कार्य मंत्री ११ फरवरी १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन ५७३ पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया था उनमें से कितनों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई और किस आधार पर ;

(ख) क्या उनमें से ऐसे लोगों को भी नागरिकता प्रदान की गई है जिन्हें इस सम्बन्ध में सजा दी गई थी; और

(ग) वर्ष १९५९ और १९६० में कितने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई और कितने पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत की नागरिकता के लिये आवेदन किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारी

२०२. श्री भक्त दर्शन: क्या प्रतिरक्षा मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा संस्थानों के जिन असैनिक कर्मचारियों ने जुलाई, १९६० में आम हड़ताल में भाग लिया था उनकी पुर्नानियुक्ति के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): असैनिक कर्मचारियों को वापस लेने में जिनके विरुद्ध १९६० को आम हड़ताल में भाग लेने के कारण अनुशासन संबन्धी मामले स्थगित थे दिसम्बर १९६० से सन्तोषजनक प्रगति हुई है ।

२६ व्यक्ति मुअत्तिल हुये हैं, और उनके विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही शीर्घ ही सम्पूर्ण होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोहियों द्वारा जनसंख्या प्रगणक पर हमला

†२०३. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ जनवरी, १९६१ को कांगपोकपी माओ नामक स्थान पर नागा विद्रोहियों ने एक जनसंख्या प्रगणक से १०० रुपये तथा कुछ अन्य दस्तावेज छीन लिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तापहओ के निकट एक असैनिक ट्रक पर हमला किया गया और उस पर सवार व्यक्तियों से उनका सामान छीन लिया गया, और

(ग) यदि हां, तो जनसंख्या प्रगणकों तथा अन्य व्यक्तियों की हिफाजत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) २ तथा ३ जनवरी, १९६१ की रात्रि को सशस्त्र नागा विद्रोही माओ पुलिस स्टेशन के ग्राम पुनानामेई के जन संख्या प्रगणक के मकान में घुस गये और कुछ पत्र, १०० रुपये नकद और १५ रुपये के मूल्य के दो कम्बल ले गये।

(ख) ३ जनवरी, १९६१ को ६.३० बजे तापहओ के निकट डीमापुर इम्फाल रोड पर लगभग ३० नागा विद्रोहियों ने एक असैनिक ट्रक पर हमला किया और ३०४ रुपये के कपड़े और १० रुपये नकद ले गये ।

(ग) इन स्थानों की देखभाल की जा रही है और इम्फाल-डीमापुर रोड पर असैनिक गाड़ियों के लिये सशस्त्र सिपाहियों की व्यवस्था की जा रही है ।

भारत सरकार के तीसरी श्रेणी के कर्मचारी

†२०४. **श्री गोरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के स्थाई आदेशों के अनुसार तीसरी श्रेणी के कर्मचारी अपने को काम दिलाऊ दफ्तरों में ऊंचे पदों के लिये पंजीबद्ध नहीं करा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की ऊंचे पदों पर पदोन्नति की क्या व्यवस्था है ; और

(ग) अपेक्षित अर्हता वाले तीसरी श्रेणी के सरकारी कार्मचारियों के अपने विभागों में ऊंचे पदों पर पदोन्नति के क्या अवसर हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सेवा में लगे हुये कर्मचारियों की केवल कुछ श्रेणियों को ऊंचे पदों की आकांक्षा के लिये काम-दिलाऊ दफ्तरों में पंजी बद्ध होने की अनुमति है। उस आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ख) उनके लिये निर्धारित भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऊंचे पदों में पदोन्नति होती है ।

(ग) तीसरी श्रेणी के अधिकांश उच्च पदों जैसे सुपरिटेंडेंट, हेडक्लर्क अपर डिवीजन क्लर्क आदि तथा कुछ दूसरी श्रेणी के पदों को पूर्णतः पदोन्नति से अथवा अंशतः पदोन्नति से तथा अंशतः प्रत्यक्ष भरती से पूरा किया जाता है। प्रत्यक्ष भरती का कोटा निर्धारित करते समय तथा भरती नियमों के अधीन पदोन्नति करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि उचित अवधि में विभागीय व्यक्तियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर मिलें ।

†मूल अंग्रेजी में

रत्नगिर में संग्रहालय

†२०५. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक जिले में रत्नगिर में संग्रहालय के निर्माण के प्राक्कलन बना लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलित धनराशि कितनी है ; और

(ग) प्रस्तावित संग्रहालय का निर्माण कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख) प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं।

(ग) संभवतया १९६२–६३ में ।

'सेवक' पत्रिका को वित्तीय सहायता

†२०६. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११११२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'सेवक' नामक पत्रिका के प्रकाशन के लिये उड़ीसा राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बन्द करदी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह धन राशि अन्य किसी कार्य पर व्यय करदी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९६०–६१ में तो इसको बन्द नहीं किया गया है ; परन्तु राज्य सरकार को बता दिया गया है कि १९६१–६२ के बाद वह नहीं दी जायेगी ।

(ख) यह विचार किया गया है कि सरकार को पत्रिकाओं, साप्ताहिक पत्रों, समाचार-पत्रों आदि को वित्तीय सहायता नहीं देनी चाहिये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में अस्पृश्यता निवारण

†२०७. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की दलित वर्ग लीग ने राज्य सरकार से अस्पृश्यता निवारण के लिये केन्द्रीय सहायता लेने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) लीग ने राज्य सरकार को किस प्रकार की रुकावटें बताई हैं ; और

(घ) क्या वे रुकावटें अब हटा दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा सरकार ने बताया है कि लीग के लेखों की लेखा परीक्षा राज्य वित्त विभाग कर रहा है और वह उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में है।

(ग) और (घ) भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। यह मामले राज्य सरकार से संबंधित हैं।

यौगिक आसन

†२०८. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हेम राज :
श्री सूपकार :

क्या **शिक्षा** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यौगिक आसनों का चिकित्सा विषयक मूल्य जानने के लिए बनाई गई समिति ने उसी स्थान पर अध्ययन करने के लिए संस्थाओं का दौरा किया है ; और

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). समिति ने अब तक ११ संस्थाओं का दौरा किया है। शेष संस्थाओं का मार्च तथा अप्रैल में दौरा करने की आशा है। आशा है कि समिति मई, १९६१ के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

'आनन्द बाजार पत्रिका' द्वारा जीवन बीमा निगम के ऋणों का भुगतान

†२०९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' के कर्मचारियों से 'आनन्द बाजार पत्रिका' लिमिटेड द्वारा जीवन बीमा निगम से लिये गये ऋणों के भुगतान के बारे में अभ्यावेदन मिला है क्योंकि 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' के मालिक भी वही ह ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) यूनियन को सूचित कर दिया गया है कि मामला जीवन बीमा निगम से सम्बन्धित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तलाक के मामले

†२१०. **श्री पहाड़िया** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में भारत के विभिन्न न्यायालयों में तलाक के कितने मुकदमे दायर किये गए ; और

(ख) तलाक के आवेदन पत्रों में मुख्य कारण क्या बताये गये हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). भारत में तलाक की विधि, ईसाइयों के लिये भारतीय तलाक अधिनियम १८६९, पारसियों के लिये पारसी विवाह तथा तलाक अधिनियम, १९३६, मुसलमानों के लिये मुस्लिम विधि तथा हिन्दुओं के लिये हिन्दु विवाह अधिनियम, १९५५ में बताई गई है। इन जातिगत कानूनों के अतिरिक्त विशेष विवाह अधिनियम १९५४ में भी इस अधिनियम के अधीन किये गये विवाहों का तलाक होने की व्यवस्था है। तलाक के इन विभिन्न कानूनों की क्रियान्विति राज्य सरकारों पर निर्भर है। उपयुक्त जानकारी इकट्ठी करने में अधिक समय लगेगा इसलिए एकत्रित हो जाने पर यह जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जामा मस्जिद, दिल्ली

†२११. { **श्री आसर** :
श्री वाजपेयी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में जामा मस्जिद, दिल्ली की मरम्मतों पर खर्च करने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या कोई और उदाहरण भी है जहां ऐसी इमारतों की मरम्मत के लिये धन खर्च किया जाता है, जो रक्षित स्मारक नहीं होते ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) क्योंकि जामा मस्जिद बड़े ऐतिहासिक एवं वास्तुकला का महत्व का स्मारक है, इसलिये सरकार इसकी सुरक्षा में दिलचस्पी रखती है और केन्द्रीय पुरातत्व विभाग मरम्मत करवा रहा है।

(ख) तथा (ग). सरकार ने अजमेर में दर्गाह ख्वाजा साहब की शाहजहानी मस्जिद की विशेष मरम्मत की मंजूरी दी है।

छावनियों में खेती योग्य भूमि

†२१२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति यह है कि छावनियों में खेती योग्य भूमि को खेती के लिये सहकारी संस्थाओं को पट्टे पर दिया जाए ; और

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि फीरोजपुर छावनी में भूमि उन सहकारी संस्थाओं को न दी जाकर, जो इसे लेने को तैयार थीं, गैर-सरकारी व्यक्तियों को दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सरकार की नीति यह है कि छावनियों में फालतू खेती योग्य भूमि, जिस पर सैनिक फार्मों या रैजमेंटों के फार्मों अथवा सशस्त्र सेनाओं की सहकारी संस्थाओं द्वारा खेती नहीं की जा सकती, लोगों और संस्थाओं को निर्धारित प्राथमिकता क्रम के आधार पर पट्टे पर दी जाती है। वे लोग जिनके पास इस समय भूमि पट्टे पर है और भूस्वामियों के द्वारा भूमि लिये जाने के परिणामस्वरूप जो काश्तकार विस्थापित हो गये हैं उन्हें साधारणतया सहकारी संस्थाओं के ऊपर अधिमान दिया जाता है।

(ख) फीरोजपुर छावनी में १९५८-५९ में भूमि आवंटन के लिये तीन सहकारी संस्थाओं ने प्रार्थना की थी। उन्हें अधिक सूचना देने के लिये कहा गया था ताकि उनकी प्रार्थना पर विचार किया जाये। वे ऐसा करने में विफल रहीं। इसलिये योजना के अन्तर्गत भूमि को लेने के लिये जो अन्य लोग अर्ह थे, उन्हें भूमि दे दी गई।

सीमान्त सड़कें

†२१३. **श्री हेम बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो सीमान्त सड़कें बनाई जा रही हैं विशेषकर भारत-तिब्बत सीमा पर, वे गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा बनाई जा रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने सड़कें बनाने के लिये विशेषकर मुख्य तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें जिन्हें "इस उद्देश्य के लिये स्थापित किये गये सैनिक बोर्डों के परामर्श से बनाया जाना चाहिये" कुछ शर्तें निर्धारित की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या हाल में जो सीमान्त सड़कें बनाई गई हैं उनके मामले में इन शर्तों का पालन किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). हमें उल्लिखित शर्तों का कोई ज्ञान नहीं है।

सरकारी कर्मचारी

†२१४. **श्री वें० प० नायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों द्वारा संग्रहित धन का जो इसकी सूचना देते हैं, सरकार किस प्रकार अभिलेख रखती है; और

(ख) ऐसे संग्रहों के कितने प्रतिशत का सत्यापन किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) केन्द्रीय असैनिक सेवाओं (आचार) नियमों, १९५५ के नियम १५(३) के अनुसार प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं का प्रत्येक सदस्य सरकारी नौकरी में पहली बार आने पर और उसके बाद प्रति वर्ष उस सब अचल सम्पत्ति के बारे में सूचना देता है, जिसका वह स्वामी है, उसने प्राप्त की है या उसे उत्तराधिकार में मिली है। इसके अतिरिक्त नियम १५(४) के अन्तर्गत सरकार किसी भी समय सरकारी कर्मचारी को कह सकती है कि उसके पास जितनी चल या अचल सम्पत्ति है उसके बारे में पूरा विवरण दे और इस शक्ति का प्रयोग उपयुक्त मामलों में किया जाता है।

(ख) प्रतिशतता निश्चित नहीं है। परन्तु सत्यापन किया जाता है जब सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त विवरणों से या अन्यथा, ऐसा करना वांछनीय प्रतीत होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण उच्च शिक्षा

२१५. { **श्री खुशवक्त राय :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् की बैठक हाल में उदयपुर में हुई थी ;

(ख) परिषद् ने उक्त बैठक में क्या सिफारिशें कीं ; और

(ग) उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण साथ लगा है ।

विवरण

ग्राम उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् ने अपनी आठवीं बैठक में जो ७, ८ जनवरी, १९६१ को उदयपुर में हुई थी, निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कीं :—

१. यदि निधि उपलब्ध हो तो चुने हुए ग्राम संस्थानों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाएं :—

(१) सामुदायिक विकास और सहकारिता में उत्तर-डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(२) सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम ।

(३) प्रारम्भिक शिक्षा की सामान्य योजना के अन्तर्गत अवर स्तर का ।

(४) शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम जो साथ साथ चलें ।

२. कृषि विज्ञान में दो साल के वर्तमान प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम को बढ़ा कर उच्च माध्यमिक के बाद तीन वर्ष के पाठ्यक्रम में बदल दिया जाए ।

३. यदि निधि उपलब्ध हो तो तीसरी आयोजना की अवधि में तीन और ग्राम संस्थान खोले जायें ।

४. ग्राम संस्थानों में अनुसन्धान विभागों की स्थापना की जाये ।

५. प्रत्येक पाठ्यक्रम में, अन्तिम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने के अतिरिक्त हर ग्राम संस्थान में सब से अच्छे समाज कार्यकर्त्ता को भी उपयुक्त पुरस्कार दिये जाने चाहियें ।

६. कुछ स्थितियों में चुने हुए ग्राम सेवकों को ग्राम-सेवा के चार वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दो वर्ष की छूट दी जाये तथा ग्राम संस्थानों में आगे अध्ययन करने के लिए वे दाखिल किये जाएं ।

७. ग्राम संस्थानों के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के संचालन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा मंडल की स्थापना की जाये ।

परिषद् की विभिन्न सिफारिशों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियां

†२१६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, उड़ीसा में, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवंटित राशि में से कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों को किस प्रकार की चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की गई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]**

केरल में मध्य-कालीन निर्वाचन

†२१७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मध्य कालीन निर्वाचनों की अवधि १९६२ में समाप्त होगी ; और

(ख) क्या १९६२ में अन्य राज्यों के साथ साथ केरल में भी सामान्य निर्वाचन होंगे ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) पिछले वर्ष निर्वाचित केरल केरल विधान सभा १९६५ तक चलेगी, जब तक कि राज्यपाल विशेष कारणों से उसे इससे पहले भंग न कर दे।

(ख) १९६२ में अन्य राज्यों के साथ केरल में भी सामान्य निर्वाचन होंगे किन्तु केवल लोक-सभा के लिये।

उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२१८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूरभंज, धेनकनाल, सम्बलपुर, पुरी, कटक और तलचार क्षेत्रों के भूतत्वीय सर्वेक्षण के बारे में पूरी सूचना अब तक प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में, विशेषकर पुरी जिले में कैसा और कितना अयस्क निक्षेप हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). जीं, नहीं। तथापि अब तक जो खोज की गई हैं, उनसे यह पता चला है कि मयूरभंज, बालासोर, क्योंझर, कटक, धेनकनाल, पुरी, बोलंगीर-पटना, फूल बनी, कोरापूत, और कालाहांडी जिलों में, एपाटाइट, ऐसबैस्टस, बौक्साइट, इमारती सामान, क्रोमाइट, चिकनी मिट्टी, कोयला, सोना, ग्रेफाइट, लोह-अयस्क, इलमेनाइट, क्यानाइट, सीसा, चूने का पत्थर, और डौलोमाइट, मैंगनीज अभ्रक, खनिज रेग, माक्षीक (पाइराइट), स्फटिक, क्वार्टज़ाइट, शीशे की रेत, टाल्क स्टीटाइट और पौटस्टोन विद्यमान हैं तथा इनके निक्षेप हैं।

†मूल अंग्रेजी में

पिछले पांच वर्षों में की गई अधिक महत्वपूर्ण खोजें नीचे दी जाती हैं :—

(१) तलचार कोयला क्षेत्रों का मानचित्र लिया गया है और उसके बाद खुदाई की गई है। वहां २४६२.२० लाख टन तक अनुमानित निक्षेप प्रमाणित हैं। तलचार क्षेत्र की खोज अभी चल रही है और इस क्षेत्र में कोयले के और निक्षेपों के प्रमाणित होने की सम्भावना है।

(२) बोलगीर-पटना में सीसे की विद्यमानता की खोज।

(३) मयूरभंज में सीसे के लिये ८७३ फुट (२६६ मीटर) की खुदाई, और अभी तक जिन दो क्षेत्रों का परीक्षण किया गया है, वहां कोई निश्चयात्मक परिणाम नहीं निकला;

(४) चिल्का झील के इर्द गिर्द शैल चूने के पत्थर की खोज से कोई निश्चयात्मक परिणाम नहीं निकला तथा अब तक वहां इलमेनाइट-मैगनेटाइट रेतों की जो खोज की गई है उसका कोई उत्साहवर्धक परिणाम नहीं निकला।

(५) निर्यात के लिये सुकिण्डा तथा किरिबुरु लोह-अयस्क निक्षेपों का विस्तृत परीक्षण।

उपरोक्त जिलों में अयस्कों के निक्षेपों का स्वरूप तथा मात्रा भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के निम्न प्रकाशनों में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं:—

१. भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग। अभिलेख खण्ड ८५ भाग १ और खण्ड ८६, भाग १ के

२. भारतीय खनिज खण्ड ९ संख्या ३; खण्ड १०, संख्या ४, खण्ड ११, संख्या ४; खण्ड १२, संख्या ४, खण्ड १३, संख्या ४ और खण्ड १४, संख्या ४।

संयुक्त राज्य अमरीका से गैर-सरकारी पूंजी विनियोजन

†२१९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ में अब तक अमरीका ने भारत में कितनी गैर सरकारी पूंजी विनियोजित की है; और

(ख) किन उद्योगों में यह पूंजी लगाई गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अमरीकी पूंजी विनियोजन १९५८ के अन्त में इस प्रकार था :—

उद्योग	(राशि लाख रुपयों में)
पेट्रोलियम	४१,१८
निर्माण	१४८८
व्यापार	२५२
उपयोगी सेवाएं तथा परिवहन	५
खान	९
वित्तीय	४०
बागान	६
विविध	६७
योग	५९,८५

†मूल अंग्रेजी में

१९५९ सम्बन्धी इन आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है। १९६० और १९६१ सम्बन्धी योजना अभी उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा राज्य संग्रहालय

†२२०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री १४ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में राज्य संग्रहालय के विकास के लिये १९५९–६० और १९६०–६१ में भारत सरकार से और अधिक वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अधिक सहायता राज्य सरकार को दी गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) जी, हां।

(ख) १९६०–६१ में राज्य सरकार को ५५,००० रुपये आवंटित किये हैं, और १९५९–६० में १,५०,००० रुपये तथा १९५८–५९ में १,००,००० रुपये मंजूर किये गये थे।

उत्कल विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अनुसंधान

†२२१. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक अनुसन्धान करने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा सरकार तथा उत्कल विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा में उच्चतर वैज्ञानिक शिक्षा के सामान्य विकास के लिये कोई अनुदान दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). उड़ीसा को किसी अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कल विश्वविद्यालय को निम्न अनुदान दिये हैं, और जिन कामों के लिये ये अनुदान दिये गये हैं वे भी प्रत्येक के साथ दिये गये हैं :—

		रुपये
(१)	वैज्ञानिक उपकरण	१,८८,९५८
(२)	सब विज्ञान विभागों के लिये पुस्तकालय, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं .	६५,०००
(३)	नृविज्ञान और सांख्यिकी विभागों के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये आवर्त्तक अनुदान . .	३७,७२५
	योग	२,९१,६८३

मूसाबाग महल लखनऊ

†२२२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ के मूसाबाग महल को एक रक्षित स्मारक घोषित करने का विचार कर रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधन और सांस्कृतिक-कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास) :** जी, नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात संयंत्रों को कोयले का संभरण

†२२३. **श्री नलदुर्गकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों एवं उद्यमों को समय पर कोयले के संभरण के लिये इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री तथा रेलवे मन्त्री के बीच कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने तथा अच्छी किस्म का कोयला देने के लिये क्या कार्रवाई की गई हैं ;

(ग) ३१ दिसम्बर, १९६० को पूरे होने वाले तीन महीनों में कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ है और इस अवधि में विभिन्न उद्योगों तथा उपक्रमों को कितना कोयला दिया गया है; और

(घ) क्या यह सच है कि कोयले की कमी का प्रभाव इस्पात के उत्पादन पर पड़ा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). इस्पात खान और ईंधन तथा रेलवे मन्त्रियों के बीच अब नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं, जिनमें कोयले के उत्पादन तथा ले जाने के बारे में विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा होती है। दोनों मंत्रियों का यह सामूहिक प्रयत्न है कि परिवहन की कमी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी निम्नतम आवश्यकता का कोयला दिया जाता रहे। जहां तक किस्म का सम्बन्ध है, बढ़िया किस्म के कोयले का आवंटन इसकी वास्तविक उपलब्धता तथा आवश्यकता के अनुसार, जिसका विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं का प्रविधिक ढंग से अनुमान होता है, किया जाता है। अच्छे कोयले की उपलब्धता के लिये, विशेषकर इस्पात संयंत्रों के लिये, तीसरी योजना में बहुत से कोयला धोने के कारखाने लगाने का विचार किया गया है।

(ग) ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले तीन महीनों में कोयले का कुल उत्पादन लगभग १३० लाख टन था और इस अवधि में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को १२० लाख टन कोयला भेजा गया।

(घ) जी, नहीं। इस्पात संयंत्रों की प्राथमिकता कोयला संभरण के लिये बहुत बड़ी होती है और उन्हें पर्याप्त कोयला दिया जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास इस समय एक महीने का स्टाक है।

पांडिचेरी प्रशासन के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा

†२२४. **श्री प्र० च० बरुआ** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी प्रशासन के अराजपत्रित कर्मचारियों के प्राथमिक, माध्यमिक, तथा हाई स्कूलों में शिक्षा पाने वाले बच्चों को इस चालू वर्ष के प्रारम्भ से पाठ्यक्रम शुल्क देने से मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो इस छूट की पूर्ति करने के लिये केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष पांडिचेरी प्रशासन सरकार तथा गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं को कितनी राशि देनी पड़ेगी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को भी इसी प्रकार की छूट देने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) लगभग १८,००० रुपये।

(ग) जी नहीं।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों द्वारा चुकाये जाने वाला ब्याज

†२२५. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी : }

क्या **वित्त** मन्त्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्रों द्वारा अस्थगित भुगतान की शर्तों के अधीन ३१ दिसम्बर, १९६० तक कुल कितना ब्याज दिया जाना था; और

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान में प्रतिवर्ष कितना ब्याज बनेगा तथा कितना भुगतान करना पड़ेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) तथा (ख) आस्थगित भुगतान संविदा प्रायः कुल दायित्वों के रूप में होते हैं। अधिकांशतः मामलों में यह ब्याज आयातित माल के कुल मूल्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसलिये ब्याज की राशि अलग से निकालना सम्भव नहीं है और विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि ब्याज की दर हर मामले में अलग अलग होती है और साथ ही और भी बहुत सी बातों पर जैसे लदान की तिथियां तथा भारत में वास्तव में आने का दिन आदि पर निर्भर करता है लेकिन फिर भी १ अक्तूबर, १९६० तक जब तक कि जानकारी उपलब्ध है आयात की स्वीकृति सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर आस्थगित भुगतान की शर्तों के अधीन ब्याज सहित अनमानित राशि निम्न लिखित है :—

वर्ष	करोड़ रुपयों में
अक्तूबर १९६०—मार्च १९६०	१३.६४
१९६१–६२	२४.९६
१९६२–६३	२९.७६
१९६३–६४	२२.१५
१९६४–६५	१६.७०
१९६५-६६	११.४२

रुपड़ में प्राप्त चीजें

†२२६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अम्बाला जिले में रूपड़ नामक स्थान पर नालागढ़ टीले को राजा सुरेन्द्रसिंह से ६०,००० रुपये में क्रय किया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो इससे पुरातत्व विभाग को कितना लाभ होगा; और

(ग) उस टीले से कितनी पुरातत्वीय वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) इस टीले को अर्जित करने के बाद संघीय पुरातत्वीय विभाग ने और अध्ययन तथा खोज करने के लिये इसे रक्षित कर रखा है ;

(ग) भारत के विभाजन के पश्चात् रूपड़ ही पहले स्थान है जहां कि हड़प्पा संस्कृति के चिह्न मिले थे। वहां प्राप्त वस्तुओं से यह पता चला था कि हड़प्पा काल से लेकर मध्य युगीन समय तक की सभी वस्तुएं केवल कुछ समय को छोड़ कर, वहां प्राप्त हो सकती हैं। जो वस्तुएं प्राप्त हुईं थीं उनमें कला सम्बन्धी चीजें, कुम्भ कला की चीजें, मुहर, सिक्के, बर्तन (चांदी के बर्तनों सहित) तथा अन्य दूसरी वस्तुएं जो दैनिक उपयोग की हैं प्राप्त हुईं थीं। इन सभी प्राप्त वस्तुओं का सम्बन्ध विभिन्न संस्कृतियों से है।

अगरतला नगरपालिका का निर्वाचन

†२२७. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अगरतला नगरपालिका के निर्वाचन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यह निर्वाचन कब होने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)**: (क) तथा (ख) त्रिपुरा संघ क्षेत्र में बंगाल नगर-पालिका अधिनियम, १९४२ को यथाशीघ्र लागू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस अधिनियम को वहां लागू करने के बाद अगरतला नगरपालिका में निर्धारण का परिशोधन करने का विचार है ताकि नये अधिनियम के अधीन निर्वाचित नगर पालिका सदस्यों के पास काफी मात्रा में धन हो और वे आसानी से नगरपालिका प्रशासन का कार्य चला सकें। यह कार्य करने में कुछ समय लगेगा अतः हो सकता है कि इस कारण नगरपालिका का निर्वाचन अप्रैल १९६२ के बाद ही हो।

त्रिपुरा में आंधी से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

†२२८. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में सबरुम तथा बेलोनिया के उन व्यक्तियों को कुछ सहायता दी है जो अक्तूबर १९६० में आई प्रचण्ड आंधी के शिकार हुए थे;

(ख) यदि हां तो वह सहायता किस प्रकार की थी, और अब तक कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) और अनुमानित कितने रुपयों की सम्पत्ति की हानि हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आंधी से पीड़ित व्यक्तियों को निम्न प्रकार की सहायता दी गई है :—

(१) वृद्ध और अपाहन व्यक्तियों के १,४६५ परिवारों को जिनके पास आय के और कोई साधन नहीं है ३०,००० रुपये उपदान सुधार के रूप में दिये गये हैं।

(२) १५० परिवारों को १५,००० रुपये के अग्रिम ऋण दिये गये हैं; और

(३) ३९९ व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये रक्षित वनों से माल प्राप्त करने के लिये परमिट दिये गये हैं।

(ग) लगभग ७,०८,००० रुपये।

केरल में प्राथमिक शिक्षा

†२२९. **श्री कुन्हन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में प्राथमिक शिक्षा का विकास करने के लिये केरल सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में कितनी राशि दी जाने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये केरल सरकार को अब तक १३९.४८ लाख रुपये की राशि दी गई है।

(ख) चूंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये अभी नियतन नहीं किया गया है अतः यह जानकारी देना सम्भव नहीं है।

रिजर्व बैंक के केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्ड

†२३०. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री सभा पटल पर निम्नलिखित बातों की जानकारी देने वाला एक विवरण रखेंगे :

(क) भारत के रिजर्व बैंक के पुनर्गठित स्थानीय बोर्डों के केन्द्रीय बोर्ड में सदस्यों की संख्या तथा पुनर्गठित स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की सूची; और

(ख) बोर्ड के सदस्यों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखा गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) वांछित जानकारी बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) स्थानीय बोर्डों के सदस्यों का चुनाव रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा ९(१) में निहित "क्षेत्रीय तथा आर्थिक हितों तथा सहकारी एवं स्थानीय बैंकों के हितों का" यथा सम्भव प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से किया जाता है।

राज्य सम्बद्ध बैंकों[1] का विलय

†२३१. **श्री दामानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्बद्ध बैंकों का स्टेट बैंक आफ इण्डिया में इसके सहायक बैंकों के रूप में विलय करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]State associated Banks.

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सहायक बैंक) अधिनियम १९५९ में निम्नलिखित आठ सम्बद्ध बैंकों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सहायक बैंकों के रूप में निर्माण करने की व्यवस्था की गई है। उनका निर्माण उनके आगे लिखी तिथियों को किया गया है :

१. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	१–१०–१९५९
२. बैंक आफ बीकानेर	१–१–१९६०
३. बैंक आफ इन्दौर	१–१–१९६०
४. बैंक आफ जैपुर	१–१–१९६०
५. बैंक आफ त्रावणकोर	१–१–१९६०
६. बैंक आफ मैसूर	१–३–१९६०
७. बैंक आफ पटियाला	१–४–१९६०
८. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	१–५–१९६०

एकक न्यास[1]

†२३२. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने एकक-न्यास की एक योजना बनाई है ;

(ख) क्या वह सरकार को पेश कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई निश्चय किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) . भारत में विनियोजन और एकक न्यास स्थापित करने के प्रश्न के बारे में रिजर्व बैंक ने सरकार को एक नोट पेश किया है।

(ग) यह नोट विचाराधीन है।

दिल्ली में स्कूलों के बच्चों को जल-पान

२३३. **श्रीमती कृष्णा मेहता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग ने लगभग आठ सौ स्कूलों में विद्यार्थियों को जलपान देने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है और प्रति विद्यार्थी कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में ब्रिटिश और अमरीकी विनियोजन

†२३४. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ब्रिटिश और अमरीकी विनियोजन में १९४८ की तुलना में आजकल उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Unit Trust.

(ख) यदि हां, तो इन देशों के विनियोजन में कितनी वद्धि हुई है और १९५९-६० के दौरान में सरकार द्वारा ऐसी कौन सी योजनाओं की मंजूरी दी है, जिन में विदेशियों द्वारा सहयोग दिया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण नीचे दिया जाता है जिस में यह बताया गया है कि १९४८ और १९५८ के अन्त में ब्रिटेन और अमरीका का भारत में कितना विनियोजन था और उस में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(करोड़ रु० में)

	जून, १९४८ के अन्त में	१९५८ के अन्त में	१९४८ की तुलना में १९५८ में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत
ब्रिटेन . . .	२०६.०२	३९८.०३	९३.२%
सं० रा० अमरीका . .	११.१७	५९.८५	४३५.८%

जहां तक १९५९-६० के भारत सरकार द्वारा मंजूर की गयी ऐसी योजनाओं का सम्बन्ध है, जिन में विदेशियों द्वारा सहयोग दिया जाना है, उन के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

"पालम पर उतरने के प्रमाण पत्र"

†२३५. **श्री धनगर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाले यात्रियों को प्रमाणपत्र सादे कागज पर जारी किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उतरने के प्रमाणपत्र अपेक्षित मुद्रित 'फार्म' पर नहीं दिये जाते, इसलिये अन्य पत्तनों के सीमा-शुल्क अधिकारी इन्हें स्वीकार नहीं करते ; और

(ग) यदि हां, तो विमान यात्रियों की सहायता के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है ; ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). अभी हाल ही में केवल एक शिकायत मिली थी जिस में यह पाया गया था कि उतरने का प्रमाणपत्र सादे कागज पर जारी किया गया था और उस पर सीमा-शुल्क विभाग की मुद्रा नहीं थी। यह कार्य जल्दी जल्दी में किया गया था और इस मामले को ठीक कर दिया गया था। जिस प्रमाणपत्र पर सीमा-शुल्क विभाग की मोहर हो उसे सीमा-शुल्क गृहों में सदैव स्वीकार किया जाता है। सादे कागजों पर प्रमाणपत्र, जिस पर सीमा-शुल्क विभाग की मुद्रा होती है, कभी कभार ही जारी किये जाते हैं, जबकि साइक्लोस्टाइल किये हुए फार्म उपलब्ध नहीं होते।

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में मितव्ययता

†२३६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर व्यय को कम करने और फर्नीचर आदि पर व्यय को घटाने के बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक क्या पग उठाये गये हैं ; और

(ग) प्रत्येक मद में व्यय में कितने रुपयों की कमी की जाने की आशा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) योजना से सम्बन्धित पदों और सुरक्षा कार्यों सम्बन्धी आवश्यक पदों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों में पदों की वृद्धि पर जनवरी, १९६० से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । इसको अब १९६१ के अन्त तक के लिये एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया ।

(२) जनवरी, १९५९ में मंत्रालयों से कहा गया कि वे फर्नीचर और विशेषतः गलीचे जैसे अधिक कीमती सामान की खरीद में अधिकाधिक मितव्ययता बरतें और अधिक कीमती सामान की खरीद करने के लिये अपने वित्तीय परामर्शदाताओं की पूर्व अनुमति ले लें ।

(३) केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रशासन में मितव्ययता लाने की गुंजायश पर ध्यान देता है । कर्मचारियों और अन्य मदों पर व्यय में मितव्ययता को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक मंत्रालय ने एक मितव्ययता समिति स्थापित की है ।

(४) वित्त मंत्रालय में विशेष पुनर्गठन यूनिट द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उन के अधीन प्रमुख कार्यालयों में अध्ययन-कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम प्रगति पर है ।

(ग) ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली तिमाही तक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पदों के समाप्त किये जाने अथवा स्थगित रखे जाने के फलस्वरूप और भंडार, उपकरण और अन्य नैमित्तिक व्यय में मितव्ययता के फलस्वरूप वर्ष १९५९-६० में वित्तीय मितव्ययता दिखाने वाले त्रैमासिक विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं । तब के बाद जानकारी इकट्ठी करने करने का काम पूरा नहीं हो पाया है ।

इस्पात उद्योग में प्रशिक्षण

†२३७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग के कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८]**

जीवन बीमा निगम का व्यापार

†२३८. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष १९६० में भारत के जीवन बीमा निगम ने, जोन-वार, कुल कितनी धनराशि का 'बिज़नेस' किया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसी अवधि में विदेशों में, देश-वार, कितने रुपयों का 'बिजनेस' किया गया ; और

(ग) इन आंकड़ों की वर्ष १९५९ के आंकड़ों से क्या तुलना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क)

उत्तरी ज़ोन .	६२.४० करोड़ पये
केन्द्रीय ज़ोन .	५७.२७ करो पये
पूर्वी ज़ोन .	८६.८६ करोड़ पये
दक्षिणी ज़ोन .	१०७.४१ करोड़ रुपये
पश्चिमी ज़ोन	९७.४८ करोड़ रुपये
कुल . . .	४११.४२ करोड़ रुपये

(ख) विदेशी 'बिज़नेस' . . ७.९६ करोड़ रुपये

देश-वार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) ऊपर दिये गये 'बिज़नेस' के आंकड़े अस्थायी हैं । क्योंकि वर्ष १९६० में पूरे किये गये बिजिनेस के अन्तिम आंकड़े केवल फरवरी, १९६१ के अन्त तक उपलब्ध होंगे, इस समय वर्ष १९६० के 'बिज़नेस' के आंकड़ों की वर्ष १९५९ के 'बिज़नेस' के आंकड़ों से तुलना करना संभव नहीं है ।

शिक्षण संस्थाओं में निर्माण-कार्य परियोजनायें[1]

†२३९. **श्री अगाडी** :
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक शिक्षण संस्थाओं में निर्माण-कार्य परियोजनाओं के अधीन शिक्षण संस्थाओं को तैरने के तालाब, क्रीड़ांगण आदि बनाने के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है और राज्य-वार, संस्थाओं के क्या नाम हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी०—२६४४/६१ ।]**

फतहपुर सीकरी में प्राप्त पाषाण युग के अवशेष

२४०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फतेहपुर सीकरी (आगरा) की पहाड़ियों के ढलान पर छः मील के क्षेत्र में पाषाण युग की गुफायें मिली हैं जिन में एक साथ सौ व्यक्ति रह सकते हैं ;

(ख) क्या उन में अद्भुत चित्र भी मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन से किस युग पर प्रकाश पड़ता है ?

†मूल अंग्रेजी में

[1] Campus Work Projects

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

असिस्टेंटों के वेतन-स्तर

†२४१. **श्री राम गरीब :**
श्री संगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें मंजूर करने के बाद वेतन में संशोधन करने के बारे में असिस्टेंटों के संघ के अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार कब फैसला करेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (ग). अभ्यावेदन अभी सरकार के विचाराधीन है और इस मामले पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

मनीपुर में मृत्यु-दंड

†२४२. **श्री लें० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५५ से वर्ष १९६० तक के दौरान मनीपुर में हत्या के लिये किसी को मृत्यु-दंड दिया गया ;

(ख) कितने मामलों में मृत्यु-दंड का आदेश दिया गया, कितने मामलों में मनीपुर के न्यायिक आयुक्त ने दंड के आदेशों की पुष्टि की और उन का पालन किया गया और कितने मामले खारिज किये गये अथवा उच्च न्यायालयों ने उस दंड को घटा कर आजीवन कारावास में बदल दिया; और

(ग) मनीपुर में इस समय कितने व्यक्ति आजीवन कारावास भुगत रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

इस्पात संयंत्रों में कर्मचारी

†२४३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई में अब तक कारखाने-वार कितने नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को तीन वर्षीय ठेका सेवा पर रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों को स्थायी आधार पर करने की सरकार की कोई प्रस्थापना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क)

राउरकेला	११,६०६
दुर्गापुर	६,४६७
भिलाई	१५,८११

इस में विभागीय श्रमिक, कार्यभारित कर्मचारी, 'नामिनल मस्टर रोल' पर दर्ज कर्मचारी और प्रशिक्षार्थी शामिल हैं ।

(ख) जी, नहीं । केवल कुछ ही कर्मचारी तीन से पांच वर्षों तक के अल्प-कालीन ठेके पर हैं ।

(ग) संयंत्रों के संचालन और संधारण के लिये रखे गये कर्मचारी और प्रबन्ध में लगे कर्मचारियों समेत समवाय के नियमित संस्थान में सभी आवश्यक कर्मचारियों को दीर्घ-कालीन सेवा ठेके आफर किये जाते हैं जो स्थायी नियुक्ति के समान हैं ।

रेह[1]

†२४४. { **श्री राजेन्द्र सिंह** :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के गुलबर्ग जिले में चिन्चोली ताल्लुक में 'रेह' पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां । मैसूर राज्य के गुलबर्ग जिले में चिन्चोली से क्रमशः १३, ७, ५ और ३ मील उत्तर पश्चिम में कोरवी, सल्लपेट, दासतापुर और चिमंदलाई में 'रेह' के निक्षेप पाये गये हैं ।

(ख) और (ग). ब्यौरेवार खोज करने के परिणामस्वरूप, यह पाया गया है कि सब क्षेत्रों को मिला कर लगभग १,६४,००० टन सामान मिल सकता है । केवल कोरवी में ही १ लाख टन से अधिक के निक्षेप हैं । किये गये विभिन्न परीक्षणों से पता चला है कि यह सामान अच्छी किस्म का है और वह आयातित किस्म के बराबर है ।

पेंशनरों की मांग

†२४५. **श्री अमजद अली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारत पेंशनर सम्मेलन ने सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिस में उन्होंने ३०० रुपये तक पेंशन पाने वालों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने, तत्काल सहायता देने और निवृत्ति-वेतन को आय-कर से मुक्त करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fuller's Earth

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). सरकार को अखिल भारत पेंशनर सम्मेलन से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। यदि माननीय सदस्य का निर्देश भारत पेन्शनर समाज (अखिल भारत पेंशनर संघ फेडरेशन) की ओर से गृह-कार्य मंत्री को दिये गये ज्ञापन की ओर है, तो स्थिति यह है कि उपरोक्त ज्ञापन में कही गई जैसी प्रार्थनायें कुछ पेंशनर संघों से पहले मिल चुकी हैं परन्तु सरकार ने उन को मानना सम्भव नहीं समझा।

बैंकों का शोध विलम्ब-काल

†२४६. **श्री कालिका सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के क्या नाम और पद हैं जिन के बारे में सरकार को वर्ष १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ के दौरान भारत के रक्षित बैंक से बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ के अधीन शोध विलम्ब-काल आदेश जारी करने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उन बैंकों के क्या नाम और पद हैं जिन के बारे में रक्षित बैंक की सिफारिशों को मानते हुए आदेश जारी किये गये ;

(ख) प्रत्येक बैंक को प्रथम ये विलम्ब-काल के आदेश क्यों जारी किये गये ; और

(ग) उन बैंकों के बारे में अब तक क्या परिणाम प्राप्त किये जा चुके हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में बैंकों के नाम और शोध विलम्ब-काल की अवधि बताई गई है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९**]। बैंकिंग समवाय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६० के लागू होने की तिथि १९ सितम्बर, १९६० से पूर्व केन्द्रीय सरकार किसी बैंक के बारे में विलम्ब-काल आदेश जारी नहीं कर सकती थी।

(ख) शोध विलम्ब-काल आदेश बैंकों के पुनर्निर्माण और विलय की सुविधा के लिये और खातेदारों के हितों के संरक्षण के लिये जारी किये गये।

(ग) प्रभात बैंक, इन्डो-कमर्शियल बैंक, न्यू सिटीज़न बैंक आफ़ इन्डिया और बैंक आफ़ नागपुर के क्रमश: नेशनल बैंक आफ़ लाहौर, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और बैंक आफ़ महाराष्ट्र में विलय के बारे में प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और बहुत जल्दी उन की मंजूरी दी जाने की आशा है। बैंक आफ केरल को कनारा बैंक में मिलाया जायेगा। यह भी प्रस्ताव है कि यथा सम्भव शीघ्र कोट्टायाम ओरियन्ट बैंक, बैंक आफ़ न्यू इण्डिया, सीसिया मिडलैंड बैंक और बेनदु बैंक को मिला दिया जाये ताकि एक नयी संस्था बन जाय और त्रावनकोर फ़ारवर्ड बैंक को किसी अन्य उपयुक्त बैंक के साथ मिला दिया जाये। बाकी संस्था अर्थात् कैथोलिक बैंक आफ़ इण्डिया के भविष्य पर शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन

†२४७. **श्री कालिका सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शस्त्रास्त्र निरीक्षक के अधीन कार्य कर रहे प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन ने हाल में अपनी कार्यगति बढ़ा दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस बारे में ;

---

†मूल अंग्रेजी में
₁Moratorium on Banks.

(ग) संगठन ने कौन से नये प्रतिरक्षा उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किये हैं और क्या सफलता मिली है ;

(घ) क्या गोपनीय बातों को प्रकट करने और तोड़फोड़ सम्बन्धी कार्यों के विरुद्ध पूरा ध्यान रखा जाता है ;

(ङ) यदि हां, तो उस का क्या स्वरूप है ; और

(च) जांच के लिये आये तोड़-फोड़ आदि के कितने मामले आये और उन का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन शस्त्रास्त्र निरीक्षक के अधीन नहीं है। शस्त्रास्त्र निरीक्षक उत्पादन अभिकरण नहीं है परन्तु वह तो शस्त्रास्त्रों के निरीक्षण के लिये जिम्मेवार हैं। तथापि, यह अनुमान लगाया जाता है कि यह प्रश्न प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन के बारे में है। इसी आधार पर प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर दिये जाते हैं।

(क) जी, हां ।

(ख) युद्धास्त्र कारखानों की बढ़ी हुई कार्य-गति निम्न बातों से सम्बन्धित है :

(१) जन-शक्ति, संयंत्र और मशीनों का अधिक उपयोग, वर्तमान सुविधाओं का विस्तार और निर्माण सम्बन्धी नयी सुविधायें लागू करना ;

(२) अब तक आयात की जा रही नयी चीजों का निर्माण आरम्भ करना ।

(ग) प्रतिरक्षा उत्पादन कार्यक्रमों का व्यौरा देना जन-हित में नहीं है। तथापि, यह कहा जा सकता है कि युद्धास्त्र कारखानों में उत्पादन वर्ष १९५६-५७ में १४ करोड़ रुपये की अपेक्षा वर्ष १९५९-६० में २५ करोड़ रुपये का हुआ और वर्ष १९६०-६१ के नौ महीनों में इस में और वृद्धि हुई है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) सुरक्षात्मक उपायों का व्यौरा देना जन-हित में नहीं है ।

(च) जी, कोई नहीं ।

आयुध कारखाने

†२४८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में अब तक आयुध कारखानों में कुल कितने मूल्य का सामान बनाया गया ; और

(ख) इस में से कितना सामान असैनिक प्रयोग से सम्बन्धित है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम ८ महीनों में (३० नवम्बर, १९६० तक), जिन के लिये आंकड़े उपलब्ध हैं, आयुध कारखानों में कुल १७.०६ करोड़ रुपये के मूल्य का सामान बनाया गया जोकि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के प्रथम आठ महीनों में अनुवर्ती आंकड़ों से लगभग २० प्रतिशत अधिक है। ये आंकड़े अस्थायी हैं जिन में वर्ष १९६०-६१ के लेखों के अन्तिम रूप से समायोजन करते समय वृद्धि हो सकती है। यह आशा की जाती है कि वर्ष १९६०-६१ के लिये कुल उत्पादन ३० करोड़ रुपये का होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २·०३ करोड़ रुपये । ये आंकड़े भी अस्थायी हैं और अन्तिम रूप से समायोजन होने पर इस में वृद्धि हो सकती है ।

प्रभाकर बैंक लिमिटेड का समापन

†२४६. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रभाकर बैंक लिमिटेड, बम्बई के कार्य को समाप्त करने के लिये, जो कि वर्ष १९५३ में समाप्त हुआ था, नियुक्त किये गये सरकारी समापक ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही किस प्रक्रम पर है ;

(ग) कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) न्यायालय के आदेशानुसार, समापक बकाया रकम को वसूल करने की कार्यवाही कर रहा है ताकि वह खातेदारों और अन्य लेनदारों को अधिकाधिक सीमा तक भुगतान कर सके । बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५ छ के अधीन उन्होंने जो प्रतिवेदन दिया है, उस के आधार पर बैंक के सभी डायरेक्टरों की न्यायालयों के अधीन खुली जांच की गयी है । ५.४४ लाख रुपये की रकम के बारे में डायरेक्टरों और आडिटरों के विरुद्ध अपने अधिकारों के अनुचित प्रयोग के मामले न्यायालय में लंबित हैं ।

(ग) इस समय यह बताना संभव नहीं है ।

(घ) समापन कार्यवाही के निष्कर्ष में विलम्ब मुख्यत: अधिकारों के अनुचित प्रयोग सम्बन्धी मामले के लम्बित रहने और बकाया रकम की वसूली करने में कठिनाई के कारण है ।

मितव्ययता कार्यक्रम

२५०. **श्री बाल्मीकी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ (३१ जनवरी तक) में उनके मंत्रालय में मितव्ययता कार्यक्रम कहां तक सफल रहा है ;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितना धन बचा ; और

(ग) उक्त मितव्ययता किस आधार पर और कहां-कहां की गई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) (से (ग). काफी बचतें की गयी हैं । विस्तृत सूचना इकट्ठी की जा रही है, और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माल-डिब्बे

†२५१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० में (महीने-वार) कोयला नियंत्रक को दिये गये माल-डिब्बों के पूरे अभ्यंश का उपयोग नहीं किया जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो कमी क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं। कोयला ढोने के लिये जो भी माल-डिब्बे दिये गये थे, उन सब का उपयोग कर लिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिनांक १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर में शुद्धि

†**गृह-कार्य मंत्री (गो० ब० पन्त)** : मैं १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

१६ नवम्बर, १९६० को लोक सभा में श्री डामर द्वारा किये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के दिये गये उत्तर की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि द्वितीय साधारण निर्वाचन के समय विभिन्न राज्यों में १२ दलों को मान्यता दी गयी थी तथा चार दलों को अखिल भारतीय दलों की मान्यता दी गयी थी, जब कि तात्कालिक स्थिति यह है कि विभिन्न राज्यों में १५ दलों को मान्यता प्राप्त है तथा चार दल अखिल भारतीय दलों के रूप में मान्य हैं।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : हमने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने दोनों स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया है।

†**श्री गोरे** (पूना) : वे स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण थे अतः उन्हे अस्वीकृत करने का कारण दिया जाना चाहिये था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कारण देने के लिये बाध्य नहीं हूं। यदि मैं कारण देता हूं तो माननीय सदस्य उनसे सहमत नहीं होते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड जो कि २० जनवरी को बन्द होने जा रहा है, उसके सम्बन्ध में दिये गये दूसरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि 'हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड' को सरकार आर्थिक सहायता देवे, सरकार का इस प्रकार समाचार पत्र चलाना सरकार को सर्वाधिकारवादी बनाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गोरे : तथापि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ढाका में अपने भाषण में जो कुछ भी कहा है क्या उसके सम्बन्ध में हम सभा में कुछ भी नहीं कह सकते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : पाकिस्तान सदैव से ही भारत के सम्बन्ध में इस प्रकार की निराधार बातें कह रहा है समाचार पत्रों में पाकिस्तान और चीन की वार्ता के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुये हैं, तथापि हम यहां से श्री आयूब खां को निर्देश नहीं दे सकते हैं । यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो वे उन्हें इस पत्र में अपनी बात कहने के और भी कई अवसर मिलेंगे । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम ऐसी बातें कहने के लिये स्थगन प्रस्ताव का सहारा नहीं ले सकते हैं, मैं सभा का समय इस प्रकार की चर्चा में बर्बाद नहीं कर सकता हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं दूसरी लोक सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १	बारहवां सत्र १९६०
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ५	ग्यारहवां सत्र, १९६०
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १०	दसवां सत्र, १९६०
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १३	नवां सत्र, १९५९
(५) अनुपूरक विवरण संख्या १५	आठवां सत्र, १९५९
(६) अनुपूरक विवरण संख्या २२	सातवां सत्र, १९५९
(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३४	चौथा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०–३६]

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२६४०/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सेवाय अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता रहा हूं :—

(१) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४१३ ।

(२) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४१४।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२६४१/६१]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १८ के अन्तर्गत अप्रैल, १९५९ से मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२६४२/६१]

भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च १९६० को समाप्त होने वाली अवधि के लिये भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२६४३ ६१]

प्राक्कलन समिति

एक सौ पांचवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं परिवहन तथा संचार (संचार विभाग) इंडियन टेली-फोन इंडस्ट्रीज, लिमिटेड, बंगलौर के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्रसूति लाभ विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : मैं कुछ संस्थापनों में बच्चा पैदा होने से पूर्व और बाद में कुछ समय तक महिलाओं को काम पर लगाने को विनियमित करने और उन्हे प्रसूति लाभ देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपास्थापित करती हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या २६७के उत्तर में शुद्धि

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : २१ नवम्बर, १९६० को सर्व श्री बहादुर सिंह और श्री म० ला० द्विवेदी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुये सूचना और प्रसारण मंत्री डा० केसकर ने यह कहा था कि हिन्दी को संविधान में देश की जन भाषा स्वीकार किया गया है, हिन्दी विश्वकोष बनाने के निमित्त एक विशेषज्ञ समिति बनायी गयी है, इसके सभापति श्री हुमायूं कबिर हैं, इसके सदस्य श्री इन्द्र विद्या वाचस्पति, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० डी० एस० कोठारी, श्री नील कंठ शास्त्री, श्री बाबू राम सक्सेना, श्री राज बली पांडेय हैं इसके सचिव श्री सिद्धेश्वर वर्मा और श्री अग्निहोत्री हैं। सही स्थिति यह है कि हिन्दी को संघ सरकार की केवल सरकारी भाषा स्वीकार किया गया है तथा उपयुक्त विशेषाधिकार समिति ने विश्वकोष तैयार करने की केवल रूपरेखा ही तैयार की थी। अब इस समिति का स्थान एक परामर्शदातृ बोर्ड ने ले लिया है, इस के अधीन विश्वकोष को तैयार करने और उसके प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है। इस बोर्ड के अध्यक्ष पं० गोविंद बल्लभ पंत हैं। इस के सदस्य इस प्रकार हैं : श्री का० ला० श्रीमाली, प्रो० हुमायूं कबिर, डा० डी० ए० कोठारी, डा० सुनीति कुमार चटर्जी, श्री एम० पी० पैरियास्वामीथूरन, डा० हजारी प्रसाद, द्विवेदी, प्रो० नीलकंठ शास्त्री, डा० बी० आर० सक्सेना, डा० बी० वी सीतापति, डा० सिद्धेश्वर वर्मा, काजी अब्दुल वदूद, प्रो० सत्येन बोस, डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर, डा० निहाल करण सेठी, श्री काका साहिब कालेलकर, श्री एम० सत्यनारायणन्, श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डा० गोपाल त्रिपाठी, श्री यशवंत राव दांते और डा० राजबली पांडे, डा० धीरेन्द्र वर्मा तथा डा० राज बली पांडे इसके सचिव हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

इकसठवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के इकसठवें प्रतिवेदन से, जो फरवरी, २९६१ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के इकसठवें प्रतिवेदन से, जो फरवरी, १९६१ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं २० फरवरी, १९६१ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) २० फरवरी, १९६१ को श्री भक्त दर्शन द्वारा एक धन्यवाद प्रस्ताव पेश किये जाने पर जिसका अनुमोदन श्री सी० आर० पट्टाभिरामन् करेंगे १४ फरवरी, १९६१

---

†मूल अंग्रेजी में

को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा ।

(२) आज के आर्डर पेपर पर शेष कार्यवाही की किसी मद पर विचार ।

समिति का निर्वाचन

मानव विज्ञान का केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूतपूर्व शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक ६ अक्तूबर, १९५७ के संकल्प संख्या एफ० ८-२६/२५७-सी० आई० के पैरा २ के खण्ड (५) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय मानव-विज्ञान मंत्रणा बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक ६ अक्तूबर, १९५७ के संकल्प संख्या एफ० ८-२६/२५७-सी० आई० के पैरा २ के खण्ड (५) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय मानवविज्ञान मंत्रणा बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा के कार्य के बारे में

†**श्री तंगामणि (मदुरै)** : मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक पर चर्चा की समाप्ति पर उन दो विधेयकों पर चर्चा होगी जो कि कल परिचालित किये गये थे या मांगों के लिये अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा होगी ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: पहले उन विधेयकों पर चर्चा होगी जिन पर आंशिक रूप से विचार किया जा चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन बातों पर हम बाद में विचार कर लेंगे ।

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री अ० कु० सेन द्वारा १६ फरवरी, १९६१ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :—

"कि द्विसदस्यीय संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को समाप्त करने और उनके स्थान पर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†मूल अंग्रेजी में

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में जो दिलचस्पी ली है उसका मैं बहुत कृतज्ञ हूं। इससे यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से सम्पर्क रखने वाले विषय पर सभा गहरी दिलचस्पी लेती है। कल दोनों पक्षों के भाषणों से या स्पष्ट था कि सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की रक्षा करने को बहुत उत्सुक है। श्रीमती उमा नेहरू तो इस विषय पर बोलते हुये भावावेश में आ गई थीं। सभी बातों पर विचार करने के उपरान्त मैं यह कह सकता हूं कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर संरक्षण को बनाये रखना ही उचित है। मेरे इस कथन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जिन्होंने इस विषय का विरोध किया या इसको राय जानने के लिये परिचालित करने की सलाह दी है उनके तर्क निराधार हैं। इसके विपरीत उनके पक्ष में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। वस्तुतः श्री त्यागी और श्रीमती उमा नेहरू द्वारा कही गयी कई बातों पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें अनुसूचित जाति के लोगों को सदैव पृथक रखने की नीति से बचना चाहिये। इन्हें सदैव पृथक रखना देश तथा अनुसूचित जातियों के लोगों के हित में नहीं है। मैं श्रीमती उमा नेहरू द्वारा योग्यतापूर्वक कही गई उन दलीलों का समर्थन करता हूं कि अनुसूचित जाति के लोग भारतीय राष्ट्र के एक अभिन्न अंग हैं। भविष्य में भी वे सदैव इसी प्रकार बने रहेंगे तथा कोई भी उन्हें हम से जुदा नहीं कर सकता है भ े उन्हें पहिले इसमें कुछ प्रलोभन दिखायी दे। उनका भाग्य सदैव भारत की जनता के साथ बंधा है तथा हमारा यह अनन्य कर्तव्य है कि हम उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न करते रहें कदाचित इस प्रकार हम अपने पूर्वजों के पापों का मार्जनकर सकेंगे।

देश ने सदैव अपने पूर्वजों के इस कृत्य का मार्जन किया है और भविष्य में भी करता रहेगा तथापि इसका उद्देश्य उन्हें अपने में मिलाना होगा न कि उन्हें अपने से पृथक रखना। मैं सोचता हूं कि इस मामले में सभी लोग सहमत होंगे कि हमें कोई ऐसा कार्य, भले ही वह पहिले आकर्षक लगे नहीं करना चाहिये जिससे अन्ततः अनुसूचित जाति के लोग अन्य लोगों से पृथक हो जायें। ऐसा करना इतिहास की धारा को उल्टी मोड़ना है ऐसा करने से हम अपनी राजनीति पर भयंकर कुठाराघात करेंगे।

अतः हमें यथासंभव यह प्रयत्न करना चाहिये कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को राष्ट्र के अन्य सदस्यों के साथ एकीकृत किया जाय। जिससे कि भविष्य में हमें यह सुनने का मौका नहीं मिले कि हममें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग पृथक से विद्यमान हैं। तथा हम सब लोग जातिगत भेदभावों को भूल कर विशाल भारतीय राष्ट्र का एक अंग बन जायें। मैं आशा करता हूं कि सभा इस बात से पूर्णतः और निर्विरोध सहमत होगी कि हम सब को एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिये जहां जाति या वर्गगत किसी प्रकार का भेदभाव न हो।

तथापि इस समय, जैसा कि सभा पहिले निश्चय कर चुकी है, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये संरक्षण जारी रखा जाय। उनके देश की अन्य जनता में मिलने के पूर्व सुधार होना आवश्यक है। इसी प्रयोजन के लिये सभा ने उन्हें संरक्षण प्रदान करने की सहमति दी है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह संरक्षण सर्वोत्तम रूप में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त होगा या कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से। मैं इस तर्क से सहमत हूं कि यदि हम ऐसे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करेंगे जो कि अनुसूचित जातियों के लिये ही सुरक्षित रहेंगे तो भविष्य

†मूल अंग्रेजी में

में यह आशंका है कि वे अनुसूचित जातियों की बस्तियों का रूप धारण कर लेंगे। मैं श्री जैन द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त से सहमत हूं कि हमें इस सम्बन्ध में परिवर्तन का सिद्धान्त अपनाना चाहिये कि एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र को ही सदैव के लिये अनुसूचित जातियों का निर्वाचन क्षेत्र न माना जाय। यदि इस बुराई को दूर किया जाये तो यह आपत्ति बहुत अंशों तक दूर हो सकती है। कोई भी संशोधन जो सभा के इस मत की अभिव्यक्ति करेगा सरकार को मान्य होगा।

वस्तुतः यह एक अस्थायी आलम्बन है जो कि १९६२ के चुनावों की अवधि तक के लिये किया जा रहा है। यद्यपि यह एक स्थायी विधान है तथापि सभा की यह राय स्पष्ट हो जानी चाहिये कि हम ऐसे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण नहीं करना चाहते हैं जो सदैव के लिये एक विशेष जाति के नाम से सम्बोधित की जायें।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फीरोजाबाद) : निर्वाचन क्षेत्रों को सदैव के लिये विभाजित भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि नये जनसंख्या के आंकड़ों के परिणाम स्वरूप उनका नये सिरे से विभाजन किया जायेगा।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं। माननीय सदस्य का तर्क बिल्कुल उचित है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या माननीय सदस्य ने इस बात पर भी विचार किया है कि यदि निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन किया जायेगा तो इसका यह फल होगा कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों का कोई स्थायी निर्वाचन क्षेत्र नहीं रह जायेगा।

†**श्री अ० कु० सेन** : वस्तुतः किसी का भी स्थायी निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिये। संभव है आगामी जनगणना के पश्चात् उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाये। श्री त्यागी का तर्क इस आधार पर निर्भर है कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके विपरीत प्रत्येक जनगणना के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्रों में प्रादेशिक तथा अन्य आधारों पर परिवर्तन हो सकता है। श्री त्यागी को यह जान कर आश्चर्य हो सकता है कि परिसीमन आयोग ने उनके निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया है। दस वर्ष पश्चात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान में इसके लिये लिखित आदेश है। जहां तक रक्षित स्थानों का संबंध है हमें आशा है कि अगले दस वर्ष पश्चात संरक्षण की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। अतः दूरदर्शिता से यह प्रश्न केवल सामान्य स्थानों के सम्बन्ध में रह जाता है।

श्री त्यागी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के उपबन्धों या परिसीमन अधिनियम के सम्बन्ध में भ्रांति पैदा होने के कारण ही किये गये हैं। निस्संदेह उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वे न तो वकील हैं न ही बारिस्टर। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यह सोच रहे हैं कि हम संविधान के अनुच्छेद १७० के उपबन्धों की खानापूरी कर रहे हैं, तथा हम प्रत्येक जनगणना के पश्चात् परिसीमन आयोग की आवश्यकता समाप्त कर देना चाहते हैं। वस्तुतः उन्हें तथ्यों या विधि के सम्बन्ध में भ्रांति हुई है। १९६१ की जनगणना के पश्चात् पुनः परिसीमन का प्रश्न उत्पन्न होगा। परिसीमन अधिनियम के अनुसार दो सदस्य या तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हों या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। इसके लिये वही प्रक्रिया विहित की गई है जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत है। यह प्रक्रिया बहुत लम्बी और विस्तृत है। परिसीमन

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग को प्रत्येक राज्य में सारे देश के लिये विधान सभाओं और संसद् के लिये निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना होगा। परिसीमन आयोग को १९५७ के निर्वाचन के लिये निर्वाचन क्षेत्र निश्चित करने में ढाई वर्ष का समय लगा था। उन्हें विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यह प्रक्रिया आंशिक रूप से न्यायिक है। वस्तुतः १९५२ के निर्वाचन भी उससे पहिले की गयी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। इसी प्रकार १९६२ के पश्चात् भी परिसीमन आयोग, देश के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तथा तत्सम्बन्धी बातों का निश्चय करने के लिये कार्य आरम्भ करेगा। मेरा विचार है कि इस जानकारी से श्री त्यागी की कई भ्रांतियां दूर हो जायगी।

†**श्री त्यागी :** मैं इस विधेयक सम्बन्धी संवैधानिक कठिनाइयों के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। इस विधेयक के परिणामस्वरूप ८० प्रतिशत मतदाता अपने मूल निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार को खड़ा करने से अनर्ह हो जायेंगे क्या इससे उनके बुनियादी अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होगा ?

†**श्री अ० कु० सेन :** इस पर सावधानी से विचार किया गया तथापि इसे संविधान के बुनियादी अधिकारों सम्बन्धी उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं समझा गया। संविधान ने स्वयं ही संरक्षण की व्यवस्था की है, यह उस संरक्षण को बनाये रखने का एक तरीका है।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र तो मौजूद ही हैं, और मेरा ख्याल है कि अनुसूचित जातियों के लिये भी दो निर्वाचन क्षेत्र हैं।

†**श्री त्यागी :** उन निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का बहुमत ५१ प्रतिशत से भी अधिक होगा।

†**श्री गो० ब० पन्त :** हो सकता है। मैं कह नहीं सकता। फिर भी यह तो सही है कि वहां गैर-अनुसूचित जातियों के लोग भी हैं।

†**श्री अ० कु० सेन :** संवैधानिक आपत्ति यदि न भी हो, तो भी नैतिक आपत्ति तो हो सकती है कि इस क्षेत्र विशेष के सामान्य मतदाताओं को हमेशा के लिये मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन यदि बारी-बारी से मतदान अधिकार देने के सिद्धान्त को मान लिया जाये, तो वह आपत्ति नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि द्विसदस्यीय संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने और उनके स्थान पर एक सदस्यीय निर्वाचन-क्षत्रों को बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २—परिभाषायें

†**श्री त्यागी :** मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** (हिसार) : मैं अपने संशोधन संख्या २९ और ३० प्रस्तुत करता हूं।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**अध्यक्ष महोदय** : तीनों संशोधन प्रस्तुत हुए ।

†**श्री त्यागी** : मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों पर लागू न किया जाये । वे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की भांति विस्तृत नहीं हैं ।

और, फिर यह भी है कि संसद्-सदस्य केवल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का भाग्य-निर्णय कर सकते हैं, विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का नहीं, क्योंकि उनसे कोई राय नहीं ली गई है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : इससे तो विधेयक का समूचा प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा । इसका ज्यादा सम्बन्ध तो विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों से ही है । मैं इस विधेयक का उद्देश्य और सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा आपके सामने कर चुका हूं । हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैंने अपने दो सशोधन रखे हैं । यह विधेयक बड़ा ही त्रुटि-पूर्ण है, क्योंकि यह रक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की ८० प्रतिशत जनता को उसके अधिकार से वंचित कर देगा ।

मैं चाहता हूं कि पहले दो परिसीमन आयोगों की भांति, इस बार भी निर्वाचन क्षेत्रों के परि-सीमन का कार्य किसी न्यायिक निकाय को ही सौंपा जाये । यह कार्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिये । मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस काम को पूरी निष्पक्षता से करेंगे, लेकिन फिर भी इतने महत्वपूर्ण कार्य का भार किसी न्यायिक निकाय को ही सौंपना अच्छा रहेगा । तभी जनता को इससे पूर्ण सन्तोष होगा । इसलिये परिसीमन का कार्य उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में होना चाहिये ।

इस विधेयक में जिस जांच की व्यवस्था की गई है, उसमें खानापूरी ही होगी । अधिकारी यदि चाहे तो जांच के दौरान मौखिक प्रतिनिधानों पर गौर ही न करें । यह अनुचित है । हमारे देश में जनता लिखित प्रतिनिधान भेजने की आदी नहीं है ।

इस व्यवस्था के फलस्वरूप हमारे देश के करोड़ों लोग विधान सभाओं और ससद् के सदस्य और मंत्री बनने के अधिकार से वंचित हो जायेंगे । इसलिये उनके निर्वाचन क्षेत्रों को रक्षित बनाने के निर्णय के विरुद्ध अपनी सभी आपत्तियां उठाने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : अभी इस समय निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य हैं—मुख्य निर्वाचन आयुक्त । इसलिये सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि इन मामलों के निर्णय के लिये निर्वाचन आयोग में कम से कम दो उपयुक्त सदस्य और सम्मिलित किये जा सकें । जिससे कि वह एक ही व्यक्ति का निर्णय न हो ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या २९ का समर्थन करता हूं । निर्वाचन आयोग की परिभाषा को संशोधित किया जाना चाहिये, जिससे कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के एक-एक न्यायाधीशों को भी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये सम्मिलित किया जा सके । संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग को ही करना चाहिये । अब यदि इसे केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर छोड़ा जायगा, तो उनकी निष्पक्षता भी अधिक दिन तक बनी नहीं रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस कार्य में न्यायाधीशों का सहयोग लेने से आम जनता को यह सन्तोष तो रहेगा कि सरकार ने इसमें मनमानी नहीं की है। इस काम में कुछ संसद्-सदस्यों का भी सहयोग लिया जाना चाहिये।

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्य ने जिस प्रयोजन से प्रेरित हो कर यह संशोधन रखा है, मैं उसे ठीक समझता हूं। वह यही चाहते हैं कि परिसीमन का कार्य पूरी निष्पक्षता के साथ किया जाये, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि इस कार्य को बहुत ही शीघ्र सम्पन्न होना चाहिये। तभी १९६२ के आम चुनाव एक सदस्य के रक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर किये जा सकेंगे। यदि इस कार्य में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का सहयोग लिया जायेगा, तो १९६२ के आम चुनाव पुराने दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के ही आधार पर कराने पड़ेंगे। इसलिये नये एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही सौंप जा रहा है, जिससे कि आम चुनावों की तैयारी भी ढंग से हो सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : आयोग परिसीमन का कार्य कब तक समपन्न कर लेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : आयोग ने तो परिसीमन कार्य शुरू भी कर दिया है, इस आशा में कि हम इस विधेयक को पारित कर देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य निर्वाचन आयुक्त अकेले ही सारा निर्णय करेंगे। उसमें कुछ गलती भी हो सकती है। इसलिये अपील की व्यवस्था कर ने पर क्या आपत्ति है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णय के लिये कुछ वस्तुगत शर्तें रखी गई हैं, इसलिये उनका निर्णय मनमाना नहीं हो सकता। पहली शर्त तो यह कि हर निर्वाचन-क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से गठा हुआ होना चाहिये, दूसरा यह कि निर्वाचन क्षेत्र वही होगा जिसमें अनुसूचित जातियों का अधिक संकेन्द्रण हो।

और यदि यह नहीं किया जायेगा, तो इस वर्ष अप्रैल तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हो पायेगा और तब १९६२ के आम चुनाव नहीं कराये जा सकेंगे।

†**श्री त्यागी** : कल डा० राम सुभग सिंह ने बताया था कि उनके दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र को तोड़ ही दिया गया है, और उनको उस पर आपत्ति करने का अवसर तक नहीं मिला।

†**श्री अ० कु० सेन** : गलत है। अभी तोड़ा नहीं गया है। मैंने बताया है कि अभी केवल प्रारम्भिक कार्य ही शुरू हुआ है। विधेयक की योजना के मुताबिक, प्रारम्भिक कार्य समाप्त होने के बाद ही आपत्तियों की सुनवाई होगी। डा० राम सुभग सिंह को अपनी आपत्तियां उठाने का अवसर मिलेगा। अभी तो यह विधेयक भी पारित नहीं हुआ है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अवश्य ही उनकी आपत्तियों को सुनेंगे।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुजा) : जनता को मौखिक रूप से अपनी आपत्तियां उठाने का अवसर दिया जायेगा।

†**श्री अ० कु० सेन** : निःसंदेह। व्यक्तियों को भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा।

†**श्री पुन्नूस** : ऐसे निर्वाचन क्षेत्र समूचे देश भर में फैले हुए हैं। क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास इतना समय होगा कि वह इतनी सारी आपत्तियों पर विचार कर सके ?

†मूल अंग्रेजी में

1940 (Ai) LSD—7.

†**श्री अ० कु० सेन** : यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र देश भर में फैले हुए हैं। फिर भी आशा तो यही है कि यदि व्यक्तिगत रूप में आपत्तियां उठाई जायेंगी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी, परिसीमन आयोग की तरह ही, वहां जाकर उसी तरह उनको सुनेंगे और उनका निर्णय करेंगे।

†**श्री त्यागी** : आपको याद होगा कि आपने स्वयं प्रथम आम चुनावों से पहले इस बात पर जोर दिया था कि संसद् के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये निर्वाचन क्षेत्रों को संसद् के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकार के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिये। आपके कहने पर ही उस समय के अध्यक्ष महोदय प्रत्येक राज्य में निर्वाचन आयुक्त को सलाह देने के लिये दो-तीन संसद्-सदस्यों की एक तालिका नामजद कराई थी। निर्वाचन आयुक्त को उनकी सलाह के मुताबिक ही चलना था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रथम परिसीमन आयोग के लिये अध्यक्ष ने सदस्य नामजद किये थे। उसका सभापति उच्चतम-न्यायालय का एक न्यायाधीश था। लेकिन बाद में संसद्-सदस्यों को हटाकर, उनके स्थान पर अब एक ही अधिकारी को यह काम सौंपा जा रहा है, और इतना ही नहीं उस अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं होगी। माननीय सदस्यों और सरकार को इस पर विचार करना चाहिये कि संसद् को इस प्रकार परिसीमन आयोग नियुक्त करने के अधिकार से वंचित करना कहां तक उचित होगा। अन्य देशों में संसद् ही परिसीमन आयोग नियुक्त करती है और वही आपत्तियों पर विचार और उनका निर्णय करती है। समय की कमी तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिये संसद् को उसके अधिकारों से वंचित किया जाये। यदि यही होना है, तो फिर अधिकारीवर्ग ही देश का शासन करें। संसद् की क्या जरूरत है? कम से कम अपील की व्यवस्था तो होती। पहले तो परिसीमन आयोग के अधिकांश सदस्य नामजद ही होते थे।

†**श्री अ० कु० सेन**: निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये तो हम अभी भी संसद् सदस्यों का सहयोग लेते हैं। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम में ऐसी ही व्यवस्था की गयी है। लेकिन मुश्किल यह है कि यह मामला निर्वाचन क्षेत्रो के परिसीमन का ही नहीं है। अभी तो बात सिर्फ इतनी है कि वर्तमान रक्षित निर्वाचन क्षेत्रों और दो सदस्य-निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के संकेन्द्रण के आधार पर विभाजित किया जाना है। इससे अधिक कुछ नहीं।

जहां तक सभी निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन का सम्बन्ध है, वह तो इस जनगणना के नये आंकड़ों के आधार पर ही किया जायेगा। पर इस विधेयक का सम्बन्ध तो केवल वर्तमान दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन से ही है। इसलिये इसमें संसद्-सदस्यों या विधान सभाओं के अधिकारों का कोई प्रश्न नहीं उठता।

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि आम चुनावों के बाद तो निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन किया ही जायेगा। यदि बाद में परिसीमन होना ही है, तो अच्छा यही होगा कि अनुसूचित जातियों को समान रूप से विभाजित किया जाये, जिससे उनके साथ समानता का बर्ताव हो सके।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : पिछली बार मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी परिसीमन आयोग की दो से अधिक बैठकें नहीं हुई थीं। इसलिये अब यदि केवल दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों को ही विभाजित करना है, तो उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। संसद्सदस्यों को इसमें सम्मिलित करके भी निश्चित समय में काम पूरा किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु०सेन** : सभा यह सिद्धान्त स्वीकार कर चुकी है कि ऐसे मामलों में संसद्-सदस्यों को सम्मिलित न करना ही अच्छा है, क्योंकि जब उनकी आपत्तियों की सुनवाई होती है तो उसमें उन के अपने हित भी निहित हो जाते हैं। हो सकता है कि उनके निजी हित उन के कर्त्तव्य के आड़े आयें।

यह मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि संशोधन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। पिछली बार परिसीमन आयोग ने दो सदस्य रक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर दिया था। अब सिर्फ इतना करना है कि उन को इस विधेयक में उल्लिखित सिद्धान्तों के आधार पर विभाजित किया जाये। सिद्धान्त मैं बता ही चुका हूं कि वे भौगोलिक दृष्टि से गठे हुए हों और उन में अनुसूचित जातियों का संकेन्द्रण हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भी तो हो सकता है कि जिस एक दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में अभी हरिजनों और अनुसूचित जातियों की जन संख्या अधिक हो, लेकिन विभाजन के बाद कम हो जाये।

†**श्री अ० कु० सेन** : व्यापक परिसीमन का कार्य तो १९६२ में जन-गणना के बाद ही होगा। वह आम चुनावों से पहले नहीं हो सकेगा। लेकिन ऐसी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि पिछले परिसीमन आयोग ने इन दो-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन अनुसूचित जातियों की जन संख्या के संकेन्द्रण के आधार पर ही किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी संभावना है।

†**श्री अ० कु० सेन** : इस लिये नहीं है कि शायद ही कोई दो रक्षित निर्वाचन क्षेत्र एक-दूसरे से मिले हुए हों।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : मेरे राज्य में हैं।

†**श्री अ० कु० सेन** : एक-दो ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन आम तौर पर नहीं हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि व्यापक परिसीमन का काम तो बाद में होगा। मैं मानता हूं कि उसके लिये परिसीमन आयोग की नियुक्ति होनी चाहिये और होगी। लेकिन अभी तो प्रश्न केवल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का ही है। और वह इस विधेयक द्वारा निरुपित सिद्धान्तों के आधार पर ही किया जायगा। और विभाजन कार्य शीघ्रता तथा कुशलता से सम्पन्न करने के लिये निर्वाचन आयोग से अच्छा कोई और साधन नहीं। इतना ही नहीं, आपत्तियों की सुनवाई के लिये भी प्रक्रिया निश्चित कर दी गई है। इसके लिये माननीय सदस्यों को खण्ड ४ को जरा गौर से पढ़ना चाहिये। उस में कहा गया है कि विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव पहले सम्बन्धित राज्य सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और साथ में यह सूचना भी उसमें प्रकाशित होगी कि उन प्रस्तावों पर किस तिथि को पुनर्विचार किया जायेगा। खण्ड ४ में स्पष्ट कहा गया है कि अन्तरिम प्रस्तावों के प्रकाशन के बाद विभाजन प्रभावित होने वाले लोग आपत्तियां उठा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने आपत्तियां उठाई जा सकेंगी। वह केवल उन लोगों की आपत्तियों की सुनवाई करेंगे जो उनके सामने जाकर आपत्तियां उठाना चाहें। इसके बाद, उप-खण्ड (ख) में दिया गया है कि पूर्व निश्चित तिथि से पहले की गई सभी आपत्तिय और सुझावों पर, विचार करने के बाद ही धारा ३ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा। इसका अर्थ है कि उसकी वास्तविक कसौटी खण्ड ३ में रखी गई है।

इसके बाद, उपखण्ड (ग) के अन्तर्गत अन्तिम रूप से विभाजन की अधिसूचना निकाली जायेगी। इस सम्बन्ध में किसी भी आशंका की कोई गुंजाइश नहीं। यदि डा० राम सुभग सिंह को ऐसे किसी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

प्रस्ताव पर आपत्ति हो, तो वह उठा सकेंगे। अन्तरिम प्रस्तावों के प्रकाशन के हाल ही बाद, वह अपनी आपत्तियां उठा सकेंगे। अन्तरिम प्रस्ताव तभी प्रकाशित किये जायेंगे जब यह विधेयक पारित हो जायेगा। और उन प्रस्तावों के साथ उन पर आपत्ति करने की अन्तिम तिथि भी प्रकाशित की जायेगी। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा० राम सुभग सिंह की आपत्तियों से सहमत हो जायेंगे तो प्रस्तावों में परिवर्तन कर दिया जायेगा। इस में शक नहीं कि कुछ जिला अधिकारी ऐसे प्रस्ताव भी भेजेंगे जो अनुचित होंगे। लेकिन उन पर उठाई गई सभी आपत्तियों पर विचार किया जायेगा और उनके सम्बन्ध में सही निर्णय भी किया जायेगा।

इन सभी को देखते हुए, इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इच्छा तो मेरी भी थी कि काफी समय होता और यह काम किसी न्यायाधीश को ही सौंपा जाता। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि न्यायाधीश भी इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से अधिक क्या करता।

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : हमारा अपना अनुभव यह है कि पंजाब में राज्य पुनर्गठन के बाद जब निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया गया था, तब निर्वाचन आयोगने हमारी आपत्तियों की सुनवाई नहीं की थी।

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि इस के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपत्तियों की सुनवाई न करें, तो माननीय सदस्य लिखित याचिका पेश कर सकते हैं, उस की सुनवाई तो उसी समय हो जायेगी उस में देर नहीं लगेगी।

†**श्री हेम राज** : लेकिन यदि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें, तो उन को अनिवार्यतः सुनवाई करनी पड़ेगी।

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि कोई कर्तव्य निभाया न जाये, तो उसके लिये न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अधिनियम में तो उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती।

†**डा० सामन्तसिंहार** (भुवनेश्वर) : यदि दो-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के बाद किसी नये एक-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की जनसंख्या का अनुपात पहले कम हो जाये, तो रक्षित सीट किस निर्वाचन क्षेत्र में मानी जायेंगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : सैद्धान्तिक आधार पर ऐसे एक-दो ही मामले हो सकते हैं। इस से अधिक नहीं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २९, ३० और २ अलग-अलग मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३—(दो-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बा० चं० कामले** (कोपरगांव) : मैं अपने संशोधन संख्या १० और ११ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अ० कु० सेन** : संशोधन संख्या १० को स्वीकार करने से संसद् द्वारा पारित बम्बई पुनर्गठन अधिनियम बिलकुल गड़बड़ा जायेगा । आशा है कि माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : मैं अपने संशोधन संख्या ३६, ४१ और ४२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैं अपना संशोधन २४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री रामसेवक यादव** (बाराबंकी) : मैं अपने संशोधन संख्या १८ और २१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (सहारनपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या ४५, ४६, ४७ और ४८ प्रस्तुत करता हूं ।

[**श्री मूलचन्द दुबे** पीठासीन हुए]

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : श्री जैन का आखिरी संशोधन उन के मूल संशोधन से कुछ भिन्न है । माननीय सदस्य कृपया दोनों का अन्तर स्पष्ट करें।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मूलतः मैंने बारी-बारी से मतदान-अधिकार देने का सिद्धान्त लागू करने के लिये संशोधन की पूर्व सूचना दी थी। उसकी शब्दावली और उसका रूप इतना उपयुक्त नहीं था । अब उसे अधिक उपयुक्त रूप दे दिया गया है और कोई अन्तर नहीं किया गया है । मेरे दोनों संशोधन बड़े सरल हैं । दोनों संशोधनों का उद्देश्य यही है कि नये एक-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से रक्षित घोषित किया जाये ।

तीसरा संशोधन यह है कि विभाजित निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षित सीटों की सुरक्षण-अवधि पांच वर्ष रखी जाये, जिससे कि एक आम चुनाव से दूसरे आम चुनाव तक उसमें कोई परिवर्तन न हो । यह अनुसूचित जातियों की सुविधा के विचार से किया जाना चाहिये ।

यह आपत्ति की गई थी कि यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र रक्षित घोषित कर दिया जायेगा, तो संसद्-सदस्य उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं देंगे । इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछसमय बाद, अगले चुनावों के समय वह रक्षित नहीं रहेगी ।

सामान्य निर्वाचन क्षेत्र तो अनुसूचित जातियों के लिये भी रहेंगे । वे दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से खड़े हो सकेंगे ।

विधि मंत्री ने बिलकुल सही कहा है कि कोई भी निर्वाचन क्षेत्र सदा के लिये रक्षित नहीं रहना चाहिये । मेरे संशोधन मान लेने से यह संभावना नहीं रह जायेगी । तब श्री त्यागी को भी उसपर कोई आपत्ति नहीं रहेगी ।

†**श्री त्यागी** : मेरी आपत्ति केवल दो-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में थी । माननीय सदस्य तो अब सभी निर्वाचन क्षेत्रों को उस में शामिल कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : श्री जैन का संशोधन ही ज्यादा सही है, क्योंकि प्रशासकीय दृष्टि से तो हर जनगणना के बाद सभी निर्वाचन क्षेत्र समायोजन के लिये लिये जाते हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मुश्किल यह है कि श्री त्यागी को हर तरफ खतरा ही नजर आता है। मेरा संशोधन अनुसूचित जातियों और शेष सारे देश के लिये भी लाभदायक है।

अन्तिम संशोधन आनुषंगिक है।

†**श्री परुलकर** (थाना) : बारी-बारी से रक्षित घोषित करने का सिद्धान्त अनुसूचित जातियों के लिये तो ठीक है, पर अनुसूचित आदिम जातियों के लिये नहीं, क्योंकि वे एक ही क्षेत्र में बसते हैं।

†**श्री अ० कु० सेन** : वह अनुसूचित आदिम जातियों पर लागू नहीं होता।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैंने संशोधन संख्या २४ रखा है।

अभी होता यह है कि जनगणना के आंकड़े जिला और ताल्लुकावार प्रकाशित किये जाते हैं। निर्वाचन आयोग को राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहिये कि जनगणना के आंकड़े पुलिस थाना और गांव वार प्रकाशित किये जायें। साधारण जनता तभी कोई आपत्ति उन पर कर सकेगी। अन्यथा आपत्ति कर सकने की व्यवस्था नाम के लिये ही रहेगी।

फिर प्रश्न यह है कि अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों का संकेन्द्रण किसे माना जायेगा? ५१ प्रतिशत को या ८० प्रतिशत को?

†**श्री बा० च० कामले** : मैंने संशोधन सख्या १० और ११ प्रस्तुत किये हैं। यह व्यवस्था गुजरात पर लागू नहीं होगी। हम जो भी विधि पारित करें, वह सारे देश के लिये समान होनी चाहिये।

संशोधन संख्या ११ में मैंने सुझाव रखा है कि १९६२ की जनगणना के आंकड़ों को ही अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये सीटें सुरक्षित करने का आधार बनाया जाना चाहिये। यदि उनकी जन संख्या अब बढ़ गई है, तो सुरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़नी चाहिये। इसलिये कि इस बीच में जनसंख्या पर प्रभाव डालने वाली बड़ी-बड़ी घटनायें घट चुकी हैं। इस १९६१ की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन होना चाहिये।

अन्त में मुझे यही कहना है कि यदि बारी बारी से निर्वाचन क्षेत्रों को रक्षित घोषित किया जायेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को रक्षित घोषित करना पड़े, जिसमें अनुसूचित जातियों की आधिक्य न हो। यह विधि की दृष्टि से गलत होगा।

†**श्री तंगामणि** : मैंने तीन संशोधन रखे हैं—संशोधन संख्या ३९, ४१ और ४२। तीनों का प्रयोजन एक ही है।

आश्चर्य की बात है कि प्रथम वाचन के अन्त में उत्तर देते समय, माननीय विधिमंत्री ने परिसीमन आयोग की नियुक्ति का कोई उल्लेख ही नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : मैंने उसका उल्लेख किया था। मैं ने कहा था कि श्री त्यागी को शायद यह गलतफहमी है कि परिसीमन आयोग अभी इसी समय कार्य शुरू कर सकता है। वह तो तभी नियुक्त किया जा सकता है जब १९६१ की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हों।

मेरा संशोधन यही है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाये। उसमें गैर-सरकारी सदस्य भी हों; जिससे कि सभी हितों का प्रतिनिधित्व हो सके।

एक माननीय सदस्य ने बताया था कि पिछले परिसीमन आयोग ने एक बड़े राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित आपत्तियो को दो बैठकों में निबटा दिया था। इस हिसाब से तो देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में अत्याधिक समय नहीं लगना चाहिये और १९६१ की जनगणना के आधार पर उसे १९६२ के चुनावों से काफी पहले सम्पन्न किया जा सकता है। मैं बता ही चुका हूं कि हम इस विधेयक का विरोध नहीं करते। निर्वाचन-क्षेत्रों का विभाजन पर हमें कोई आपत्ति नहीं। सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति—मुख्य निर्वाचन आयुक्त—देश भर के निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में उठने वाली आपत्तियों को कैसे निबटा सकता है? हमने यह भी सुझाव रखा है कि निर्वाचन क्षेत्रों के स्तर पर ही सभी सम्बन्धित हितों के प्रनिनिधियों से परामर्श करके ही परिसीमन को अन्तिम रूप दिया जाये।

संविधान की व्यवस्था हमें जनगणना के प्रतिवेदन के प्रकाशन से पहले परिसीमन आयोग नियुक्त करने से नहीं रोकती। मैं तो यही समझा हूं।

मेरे पहले संशोधन का प्रयोजन है परिसीमन आयोग की नियुक्ति।

मेरा दूसरा सशोधन यह है कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिये सीटें निर्धारित करने का आधार मतदाता सूचियों को ही बनाया जाये। इसलिये कि जनगणना के प्रतिवेदन से हमें अनुसूचित जातियों के संकेन्द्रण का पता नहीं चलता।

तीसरे संशोधन में यह सुझाव है कि परिसीमन के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से पहले सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्ष कर लिया जाये। इसलिये कि बाद में उनमें परिवर्तन करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है।

हम अपने इन संशोधनों पर आग्रह करते हैं।

श्री राम सेवक यादव : सभापति महोदय, इस क्लाज ३ की जो पहली लाइन है उसमें मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं। इसकी यह जो भाषा है कि "जितने शीघ्र हो सके", की जगह पर "जुलाई १९६१ तक" रख दिया जाय। मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि इस क्लाज की जो भाषा है उस का अर्थ यह होगा कि कोई समय निश्चित नहीं होगा, किसी भी समय तक कांस्टिटुएन्सीज का डिलिमिटेशन (निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) चलता रहेगा। मिसाल के तौर पर, जैसा मैंने पहले अर्ज किया था और आज भी अर्ज करता हूं, कि पिछली बार सन् १९५७ के चुनाव में जब कि मार्च में चुनाव हुए और नामजदगी दाखिल हुई तो आखिरी निर्वाचन क्षेत्र २३ फरवरी, १९६१ तक बनाया गया। यह सदन और आप स्वयम् इस पर विचार करें कि चुनाव में जो हिस्सा लेने वाले लोग हैं, मतदाता और चुनाव लड़ने वाले लोग, उनको अन्त तक यह पता नहीं चला कि कौन सा हल्का उनके निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने जा रहा है, और कौन सा उनके निर्वाचन क्षेत्र से निकलने जा रहा है। इस लिये मैं चाहता हूं कि चुनाव कमिश्नर को फिर यह अधिकार न मिले वह जब तक चाहे चुनाव के पन्द्रह दिन पहले तक, निर्वाचन क्षेत्र का निर्णय करता रहे। उसको समय से बांध देना चाहिये जिसमें कि कम से कम छः महीने का समय मिल जाय, ताकि लोगों को मालूम

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम सेवक यादव]

हो जाय कि कौन सा हल्का उनके हिस्से में पड़ने जा रहा है और कौन सा उनके हिस्से से निकलने जा रहा है। इसी दृष्टि से मैं चाहता हूं कि "जितने शीघ्र हो सकें" को हटा कर उसे "जुलाई १९६१ तक" कर दिया जाये, ताकि इस कानून का दुरुपयोग न हो सके।

फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस क्लाज ३ का जो सब क्लाज (बी)(ए) है उसकी दूसरी लाइन में जो "आयोग की राय में" है उसको निकाल दिया जाय। यह जो जुमला है वह बिल्कुल अनावश्यक ह, क्योंकि इसमें जो एक्स्प्लेनेशन (व्याख्या) है उसमें साफ-साफ दिया हुआ है कि इस धारा में 'जनसंख्या' का अर्थ है १९५१ की जनगणना के द्वारा निश्चित जनसंख्या। सन् १९५१ की जनगणना में जहां हरिजनों की आबादी ज्यादा होगी वह हिस्सा हरिजनों के लिये सुरक्षित होगी। जब यह व्यवस्था दी हुई है तो फिर "आयोग की राय में" की क्या आवश्यकता है यह मेरी समझ में नहीं आता। इस तरह की व्यवस्था होते हुए, यह अनावश्यक हो जाता है। और अगर इसका कोई अर्थ है भी तो मैं समझता हूं कि उसका अर्थ यह होगा कि अगर कोई हरिजनों की आबादी का इलाका होगा तो कमिश्नर महोदय समझ सकते हैं कि यह इलाका हरिजनों का नहीं है, दूसरे इलाके में जहां हरिजनों की आबादी ज्यादा नहीं है उसके लिये समझेंगे कि वह हरिजनों का इलाका है और इस तरह पर वह मनमाने ढंग पर इस कानून का दुरुपयोग करेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसा मौका न मिले कि इस का दुरुपयोग किया जा सके। इस लिये मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को हटा दिया जाय। चुनाव क्षेत्र में हरिजनों की आबादी के बाहुल्य की जो बात है उससे यह चीज पूरी तौर पर साफ हो जाती है और इस शब्दावली को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जैसा आज और कल माननीय सदस्यों ने कहा, अभी यह विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले पाया है, फिर भी जगह जगह जिलों में निर्वाचन क्षेत्रों का गठन हो रहा है। विघटन भी हो रहा है। मैं बाराबंकी जिले की बात बतलाऊं। वहां पर असेम्बली की एक डबल मेम्बर कांस्टिटुएंसी (दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र) है, उसको इस विचार से अलग नहीं किया गया कि किस इलाके में हरिजनों की संख्या कम है और किस में दो कांस्टिटुएंसीज बना दी गई, और जब हमने वाकिफकारी हासिल की तो यह बतलाया गया कि यहां से तो दो निर्वाचन क्षेत्र अलग-अलग कर दिये गये हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि किस म हरिजनों की सख्या कम है और किस में ज्यादा है। ऊपर से यह तय हो जायेगा कि कौनसा निर्वाचन क्षेत्र हरिजनों की रिजर्व सीट (रक्षित सीट) वाला होगा और कौन सा सवर्णों की सीट इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून का दुरुपयोग अभी से शुरू हो गया है। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जायेगी तो जहां पर हरिजनों की संख्या ज्यादा है वह हरिजनों का इलाका नहीं बनेगा और जहां पर हरिजनों की संख्या कम है वह हरिजनों का इलाका बन जायेगा। अब चूंकि चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं उन को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह कानून बनाया जा रहा है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर इस क्लाज में जो यह शब्द हैं, ये बिल्कुल अनावश्यक हैं। अगर यह रहते हैं तो इनका दुरुपयोग ही होगा, और कुछ नहीं होगा, इसलिये इनको निकाल दिया जाना चाहिये।

जो पहली लाइन में "जितने शीघ्र हो सके" लिखा हुआ है इसका समय भी निश्चित हो जाय। इसको भी कमिशन के हाथ में नहीं छोड़ा जाना चाहिये कि वह जब तक चाहे निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करता रहे, कांस्टिटुएंसीज का निर्माण करता रहे, बल्कि उसको जुलाई के आखिर तक का समय दिया जाना चाहिये। इस समय के अन्दर अन्दर यह सारा काम समाप्त हो जाय। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका दुरुपयोग होना लाजिमी है। इस चीज को हम दूर नहीं कर सकेंगे चाहे हम कितना ही प्रयास करें। इसलिये मैं माननीय मंत्री

महोदय से निवेदन करूंगा. . . . . मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के कान और ध्यान दोनों साथ हो जाय, तो व ज्यादा अच्छी तरह सुन सकते हैं।

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं सुनता हूं।

श्री राम सेवक यादव : मेरा मतलब यह नहीं था कि आपके कानों में कुछ खराबी है।

श्री अ० कु० सेन : खुदा ने दो कान दिये हैं।

मैंने जो संशोधन सदन के सामने रखे हैं उनमें से एक तो यह है कि क्लाज ३ की लाइन १ में से शब्द "जितने शीघ्र हो सकें" निकाल दिए जाएं और उनके स्थान पर समय की कोई सीमा बांध दी जाए और कमीशन को मनमाना समय लेने का अधिकार न दिया जाए, ताकि लोगों को कम से कम ६ महीने पहले पता चल जाए कि उनका कौनसा निर्वाचन क्षेत्र होगा। तो इसमें समय निर्धारित होना चाहिए।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि क्लाज ३ के सब क्लाज बी० की लाइन २ में से शब्द "आयोग की राय में" निकाल दिए जाएं क्योंकि ये अनावश्यक हैं। जब आपने यह मान मान लिया कि जिन इलाकों में हरिजनों का बाहुल्य होगा वही क्षेत्र सुरक्षित सीट में आएगा, तब इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं हैं, और यदि इनको रखा जाता है तो इनका दुरुपयोग होगा।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधनों को स्वीकार किया जाए।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार श्री अ० प्र० जैन का संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार है? वह संशोधन इस विधेयक में एक बड़ा बुनियादी परिवर्तन करने के लिये है। सदस्यों में उसे ठीक से परिचालित नहीं किया गया है।

†**श्री अ० कु० सेन :** सरकार उसे स्वीकार कर लेगी।

†**डा० म० मो० दास :** तब माननीय सदस्यों को उसके अध्ययन का उचित अवसर दिया जाना चाहिये। और अभी इस विधेयक पर विचार करना स्थगित कर देना चाहिये। तभी माननीय सदस्य उसके बारे में अपनी कोई राय बना सकेंगे।

†**श्री अ० कु० सेन :** वह संशोधन साररूप में बिल्कुल वही है, जो संशोधन संख्या ४३ और ४४ हैं। अन्तर केवल इतना है कि उनकी भाषा श्री जैन के संशोधन से भिन्न है। पर सार उनका एक ही है।

†**सभापति महोदय :** जो भी हो। माननीय सदस्यों को उनके अध्ययन का अवसर देने के लिये सभा अभी खण्ड ३ पर मतदान नहीं करेगी। हम अभी खण्ड ४ को लेते हैं। इसी बीच में श्री जैन का संशोधन परिचालित कर दिया जाये।

†**श्री त्यागी :** श्री जैन के संशोधन के बारे में मेरा संशोधन भी प्रस्तुत किया जाये। तभी सभा को उसकी जानकारी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** मैं उसके बारे में पहले माननीय मंत्री की राय जान लेना चाहता हूं, तभी मैं यह निर्णय कर सकूंगा कि उसकी अनुमति दी जाये या नहीं।

†**श्री त्यागी :** मैं आपका निष्पक्ष निर्णय चाहता हूं।

†**श्री अ० कु० सेन :** श्री त्यागी समझते हैं कि सरकार दूसरा पक्ष नहीं है, इसलिये उसकी राय नहीं सुनी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार की राय न सुनना बड़ा पक्षपातपूर्ण होगा। मैंने श्री त्यागी के संशोधन की प्रति देखी है। वैसे उसका आधारभूत सिद्धान्त तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसकी स्वीकृति प्रशासकीय दृष्टि से हर निर्वाचन क्षेत्र को अपनी लपेट में लेगी और वह असंभव है।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : माननीय मंत्री उसे स्वीकार करें या न करें, यह दूसरी बात है। लेकिन श्री त्यागी को उसे प्रस्तुत करने का अधिकार तो है।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैंने तो नहीं कहा कि उनको ऐसा अधिकार नहीं।

†**सभापति महोदय :** यह भी तो देखना है कि उसकी पूर्व सूचना नियमानुसार दी गई है या नहीं।

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : श्री त्यागी का संशोधन श्री जैन के संशोधन के बारे में है। श्री जैन का संशोधन आज ही प्रस्तुत हुआ है। इसलिये श्री त्यागी को अपना संशोधन प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है।

†**सभापति महोदय :** मुझे इस पूरे प्रश्न की परीक्षा तो कर लेने दीजिये। तभी तो मैं कोई विनिर्णय दे सकूंगा। मैं यह तो देख लूं कि श्री त्यागी का संशोधन श्री जैन के संशोधन के बारे में ही है, या कोई नया संशोधन है।

†**श्री अ० कु० सेन** : सभापति महोदय ने यह बिलकुल सही किया है। नियमों में ऐसी व्यवस्था है। माननीय सदस्य के संशोधन के बारे में उसकी पूर्व सूचना की आवश्यकता के सम्बन्ध में सरकार की राय जान लेना जरूरी है।

†**श्री कासलीवाल** : उस संशोधन के बारे में मेरा भी एक संशोधन है। पहले उसमें "अनुसूचित जातियां और आदिम जातियां" दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब उस संशोधन में से "अनुसूचित आदिम जातियां" शब्द निकाल दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उसे रहने दिया जाये।

†**सभापति महोदय :** आप अपना संशोधन लिखित रूप में मुझे दे दें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : पहले वह संशोधन तो हमें मिले, जिसके बारे में ये दो संशोधन रखे जाते हैं। तभी हम उनका अध्ययन कर सकेंगे।

†**सभापति महोदय** : मैं कह चुका हूं कि वह संशोधन सदस्यों में परिचालित किया जायेगा। खण्ड ३ पर अभी चर्चा नहीं होगी। हम उसे खण्ड ४, ५ और ६ के बाद लेंगे।

श्री त्यागी अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : सभापति महोदय ने विनिर्णय किया है कि खण्ड ३ पर चर्चा स्थगित की जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि खण्ड ३ की चर्चा स्थगित कर दी गई है, इसलिये अच्छा यही रहेगा कि श्री त्यागी अपना संशोधन तभी प्रस्तुत करें जब खण्ड ३ दुबारा लिया जाये। उस समय श्री त्यागी को सबसे पहले अवसर दिया जायेगा। अन्य माननीय सदस्य भी यदि चाहें तो खण्ड ३ सम्बन्धी अपने संशोधनों की पूर्व सूचना इसी बीच में दे दें।

खण्ड ४—(विभाजन का तरीका)

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : मैं अपने संशोधन संख्या १२ और १३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बा० चं० कामले** : मैं अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपना संशोधन संख्या ३२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं अपने संशोधन संख्या ६ और ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन और यह खण्ड सभा के सामने हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैंने दो संशोधन रखे हैं —६ और ७। खण्ड ४ ही इस समूचे विधेयक का प्रवर्तनकारी अंग है। उप खण्ड (क) में व्यवस्था है कि निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के प्रस्ताव राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित किये जायेंगे। मेरा संशोधन है कि उनको भारत सरकार के गजट और मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाये। तभी आम जनता को उनकी ठीक से जानकारी हो सकेगी।

इस खण्ड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि प्रस्तावों के सम्बन्ध में उठाई जाने वाली आपत्तियों की सुनवाई के लिये सार्वजनिक रूप से कोई बैठकें हों। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये। तभी जनता की ओर से मौखिक सुझाव भी दिये जा सकेंगे। आयोग को सार्वजनिक रूप से ऐसी बैठकें करनी चाहियें।

संशोधन संख्या ७ आनुषंगिक है। आशा है कि मेरे संशोधन सरकार स्वीकार कर लेगी।

†**श्री बा० चं० कामले** : मैंने संशोधन संख्या १४ रखा है। यह विधेयक लगभग ९० दो-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। उनके विभाजन का काम बहुत बड़ा होगा। लेकिन वह सारा काम एक अकेले अधिकारी को सौंपा जा रहा है। माननीय विधि मंत्री उसमें न्यायाधीशों का सहयोग लेने को तो तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि संसद्-सदस्यों का सहयोग अवश्य लिया जाये। सभा को निर्वाचन आयोग के विभाजन प्रस्तावों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाये। मतलब यह है कि उन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने का अधिकार संसद् को ही दिया जाये। मेरे संशोधन का यही आशय है।

श्री हेमराज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले के माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे तरीके इस बात की वजाहत की है कि अब दुबारा जो डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसीज़ को अलहिदा किया जा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेमराज]

रहा है तो उस के लिये खास तौर से पब्लिक के जो सुझाव और औबजेक्शंस हैं, उनको सुनने के लिये मौका मिलना चाहिये ।

मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त सन् १९५१ की मर्दमशुमारी के बाद डिलिमिटेशन कमिशन बैठा और उस ने कांस्टीटुएंसीज़ को डिलिमिट किया उस के बाद यहां पर हमने एक स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट (राज्य पुनर्गठन अधिनियम) पास किया और उस का नतीजा यह हुआ जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय आप को पता ही है कि खास तौर से हमारे पंजाब में कांस्टीटुएंसीज का रिऐडजस्टमेंट हुआ । उस के डिलिमिटेशन का काम एलेक्शन कमिशन (निर्वाचन आयोग) के सुपुर्द हुआ । एलेक्शन कमिशन ने उस वक्त भी कहा कि हमारे पास औबजेक्शंस भेज दो हम उन औबजेक्शंस को सुनेंगे, लेकिन जिस वक्त उन के पास औबजेक्शंस भेजे और पेश हुये तो वह कहने लगे कि आप रिटेन औबजेक्शंस भेज दीजिये लेकिन आप हमारे सामने पेश हो कर अपने औबजेक्शंस रक्खें तो हम उस हालत में उनको सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ।

इस बिल में यह आप ने जो क्लाजेज रक्खे हैं उन में भी इसी किस्म की आप ने लैंग्वेज रक्खी है और इसी वास्ते मैं ने क्लाज ४ पर अपने १२ और १३ नम्बर के अमेंडमेंट्स पेश किये हैं । मैं यह चाहता हूं कि क्लाज़ ४ (ए) में "आफ़िशल गेज़ेट आफ़ दि स्टेट" के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें "इंड फ़िक्स ए डेट फ़ार फ़ाइलिंग आबजेक्शन्ज़ टु दि सेम" । मेरा मतलब यह है कि इलैक्शन कमीशन के हाथ बांध दिये जायें और इस बारे में एक डेट फ़िक्स कर दी जाये, ताकि पब्लिक का जो आदमी आबजेक्शन करना चाहे, वह उस डेट तक आबजेक्शन भेज दे ।

अगली क्लाज़ में ये शब्द हैं : "आफ़टर कनसिडरिंग आल आबजेक्शन्ज़ . . ." (सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद) उस का मतलब यह भी हो सकता है कि जो आबजेक्शन्ज़ उस के पास आयें, उन पर वह अपनी मरज़ी से सोचे समझे और फ़ैसला कर दे । मैं चाहता हूं कि आफ़टर (बाद) के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें : आपत्ति-कर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए । इस अमेंडमेंट का मकसद यह है कि जो लोग अपना नुक्ता-ए-निगाह वहां रखना चाहें वे रख सकें और इलैक्शन कमीशन उन को यह कह कर न टाल दे कि आपके आबजेक्शन आ गए हैं, हम ने सोच लिया है और इस तरह उन लोगों को आर्ग्यू करने का मौका न मिले । इस वजह से यह अमेंडमेंट निहायत जरूरी है । मैं ने अभी आप के सामने आबजेक्शन किया था, तो आप ने कहा था कि आप को १९५६ में रिट पेटीशन (लिखित याचिका) करने का हक था । १९५७ में इलैक्शन्ज़ होने वाले हैं और १९५६ के आखिर में कांस्टीट्युएन्सीज़ में एडजस्टमेंट की जा रही है । उस वक्त एक कैंडीडेट रिट पेटीशन में पड़ेगा, या इलैक्शन कैम्पेयन में पड़ेगा । इसलिए अगर इलैक्शन कमीशन के हाथ बांध दिये जायेंगे, तो लाज़िमी तौर पर इलैक्शन कमीशन को, जो भी आबजेक्शन्ज़ होंगे, उन को सुनना पड़ेगा और सुन कर फ़ैसला करना पड़ेगा । यह मेरी छोटी सी अमेंडमेंट है । ला (विधि) मिनिस्टर साहब बहुत रीज़नेबल हैं और मुझे उम्मीद है कि वह इस को मंजूर फ़रमायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रेज़िज़ (सराहना) न करें ।

श्री हेमराज : यह हुकूमत भी रीज़नेबल है । मेरी अमेंडमेंट भी रीज़नेबल है और वह रीज़नेबल आदमी हैं। इस लिए मुझे उम्मीद है कि वह इस को मंजूर कर लेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, क्लाज़ ४ उन मैथड्ज़ के मुताल्लिक है, जिन के मुताबिक कमीशन काम करेगा । उस में पब्लिसाइज़ करने का ज़रिया बताया गया है आफ़िशल गेज़ेट आफ़ दि स्टेट। उस के अलावा और किसी जगह प्रोपोज़ल्ज़ नहीं भेजी जायेंगी। मुझ पता नहीं कि लोग उन प्रोपोज़ल्ज को प्रिंटिड फ़ार्म में ख़रीद सकेंगे, या नहीं। आफ़िशल गेज़ेट इतना वाइडली पब्लिसाइज़ नहीं होता है । मैं जानता हूं कि गांवों और डिस्ट्रिक्ट्स में . . . . . .

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं बता चुका हूं कि उन का संशोधन संख्या ३२ स्वीकार कर रहा हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उस के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं दो तीन बातें और अर्ज़ करना चाहता हूं ।

पहली बात हीयरिंग (सुनवाई) मुताल्लिक है । पिछली दफ़ा जब डीलिमिटेशन कमीशन (परिसीमन आयोग) बैठा, तो उस में कुछ एसोशियेटिड (सह) मेम्बर थे, जिन में मैं भी था। जिस वक्त पंजाब में जालंधर में मीटिंग हुई, तो वहां कुछ नये आदमियों ने भी, जिन्होंने आवजेक्शन नहीं भेजे थे, ज़बानी आबजेक्शन दिये, जिन में से कई एक निहायत माकूल थे और वे मंजूर हुए । यहां पर लोगों को इस बात की आदत नहीं है कि वे पहले से रिटन आवजेक्शन भेजें और फिर चेम्बर में बैठ कर उन का फ़ैसला कर दिया जाये। यह भी प्रोवाइड किया जाये कि उस दिन भी आवजेक्शन किये जा सकते हैं। जनाव वाला लफ्ज़ डेट को भी मुलाहज़ा फ़रमायें । उस से पहले आबजेक्शन भेजे जाने ज़रूरी हैं। जो आबजेक्शन उस के वाद किये जायेंगे, उन को कनसिडर (विचार) नहीं किया जायगा। मैं यह चाहता हूं कि अगर कोई शख्श उस वक्त भी ओरल (मौखिक) या रिटन (लिखित) आबजेक्शन दे, तो वे भी कनसिडर होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह तो सारे आबजेक्शन ही उस वक्त आयेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बहुत थोड़े आदमी आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आखिरी वक्त भी आबजेक्शन लिये जायें, तो फिर रिटन देने की क्या ज़रूरत है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पिछली दफ़ा भी ज़बानी आबजेक्शन सुने गये थे। दो दिन में पंजाब का डीलिमिटेशन जालंधर में खत्म हो गया । अब दो घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगा । इस वक्त डबल-मेम्बर कांस्टीट्युएन्सीज़ कुल तीन हैं। कितने आदमी आयेंगे? ज्यादा नहीं आयेंगे, लेकिन सब को सैटिसफैक्शन (संतोष) हो जायगा कि कम से कम हमारे एतराज़ात सुने गये ।

मेरी राय में श्री कामले का अमेंडमेंट निहायत माकूल है । पहले डीलिमिटेशन एक्ट में डीलिमिट करने का यह कायदा था कि फ़ैसला हो कर पार्लियामेंट के सामने आता था और इस बारे में पार्लियामेंट का आखिरी लफ्ज़ होता था। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पार्लिमेंट के इलैक्शन के मामले में पार्लिमेंट का ही लास्ट वर्ड (अंतिम निर्णय) होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

यह प्रिंसिपल का क्वेस्टियन (सिद्धान्त का प्रश्न) है । आप हाउस आफ़ कामन्ज़ की ट्रेडीशन्ज़ को देखें । डिस्क्वालिफ़िकेशन आफ़ मेम्बर्ज़ का फ़ैसला खुद पार्लिमेंट —मेम्बर्ज़— करती है । इस में प्राविंसिज़ और उन की कांस्टीट्युएन्सीज़ और पार्लिमेंट्री कांस्टीट्युएन्सीज़ का ही महज़ सवाल नहीं है । यह सारे देश का सवाल है। पार्लिमेंट के मेम्बरों को उस फ़ैसले को रीव्यू (पुनरीक्षण) करने का हक होना चाहिए । पहले यह कायदा था कि आखिरी चीज़ पार्लिमेंट में आती थी और पार्लिमेंट का हुक्म फ़ाइनल होता था और तब प्रैज़िडेंट उस को मन्जूर फ़रमाते थे। यह नहीं था कि जो कुछ कमीशन ने कर दिया, वही फ़ैसला हो गया । पार्लिमेंट साविरेन बाडी (प्रभुता सम्पन्न निकाय) है । आखिरी फ़ैसला पार्लिमेंट में होना चाहिए। यहां पर उस बारे में एतराज़ात और डीबेट हो । यह उसूल का सवाल है । मैं ला मिनिस्टर साहब से दरख़्वास्त करूंगा कि चूंकि यह अमेंडमेंट मन्जूरी के काबिल है, इस लिए वह इस पर तवज्जह दे कर इस को मन्जूर फ़रमायें ।

†**श्री अ० कु० सेन :** संशोधन संख्या ३२ के संबंध में, जैसा मैं ने पहले कहा है, मैं विभाजन के प्रस्तावों को महत्वपूर्ण प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित कराने का दायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। हम इस के लिये एक संशोधन का प्रारूप कर रहे हैं, जिस से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उस में सुविधा रहे। मैं मानता हूं कि सिर्फ सरकारी गजटों में प्रकाशित करने से, जनता को उन प्रस्तावों की पर्याप्त जानकारी नहीं हो पायेगी।

जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों सम्बन्धी विभाजन प्रस्तावों पर की जाने वाली आपत्तियों की सार्वजनिक रूप से सुनवाई का प्रश्न है, और उस के लिये खण्ड ४ को संशोधित करने का प्रश्न है, मैं उस से सहमत नहीं । मैं उसे अनावश्यक मानता हूं ।

आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आपत्तियों की सुनवाई उचित ढंग से और पूर्ण विवेकशीलता के साथ की जाये । आखिर हम कोई न्यायालय तो नहीं बना रहे हैं जिसे सार्वजनिक रूप से मध्यस्थता करने के लिये कहें । हमारा मंशा तो इतना ही है कि एक ऐसी व्यवस्था करें जिस से कि आपत्तियों की उचित सुनवाई हो, और उन के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय हो ।

इस में सब से पहली कठिनाई तो यही पड़ेगी कि सार्वजनिक सुनवाई की कोई एक परिभाषा करना कठिन है । उसकी भिन्न-भिन्न व्याख्यायें की जायेंगी। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णयों को चुनौती दी जायेगी । और, मैं ने पहले ही कहा है कि दो-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करने का यह काम समूचे निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के काम से बहुत भिन्न है। दोनों एक नहीं हैं। वर्तमान रक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी तो आखिर परिसीमन आयोग ने ही बनाये थे। उस समय परिसीमन आयोग ने सभी दलों और हितों की बात सुनी थी। अब काम सिर्फ उन के विभाजन का है और विभाजन भी इस विधेयक द्वारा निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार ।

इसलिये इस पर परिसीमन अधिनियम लागू नहीं होता। यदि हम विभाजन के इस काम पर भी परिसीमन अधिनियम लागू करें, तो १९६२ में एक-सदस्य निर्वाचन

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्रों के आधार पर आम चुनाव नहीं कराये जा सकेंगे । मैं ने बताया है कि पिछले परिसीमन आयोग ने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन-कार्य में तीन वर्ष लगाये थे । यह एक-दो महीने का काम नहीं है । इन सब बातों पर विचार करने के बाद, हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गुजरात राज्य के अतिरिक्त शेष सारे देश के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये अभी उतनी लम्बी प्रक्रिया अपनाना अनावश्यक होगा । गुजरात में तो बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चल ही रहा है । हम गुजरात के लिये निर्धारित अधिक सदस्यों की संख्या के आधार पर ही व्यवस्था करेंगे । एक माननीय सदस्य का सुझाव है कि अन्य राज्यों की भांति गुजरात पर भी समान रूप से लागू किया जाये । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वहां निर्वाचन-क्षेत्रों को नये सिरे से बनाना है । अन्य निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की जन संख्या के बाहुल्य के आधार पर बनाये जा चुके हैं । अब हम उन को एक-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में बांट रहे हैं । उस के लिये हम ने एक कसौटी रखी है । नये एक-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से एक गठी हुई इकाई हों और रक्षित निर्वाचन क्षेत्र उसी को बनाया जाये जिस में अनुसूचित जातियों की जन संख्या काफी अधिक हो । और १९६१ की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद तो एक परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एक नये सिरे से करेगा ही । लेकिन वह काम १९६२ के आम चुनावों तक नहीं किया जा सकता । मैं समझता हूं कि इसमें इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनावश्यक है कि आपत्तियों की उचित रूप से सुनवाई होगी । वह तो होगी ही । विधि का उद्देश्य और अर्थ यही होता है कि उसका उचित अवसर दिया जायेगा, यदि वह सिद्धान्त सामने नहीं रखा जायेगा, तो निर्णय प्रारम्भ से ही ग़लत हो जायेगा ।

मैं ने श्री हेमराज को उत्तर देते हुए बताया था कि यदि निर्वाचन आयोग किसी एक व्यक्ति को आपत्ति उठाने का उचित अवसर नहीं भी देता, तो न्यायालय में उस के निर्णय के विरुद्ध लिखित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, और उस के निर्णय को रद्द करवाया जा सकता है ।

अब मान लीजिये कि हम स्पष्ट व्यवस्था कर भी दें कि प्रत्येक व्यक्ति की आपत्ति की उचित रूप से सुनवाई की जायेगी । और यदि फिर भी निर्वाचन आयोग सुनवाई न करे तो, क्या होगा ? उसे तब भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा ; न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी । इसलिये ऐसी व्यवस्था से स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसेलिये वह अनावश्यक है ।

संशोधन संख्या ३२ के सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि "राज्य के सरकारी गजट में एक सूचना के साथ" शब्दों के स्थान पर "भारत सरकार के गजट, राज्य के सरकारी गजट और राज्य के प्रादेशिक भाषाओं के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में" मैं महत्वपूर्ण समाचारपत्र शब्द नहीं रखना चाहता हूं । इसके स्थान पर "राज्य की प्रादेशक भाषाओं के उन समाचार पत्रों में जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से महत्वपूर्ण हों" हम अदालत में इस मामले में तर्क नहीं चाहते हैं कि कौन से समाचार पत्र महत्वपूर्ण हैं और कौन नहीं हैं । मेरे विचार से पंडित ठाकुर दास भार्गव संशोधन के इस रूप से सहमत होंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : यह संशोधन संतोषजनक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ पंक्ति २१ और २२ में

"In the official Gazette of the side together with a notice"

[राज्य के सरकारी गजट में एक सूचना के साथ] **शब्दों के स्थान पर यह शब्द रखे जायें**

"In the Gazette of India, in the official Gazette of the state and in such newspapers in the regional languages of the state, as one considered important by the Commission together with a notice inviting objections and suggestions inrelation to the proposals and"

["भारत सरकार के गजट, राज्य के सरकारी गजट, तथा राज्य की प्रादेशिक भाषाओं के ऐसे समाचारपत्रों में जिन्हें आयोग महत्वपूर्ण समझे, प्रस्तावों के सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझावों को निमंत्रित करने वाली एक सूचना के साथ"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन ३२ के स्थान पर सरकार द्वारा संशोधन संख्या ५० रखा गया है, मैं इसे सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

पृष्ठ २, पंक्ति २१ और २२ में,

"In the official Gazette of the state together with a notice"

[राज्य के सरकारी गजट में एक सूचना के साथ] **शब्दों के स्थान पर यह शब्द रखे जायें**

"In the Gazette of India, in the official Gazette of the state and in such newspapers in the regional languages of the state as are considered important by the Commission together with a notice inviting objections and suggestions in relation to the proposals and"

[भारत सरकार के गजट, राज्य के सरकारी गजट, तथा राज्य की प्रादेशिक भाषाओं के ऐसे समाचारपत्रों में जिन्हें आयोग महत्वपूर्ण समझे, प्रस्तावों के सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझावों को निमंत्रित करने वाली एक सूचना के साथ]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं संशोधन संख्या ६ और ७ को सभा में मतदान के लिये रखूं ?

†**श्री श्रीनारायन दास** : इस का एक भाग तो स्वीकार कर लिया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह दूसरे भाग पर जोर नहीं दे रहे हैं। क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री हेमराज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १२ और १३ को मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या १२ और १३ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

संशोधन संख्या १४ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६, (गुजरात के लिये विशेष उपबंध, १९६० के अधिनियम ११ की धारा १९ में संशोधन)

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं संशोधन संख्या ४९ प्रस्तुत करता हूं ।

यह एक आनुषगिक संशोधन है । मैंने खंड तीन में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका आशय यह है कि पांच वर्षों से अधिक समय के लिये एक ही निर्वाचन क्षेत्र को रक्षित न रखा जाय, यदि वह संशोधन स्वीकृत होगा तो यही बात गुजरात के सम्बन्ध में भी लागू होगी । अतः इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति खंड ३ में दिये गये संशोधनों पर निर्भर है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं निर्वाचन क्षेत्रों के परिवर्तन करने के सिद्धान्त के विरुद्ध हूं । इस संशोधन के परिचालित करने के पश्चात मैं इस विषय में अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं तब मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

†**श्री त्यागी** : मैं संशोधन संख्या ४९ पर अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड ३ और ६ पर चर्चा निलंबित की जाती है । इन संशोधनों को सदस्यों को परिचालित किया जायेगा । जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ और ८ विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ और ८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

छिहत्तरवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छियत्तरवीं प्रतिवेदन से, जो १६ फरवरी, १९६१ को सभा में प्रस्तुत की गई थी, सहमत है"

---

†मूल अंग्रेजी में

1940 (Ai) LSD.—8.

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छियत्तरवीं प्रतिवेदन से, जो १ फरवरी १९६१ को सभा में प्रस्तुत की गयी थी, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब १६ दिसम्बर १९६० को प्रस्तुत कोयला खान भविष्य निधि योजना के अधीन अंशदान की दर में वृद्धि करने के संकल्प के बारे में अग्रेतर चर्चा करेगी।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मेरा संकल्प इस प्रकार है :

"कि इस सभा की यह राय है कि कोयला खान भविष्य निधि योजना के अधीन अंशदान की दर ६। प्रतिशत से बढ़ा कर तुरंत ८ १।३ कर दिया जाय ।"

भविष्य निधि योजना से ३५०००० श्रमिकों को लाभ मिलेगा। अतः इसका उद्देश्य यह है कि बुढ़ापे में पदनिवृत्ति के पश्चात उन्हें अपनी गुजर करने योग्य राशि प्राप्त हो जाय । अतः यह राशि इतनी होनी चाहिये कि बुढ़ापे में वे आत्म निर्भर रह सकें और उनका गुजर हो जाय । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि कोयला खान श्रमिकों को बहुत खराब हालतों में काम करना होता है और आये दिन वहां दुर्घटनायें होती रहती हैं ।

इस सम्बन्ध में १९६० में प्रकाशित कोयला बुलेटिन में प्रकाशित आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि ११,७०० दावों का निपटारा किया गया और औसतन २१·४१ लाख रुपये दिये गये । इस प्रकार प्रत्येक श्रमिक को १८३ रु० मिले । अब अनुमान लगा सकते हैं कि १८३ रु० में एक श्रमिक अपने जीवन के अवशेष दिन किस प्रकार व्यतीत कर सकता है ।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था में पिता को पुत्र का पालन करना होता है, इसके बदले में पुत्र पिता का पालन नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपने बालकों का पालन करना होता है । इस कारण वृद्धावस्था में व्यक्ति को केवल अपनी आय पर ही निर्भर करना होता है । यह आय इतनी कम है कि इससे किसी व्यक्ति की गुजर नहीं हो सकती है । निस्संदेह कुछ श्रमिक उपदान योजना के अन्तर्गत आते हैं तथापि ऐसे श्रमिकों की संख्या बहुत कम है । अधिकांश श्रमिकों को केवल भविष्य निधि पर निर्भर रहना होता है ।

१९५२ में जबकि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत उनका मंहगाई भत्ता भी बुनियादी मजूरी में मिला दिया गया कोयला खान श्रमिकों को इस योजना से पृथक रख कर सरकार ने भेदभाव की नीति अपनायी गयी ।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल ने इस सम्बन्ध में सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । यह प्रतिवेदन १९५८ में प्रकाशित हुआ है, इस प्रतिवेदन के ३६ पृष्ठ में कहा गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि भविष्य निधि का अंशदान ६¼ प्रतिशत से बढ़ा कर ८⅓ कर दिया जाय । यदि सरकार उस समय ही इस योजना को स्वीकार कर लेती तो इस समय तक भविष्य निधि योजना में ३ करोड़ रुपये और जमा हो जाते । हमारा अनुमान है कि इस योजना को क्रियान्वित करने से प्रति वर्ष ७५ लाख रुपये से कुछ कम रुपये अतिरिक्त जमा होंगे ।

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि सरकार को कोयला खानों से ६ करोड़ रुपये की आय हो रही है । तब उक्त राशि मजदूरों के लाभ के लिये क्यों नहीं दी जाती है ।

१९५१ से १९६० तक कोयला खानों का उत्पादन २ करोड़ टन बढ़ गया है । प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता भी ३३ से बढ़ कर ४२ हो गयी है । सरकार को होने वाली आय में भी वृद्धि हुई है, अतः यह आवश्यक है कि मजदूरों की भविष्य निधि के अंशदान में भी वृद्धि की जाय ।

इस सम्बन्ध में मिल मालिकों को भी कोई शिकायत नहीं हो सकती है, इसका कारण यह है कि जब भी मजूरी में वृद्धि होती है तो मिल मालिक सरकार से कोयले की दरें बढ़ाने की मांग करते हैं, यद्यपि मजदूर यह नहीं चाहते हैं कि इस आधार पर उनके भविष्य निधि की रकम बढ़ाई जा रही है कोयले की दर में कोई वृद्धि की जाय । सच्चाई यह है कि बिना दर में वृद्धि किये भी भविष्य निधि की रकम बढ़ाई जा सकती है । वस्तुतः यह समाज के उस वर्ग की मांग है जो कि अशिक्षित हैं तथा जो बहुत भयावह स्थितियों में काम कर रहे हैं, उनके काम करने की अवस्था भी अत्यन्त खराब है अतः सरकार को चाहिये कि उन्हें यथोचित सहायता दे । मैं आशा करता हूं कि सरकार को भविष्य निधि के अंशदान की दर बढ़ाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध सदस्यों के द्वारा कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और सदव सरकार ने यही उत्तर दिया है कि इस मामले पर अविलम्बनीय रूप से विचार किया जा रहा है । खानों में सामाजिक सुरक्षा बहुत कम रहती है और आये दिन वहां दुर्घटनायें हुआ करती हैं, इस कारण इसकी दरों में वृद्धि करना आवश्यक है । खानों के मालिक भी इस दर में वृद्धि करने में समर्थ हैं तब भला क्या कारण है कि इसमें अभी तक वृद्धि नहीं की जा रही है ? मैं आशा करता हूं कि उपमंत्री इस सम्बन्ध में निश्चित आश्वासन देंगे ।

अभी हाल मैंने कलकत्ता में टंगार नामक एक खेल देखा जिससे मैंने कोयला खानों की सही अवस्था का पता लगाया वस्तुतः ये लोग बहुत ही दर्दनाक हालतों में काम करते हैं ।

मैं इस सम्बन्ध में आंकड़ों इत्यादि का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं तथापि मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार करेगी तथा इसे केवल इस कारण ही अस्वीकार नहीं कर देगी कि यह विरोधी सदस्यों द्वारा उठाया गया है ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । वस्तुतः श्रमिक क्षेत्रों में काम करने वाले सदस्य बहुत समय से यह मांग करते रहे हैं कि अंशदान की राशि बढ़ा कर ६¼ से ८⅓ कर दी जाय ।

इसमें संदेह नहीं है कि कोयला खान श्रमिक बहुत खतरनाक स्थितियों में कार्य करते हैं, उनका जीवन बहुत विषम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेलकोटे]

यह सही है कि इस बीच जीवन निर्वाह व्यय बढ़ा है, तथापि सरकार ने खान मालिकों को भी पर्याप्त रियायतें दी हैं, कोयले की दरों में निरंतर वृद्धि होती गयी है। इससे अप्रत्यक्ष रूप में मिल मालिकों को लाभ मिला है अतः यह भी उचित है कि मजदूरों को भी इसका लाभ दिया जाय।

सरकार ने तीन या चार वर्ष पूर्व यह आश्वासन दिया था कि सरकार पेंशन दुर्घटना, बीमा, भविष्य निधि आदि की सुविधायें देने के हेतु एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी तथापि आज तक ऐसा नहीं किया गया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र एक योजना इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाय, और उस पर तत्काल अमल किया जाय।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): डा० मेल्कोटे ने श्री वारियर के संकल्प का जो जोरदार समर्थन किया है उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि सभा के सभी पक्ष इस मामले में एकमत हैं। कभी कभी हम सरकार के प्रवक्ता से भी किसी बात का समर्थन सुनते हैं तथापि यह समझ में नहीं आता है कि तब भला किस कारण सरकार उन योजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब करती है।

यहां पर यह तर्क किया जायेगा कि भविष्य निधि की वृद्धि करने के फलस्वरूप कोयले की दरों में वृद्धि हो जायेगी जो देश के औद्योगिक हितों के लिये अच्छा सिद्ध नहीं होगा। अभी हाल कोयले के भाड़े में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस प्रकार इस उद्योग को २ करोड़ रुपये और व्यय करने होंगे। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उद्योग यह अतिरिक्त भार वहन करने योग्य है, तथापि जब यह कहा जाता है कि भविष्य निधि की दर में वृद्धि की जाय तो यह तर्क दिया जायेगा कि उद्योग इस व्यय को वहन करने में समर्थ नहीं होगा।

हमें इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि इस बीच कोयला उद्योग ने १,७००,००० टन कोयला विदेशों को निर्यात किया है और इस प्रकार उन्होंने बहुत रुपया कमाया है यह स्मरण रखना चाहिये कि कोयले की प्रति टन निर्यात दर ३१ रु० है जब कि देश में कोयला १९ रु० प्रति टन कोयला बिकता है। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि उद्योगों में इस अतिरिक्त भार को वहन करने की पूरी क्षमता है।

हमारे कोयला खानों में लगभग ३६०,००० व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें से प्रति वर्ष लगभग ११,००० व्यक्ति अपने पद से निवृत्ति होते हैं। यह दुख का विषय है कि पद निवृत्ति के समय उन्हें केवल २०० रु० के लगभग मिल सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज कल के समय इस राशि का क्या मूल्य है। जब कि कोयला खानों में होने वाले घातक प्रभाव के कारण वह किसी अन्य कार्य करने के अयोग्य हो जाता है।

हमारे कोयला खानों में कार्य करना कितना खतरनाक है यह बात इसी से सिद्ध हो जाती है कि वर्ष १९५१, १९५२ और १९५३ के दौरान हुए घातक दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः ३१९, ३५३ और ३३० थी। पिछले १० वर्षों में २००० दुर्घटनायें हुई हैं। यह आंकड़े मैं सरकारी बुलेटिन से बता रहा हूं। ऐसी स्थितियों में कार्य करने के उपरांत एक श्रमिक को केवल २०० रु० प्राप्त होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम देश में बचत और मितव्ययता की आदत डाल रहे हैं, जब श्रमिक अपने अंश की रकम देने को तैयार हैं तो क्या कारण है कि उद्योग इस भार को वहन नहीं कर रहा है ।

इस योजना से न केवल ३६०,००० मजदूरों को ही लाभ पहुंचेगा अपितु उनके परिवारों को भी बहुत लाभ होगा । देश की बचत में वृद्धि होगी, अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना को तत्काल क्रियान्वित करें ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं भविष्य निधि के अंशदान का अंश ६ $\frac{1}{4}$ से ८ $\frac{1}{3}$ करने वाले संकल्प का समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रम सम्बन्धी अध्याय में लिखा है कि उस श्रमिक के लिये, जिसने अपना सारा श्रम देश के हाथों में सौंप दिया है, उसे दुर्घटनाओं इत्यादि से रक्षा करने के लिये उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिये ।

दूसरी पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में हुई त्रिपक्षीय सम्मेलन में भी इस सम्बन्ध में लगभग सभी सहमत थे कि अंशदान की दर ६ $\frac{1}{4}$ से बढ़ा कर ८ $\frac{1}{3}$ प्रतिशत कर दी जाय । उस समय सम्मेलन के अध्यक्ष श्री नन्दा ने यह सलाह दी थी कि इस प्रश्न को कुछ समय के लिये निलम्बित कर दिया जाय । अब द्वितीय योजना को समाप्त होने में केवल एक मास का समय है, तथापि अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया ।

यह स्मरण रखना चाहिये कि पिछले दस वर्षों में न सिर्फ कोयले का उत्पादन बढ़ा है अपितु कोयला खनिकों की उत्पादकता भी बढ़ी है । तब भला क्या कारण है कि अंशदान की दर नहीं बढ़ायी जा रही है ।

अब मैं कोयला खानों में लगी हुई पूंजी के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । इस पूंजी में वृद्धि होती जा रही है । उदाहरणार्थ १९५६, १९५७, १९५८ में इस कार्य में लगी हुई पूंजी क्रमशः इस प्रकार थी :-- ११७ करोड़, ८३ करोड़ और १०३ करोड़ रुपये । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कोयला उद्योग से होने वाले लाभ में वृद्धि हुई है अन्यथा इस उद्योग में इतनी पूंजी नहीं लगायी जाती ।

यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि कोयला खानों में किसी भी अन्य उद्योग की अपेक्षा दुर्घटना की अधिक संभावना रहती है । एक प्रश्न के उत्तर में श्रम उपमंत्री ने यह बताया था कि भविष्य निधि के अंशदान में वृद्धि होने के कारण ७५ लाख रुपये अधिक देने होंगे । यह स्मरण रखना चाहिये कि इसी अवधि में कोयले के उत्पादन से होने वाली अधिक आय १०० करोड़ रुपये हैं । क्या उसमें से श्रमिकों को इतना भी लाभ नहीं मिल सकता है ।

ऐसे समय जब कि हम भविष्य में कोयले का उत्पादन बढ़ाने की सोच रहे हैं हमें चाहिये कि हम श्रमिकों के हितों पर सच्चाई से विचार करें । क्योंकि देश का समस्त औद्योगिक विकास कोयले के उत्पादन पर निर्भर करता है अतः यह आवश्यक है कि श्रमिक को इतनी सामाजिक सुरक्षा अवश्य प्रदान की जाय कि वह कार्य निवृत्त होने पर अपना जीवन यापन सुविधा से कर सके । यह दुख की बात है काम से मुक्त होने पर उसे केवल २०० रु० प्राप्त होते हैं अतः यह स्पष्ट है कि या तो वह कोई दूसरा कार्य करे या सड़क पर भीख मांगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मालकोंटे]

भारत में, जब कि अन्य उद्योगों के श्रमिकों की आय औसतन १२८४ रु० है, तो कोयला खनिक की आय केवल १२०० रु० वार्षिक है। अन्य देशों में कोयला खनिक को सब से अधिक आय मिलती है तथा उसके काम के घंटे भी अन्य श्रमिकों की तुलना में कम रहते हैं। भारत की दशा इस से विपरीत है।

यहां मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह कहना गलत है कि उद्योग इस अतिरिक्त भार को वहन करने में असमर्थ है, जब वे अतिरिक्त भाड़े के रूप में २ करोड़ रुपये वहन कर सकते हैं तो क्या वे केवल ७५ लाख रुपये वहन नहीं कर सकते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस संकल्प को स्वीकृत करें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : विदेशी विशेषज्ञों की राय में हमारे देश की श्रम सम्बन्धी विधियां हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक दशा को देखते हुए बहुत प्रगतिशील है, तथापि यह बात कोयले के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती है, कोयले उद्योग के सम्बन्ध में श्रम विधियां पिछड़ी और अनुपयुक्त हैं। इसके साथ साथ यह बात भी समझ में नहीं आती कि कोयले उद्योग का अभी तक राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जा रहा है, यह उद्योग देश के सभी उद्योगों की धुरी है और इसके विकास पर ही देश के सभी उद्योगों का विकास निर्भर करता है अतः यह आवश्यक है कि इस उद्योग का देश के हित में तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाय।

इन खानों में नित्य प्रति दुर्घटनायें होती रहती हैं, खानों में कई अवांछनीय बातें भी चलती रहती हैं, इसके अलावा इन खानों से कोयला भी वैज्ञानिक ढंग से नहीं निकाला जा रहा है, गैर-सरकारी क्षेत्र इन खानों से निजी स्वार्थ साधन कर रहा है, अतः यह आवश्यक है कि इन खानों का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाय।

इस दिशा में हमने दूसरे देशों के अनुभवों से कोई लाभ नहीं उठाया। खानों के मालिक खानों की खोदाई का काम वैज्ञानिक ढंग से नहीं कर रहे हैं। इससे देश को काफी हानि पहुंचने का भय हो सकता है। कोयला खानों में श्रमिकों को उनका पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। उनकी सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में भी कुछ नहीं किया जा रहा।

कहा गया है कि उद्योग के लिए भविष्य निधि का खर्च वहन करना सम्भव नहीं होगा। मेरा मत तो यह है कि भविष्य निधि किसी श्रमिक के लिए ही लाभदायक नहीं प्रत्युत यह एक राष्ट्रीय बचत है इससे सामाजिक सुरक्षा का कार्य भी लिया जा सकता है अतः यह कहना कि ८$^1/_3$ प्रतिशत भविष्य निधि में देना उद्योग को खतरे में डाल देगा नितान्त गलत बात है। भविष्य निधि में जो भी धन जमा होगा उसमें तो सामूहिक राष्ट्र का ही लाभ होगा। मेरा मत यह है कि भविष्य निधि की दर को बढ़ाने से श्रमिकों को जितना सन्तोष होगा उतना किसी भी बात से नहीं होगा अतः भविष्य निधि की दर बढ़ा दी जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त श्रमिकों के काम की अवस्था को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरा यह निश्चित मत है कि कोयला खानों के श्रमिकों के हितों की रक्षा की ओर हमारा सब से अधिक ध्यान जाना चाहिये। कोयला खान में काम करने वाले श्रमिक

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में प्रथम कोटि का औद्योगिक कर्मचारी है अतः हमें श्री वारियर द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पूर्ण समर्थन करना चाहिए ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : यह संकल्प बिल्कुल विवाद-हीन प्रकार का है और इसे स्वीकार कर लेने में सरकार को किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। यह याद रखना पड़ेगा कि कोयला-श्रमिकों को ही सब से ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है हालाकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक उद्योग में उनकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है।

कोयला-श्रमिकों के काम के हालात में परिवर्तन सिर्फ उसी हालत में किया जा सकता है जब कि कोयला उद्योग का राष्टीयकरण कर लिया जाय। इस संकल्प को स्वीकार कर लेने से कोयला उद्योग में लगे श्रमिकों की हालत में जरूर कुछ सुधार होगा।

†**श्री रंगा** (तेनालि): यह संकल्प जिस भावना से लाया गया है वह स्वागत करने योग्य है । इस में जो मांग की गई है वह कुछ ज्यादा नहीं है। यदि संकल्प को लागू करने में कोई कठिनाई हो तो सरकार को उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

इस संकल्प के संदर्भ में राष्ट्रीयकरण की बात करना संगत न होगा क्योंकि कोयला खनन पर सरकारी निगम का नियंत्रण है। यदि वे अपने नियंत्रण वाली खानों के श्रमिकों की हालत में ही सुधार कर दें और उन्हें बेहतर सुविधायें प्रदान कर दें तो भी कुछ तसल्ली हो सकती है ।

श्रमिकों की भविष्य-निधि (प्राविडेंट फंड) अप्रत्यक्ष रूप से एक राष्ट्रीय बचत के समान है और राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में उसका उपयोग किया जा सकता है । इसलिए इस संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिए।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : मैंने माननीय सदस्यों के विचारों को बड़े ध्यान से सुना है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सब श्रम कल्याण की भावना से ही प्रेरित होकर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। हम भी संकल्प में निहित भावना के विरोधी नहीं हैं। हम भी श्रम कल्याण में पूर्ण विश्वास रखते हैं, परन्तु प्रश्न तो यह है कि कोई बात कब और कैसे की जाय।

भविष्य निधि का प्रश्न काफी देर से सरकार के विचाराधीन था। इस मामले पर अगले मास होने वाली कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति की बैठक में भी विचार हो रहा है । श्री विट्ठल राव उस समिति के सदस्य हैं और हम इस बैठक में कुछ निर्णय करने जा रहे हैं।

कुछ साधारण सी बातें भी प्रस्तुत हुई हैं, उन के संबंध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मेरा मत यह है कि कोयला खनिकों की काम की हालत के बारे में जिस प्रकार की निराशाजनक बातें कही जा रही हैं। हालात को गम्भीरतापूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि वे उचित नहीं हैं। छः मास हुए हम इस पर पूरी तरह चर्चा कर चुके हैं। सदन को पता होगा कि श्री नन्दा जी ने उस समय बताया था कि हमारे हालत इस दिशा में तुलनात्मक तौर पर बुरे नहीं । देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर भी हैं जिन्हें इन से कहीं बुरी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ल० ना० मिश्र]

अवस्थाओं में काम करना पड़ रहा है । दुर्घटनायें भी हमारे यहां अन्य देशों के मुकाबले में कम होती हैं । सुरक्षा की व्यवस्था भी अच्छी है और उस में और भी सुधार की गुंजाइश है । इस के लिए कई समितियां कार्य कर रही हैं और इस दिशा में निराश होने की जरूरत नहीं ।

श्री विट्ठल राव ने कहा है कि आवास समस्या को हल नहीं किया गया। यह ठीक है कि यह समस्या हल नहीं हो पाई है । जमीन और इमारती सामान न मिल सकने के कारण इस दिशा में समुचित प्रगति नहीं हो पाई । अब कोयला उपकर बढ़ा दिया गया है । इस के परिणामस्वरूप जो धन प्राप्त होगा उसे इस कार्य में उपयोग कर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

अंशदान का दर बढ़ाने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि यह दर बढ़ाई गयी तो यह उद्योग जिन परिस्थितियों में हैं उन की वजह से कोयले की कीमतों को बढ़ाना आवश्यक हो जायेगा। इस के बिना उद्योग के लिए इसे सहन करना सम्भव नहीं होगा। अपनी परिस्थितियों और योजनाओं का ध्यान रखते हुए यह जरूरी है कि कोयले की कीमतें कम ही रहें। इस दिशा में यह कहना भी गलत है कि हम समय से बहुत आगे चल रहे हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण मौजूदा हालत में बुद्धिमानी का कार्य न होगा । अभी हमें इस से कहीं जरूरी काम पूरे करने हैं। हमारे साधन और क्षमता अभी सीमित हैं । ऐसा करने से हम अपने आप से न्याय नहीं कर पायेंगे ।

कोयला खनिकों की अवस्था बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लौह अयस्क खनिकों से बहुत अच्छी है । अतः सुधार के लिए भी प्राथमिक लौह अयस्क खनिकों को ही देनी होगी। उनकी अवस्था बहुत ही शोचनीय है। इन परिस्थितियों में मैं संकल्प के प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इसे वापिस ले लें तो अधिक अच्छा होगा।

†**श्री वारियर :** सरकार ने इस संकल्प को स्वीकार न करने के संबंध में कोई समुचित कारण नहीं बताये हैं। बारम्बार अनुरोध किये जाने के बावजूद कोयला खनिकों के संबंध में भविष्य निधि में अंशदान करने के पात्र बनने की अवधि तक नहीं घटाई गयी है। सरकार बराबर इस प्रश्न को टाल देने का ही प्रयास करती रही है । यह आश्वासन तो दिया ही जाना चाहिये कि इस संकल्प के पीछे जो भावना है आगे चलकर उसे तो स्वीकार कर ही लिया जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

> "इस सभा की यह राय है कि कोयला खान भविष्य निधि योजना के अधीन अंशदान की दर ६ $^{1}/_{4}$ प्रतिशत से बढ़ाकर तुरन्त ८ $^{1}/_{3}$ प्रतिशत कर दी जाय ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनीतिक प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी संकल्प

†**श्री परूलकर** (थाना) : मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"इस सभा की राय है कि धार्मिक पूजा और तीर्थ यात्रा के स्थानों का राजनीतिक प्रचार और आन्दोलन के लिए प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार को उचित विधान प्रस्तुत करना चाहिए।"

इस संकल्प का विषय कोई गम्भीर विवाद का विषय नहीं। इस में निहित भावना पूर्णतः निर्दोष है। बड़ी सरल सी बात कही गयी है जिस के लाभ स्पष्ट हैं। धार्मिक पूजा के स्थानों की पवित्रता की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। पूजा के स्थान ईश्वर की पूजा अथवा आराधना के लिए हैं न कि राजनीतिक प्रचार के लिए। ईश्वर की आराधना के लिए सब को स्वतंत्रता होनी चाहिए। धर्म की आड़ लेकर चुनावों में वोट नहीं मांगे जाने चाहियें। राजनीतिक प्रचार के लिए ऐसे स्थानों के प्रयोग से धर्म निर्पेक्ष राज्य के विकास को खतरा है। परन्तु स्थिति यह है कि इन धार्मिक स्थानों का राजनीतिक कार्यों के लिये प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढती जा रही है और उस पर रोक लगाना आवश्यक है। इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए।

१९५५ और १९५६ में क्रमशः आंध्र और केरल में राजनीतिक कार्यों के लिए गिरजा-घरों के प्रयोग के ज्वलंत उदाहरण देखने में आये। वहां के पादरियों ने लोगों को धर्म-बहिष्कृत कर दिये जाने की धमकी दे कर साम्यवादियों के पक्ष में मत डालने से रोका। इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लीग पुनः सजीव हो गयी है और पूरी शक्ति से राजनीति में प्रवेश कर रही है। राजनीतिक कार्यों के लिये मसजिदों का भी प्रयोग किया जा रहा है। यह भी ठीक है कि पंजाबी सूबे की राजनीतिक मांग के लिए गुरुद्वारों का प्रयोग किया गया है। यह मांग भले ही औचित्यपूर्ण हो, परन्तु इस प्रयोजन के लिए गुरुद्वारों का प्रयोग करना उचित नहीं था।

अब समय आ गया है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाये, अतः इस संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : इस संकल्प का सिद्धान्त निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है परन्तु मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। जब तक "राजनीतिक प्रयोजनों" की स्पष्ट परिभाषा नहीं हो जाती इस दिशा में विशेष रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता। जहां तक चुनाव कार्य में धर्म का प्रयोग करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में उसके सम्बन्ध में पर्याप्त उपबन्ध मौजूद है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि पंजाबी सूबे सम्बन्धी आन्दोलन में गुरुद्वारों का प्रयोग किया गया। यह मांग तो मुख्यतः सांस्कृतिक मांग थी। साथ ही संकल्प में जिस प्रकार का विधान बनाने की बात कही गयी है, उसे बनाने का काम आरम्भ करना बुद्धिमानी का कार्य नहीं कहा जा सकता। इससे लोगों के मनों में अनुचित सन्देह पैदा हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजित सिंह सरहदी]

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे गुरुओं ने जो भी त्याग किये वे किसी जाति विशेष जैसे मुसलमान आदि के विरुद्ध नहीं थे बल्कि अधोगति प्राप्त लोगों के सुधार के लिये थे। वे कुछ उद्देश्यों को लेकर ही किये गये थे।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

अतः मैं यही कहूंगा कि हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि ये धार्मिक स्थान राजनैतिक उद्देश्यों अथवा राजनैतिक प्रयोजनों के अड्डे नहीं बनने चाहियें। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हमें सरकार को यह परामर्श देना चाहिये कि वह इसे प्रभावी बनाने के लिये कोई विधि बनाये। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें लोगों को इस ढंग से संगठित करना चाहिये कि वे इन धार्मिक स्थानों को राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति की जगह न बनायें। अगर सरकार को ऐसा विधान बनाना पड़ा या उसने ऐसा विधान बनाया तो इससे भ्रम ही उत्पन्न होगा। और यह विधान हानिकारक सिद्ध होगा। क्योंकि हमें तो अभी तक ऐसा जनमत उत्पन्न करना होगा जिसमें सभी लोग संयुक्त रूप से एक साथ हों और एकमत हों। अतः मेरा निवेदन है कि अभी वह स्थिति नहीं आई है जब कि हमें ऐसा विधान बनाना चाहिये। अंत में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को अपना यह संकल्प वापस ले लेना चाहिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : सभापति महोदय, श्री परूलकर ने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जिन धार्मिक पूजा स्थानों का प्रयोग राजनैतिक प्रचार और आंदोलन के लिए होता है उसको रोकने के हेतु सरकार कोई उचित कानून बनाये, मैं उन के इस प्रस्ताव की मूल भावनाओं का स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए अपने कुछ विचार इस सम्बन्ध में उपस्थित करना चाहता हूं।

दुर्भाग्य से जब से यह हमारा देश स्वतंत्र हुआ है स्वतंत्र होने के पश्चात् धार्मिक स्थानों पर कुछ इस प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं जो उनकी पवित्रताओं के लिए और उन के पीछे जो मूल भावनाएं उन के संस्थापकों ने रखी थीं उनके लिए हितकर नहीं है।

अभी हमारे श्री परूलकर ने केरल के कुछ उदाहरण इस प्रकार के प्रस्तुत किये थे कि पीछे केरल की राजनैतिक गतिविधियों में वहां के कैथोलिक प्रचारकों का जो हाथ रहा है उस से न केवल केरल प्रान्त की जनता को अपितु भारतवर्ष के लोगों को एक चिन्ता होना स्वाभाविक थी। मैं न केवल केरल प्रान्त की दृष्टि से अपितु भारतवर्ष की दृष्टि से, दुःख से इस बात को अपने गृह-मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारत के सीमावर्ती प्रदेशों पर ईसाई प्रचारकों के द्वारा इस प्रकार के राजनैतिक आंदोलन जो गिरजाघरों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से चलाये जा रहे हैं वह चिन्ता के विषय होने चाहिएं।

कुछ दिन पहले की घटना है कि नागाप्रदेश के सम्बन्ध में सेना के एक उच्च अधिकारी ने हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और अपने उस पत्र में उन्होंने यह सुझाव दिया था कि नागा प्रदेश में अगर आप शान्ति स्थापित करना चाहते हैं तो जहां उन्होंने सेना के लिए कुछ अधिकार मांगे कि हमको थोड़े अधिकार इतने बढ़ाये जायें जिससे कि हम यहां खुल कर कार्य कर सकें वहां एक बात अपने पत्र में स्पष्ट रूप से यह भी लिखी थी कि नागाप्रदेश में अगर भारत सरकार शान्ति स्थापित करना चाहती है तो उस के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि यहां के ईसाई

प्रचारक जितने भी हैं जब तक इस प्रदेश में शान्ति स्थापित न हो जाय उन को यहां की सीमा से बाहर कर दिया जाय । इसके पीछे स्पष्ट यह भाव छिपा हुआ था कि नागा प्रदेश की पृथकतावादी मनोवृत्ति जो आगे चल कर नागालैंड के रूप में परिणित हुई है यह बहुत पहले से उस प्रदेश के और उस भूभाग के वातावरण को दूषित कर रही थी । नागाप्रदेश के उन लोगों के नेता फिजो साहब आज लंदन में बैठ कर भारत के विपरीत कभी प्रेस कान्फ्रेंसेज तो कभी दूसरे प्रकार के आंदोलन करते रहते हैं । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईसाई प्रचारकों का इस प्रकार का रुख भारत के लिए हानिकारक बनता चला जा रहा है । मैं आपको यह समाचार इस दृष्टि से भी देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में छोटे छोटे इस प्रकार के भूभागों को अलग अलग प्रान्त के रूप में बनाने की योजनाएं जहां जहां भी हैं चाहे वह नागालैंड की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे केरल में कैथोलिक पादरियों की हो या उड़ीसा में हो, इस के पीछे ईसाई प्रचारकों का एक राजनैतिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है । मुझे अच्छी तरह से याद है कि केरल में जब पीछे वह राजनैतिक आन्दोलन चल रहा था, तब दुर्भाग्य से वह पत्र तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन दो ईसाई प्रचारकों के पत्र मुझे भी देखने को मिले । जोकि उन्होंने अमरीका के अपने सहयोगियों को भेजे थे । उस पत्र को उन्होंने एक बड़ी अलंकारिक भाषा में लिखा है कि हम यहां आये थे इस दृष्टि से कि केरल प्रदेश में आकर अपने धर्म-मंदिर बनायेंगे लेकिन आगे चल कर यहां पर कम्युनिस्टों का आन्दोलन छिड़ा और उस आंदोलन से स्थिति ऐसी आकर बनी कि हमारा जो पैसा था वह समाप्त हो गया । इसलिए अब आप हमको और पैसा भेजिये ताकि जो हमारे धर्म-मंदिर अधूरे हैं उनको पूरा कर सकें । इसका स्पष्ट अभिप्राय यह था कि उन्होंने वहां के राजनैतिक वातावरण को प्रभावित करने के लिए अपने मित्रों को पत्र लिखे थे । ऐसी भाषा में उन्होंने वह पत्र इसलिए लिखा था कि अगर कहीं पत्रों का सेंसर हो अथवा चैक किये जायें तो यह भाषा स्पष्ट रूप से किसी दूसरे को प्रतीत न हो सके । जहां ईसाई प्रचारकों के इस अराष्ट्रीय दृष्टिकोण का जो उनके धर्म स्थानों से चलाया जाता है मैं विरोध करता हूं वहां उसी प्रकार से उन लोगों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बनने के पश्चात भी जो मुस्लिम भारतवर्ष में मौजूद हैं और उनके द्वारा अपने धर्मस्थानों से भी इसी प्रकार की अभारतीय प्रवृत्तियां चलाई जा रही हैं वह खेदजनक हैं और उनका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और सरकार का ध्यान उनकी अभारतीय हरकतों की ओर दिलाना चाहता हूं । उनकी यह हरकतें भी देश के लिए धीरे धीरे चिन्ता का कारण बनती जा रही हैं ।

अभी हाल की ही घटना है । उत्तर प्रदेश में मुबारकपुर में जब एक होली का जलूस निकल रहा था तो उस होली के जलूस पर जो आक्रमण हुआ वह मस्जिद से हुआ । इसी प्रकार की एक और घटना का आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले फीरोजाबाद के अन्दर विजयदशमी पर जो हिन्दुओं का जलूस निकल रहा था तो उस पर भी मुसलमानों द्वारा आक्रमण हुआ, जो बम फेंका गया वह मस्जिद से फेंका गया । अभी जबलपुर के अन्दर एक कांड हो चुका है जिसकी कि चिनगारियां अभी तक भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश में शान्त नहीं हुई हैं । मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री डा० काटजू और अन्य समाचारपत्रों के सम्पादकों ने यह स्पष्ट कहा कि मस्जिद से गोलियां चलाई गईं और जिससे बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा । जब मैं आपके सामने दूर के उस तथ्य का वर्णन कर रहा हूं तो यहीं दिल्ली नगर के अन्दर दरियागंज में फिर इसी प्रकार की एक भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है जोकि आपको कल समाचारपत्रों से और दूसरे स्थानों से मालूम होगी । मेरा कहना यह है कि यह जितना भी वातावरण बनता जा रहा है उसके पीछे राजनैतिक दृष्टिकोण है और इन धर्म स्थानों में बैठ कर जो उनकी योजनाएं बनाते हैं भारत सरकार को चाहिए कि दृढ़ता के साथ उनकी तमाम बातों और इस तरह की आपत्तिजनक गति-

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

विधियों का पता लगाये और पता लगाने के पश्चात् इस प्रकार की बेजा गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिस समय यह घटनाएं घटती हैं तो उन घटनाओं के घटने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान उनका जो विरोधी रूप लेता है वह बिलकुल ही उलटा होता है। मुबारकपुर में जब तक वह घटना घटी तो उस के बारे में आजमगढ़ के एस० पी० को बाद में पता चला लेकिन पाकिस्तान के रेडियो से उसके बारे में पहले ब्राडकास्ट हो गया। इसी प्रकार से जबलपुर की घटना के सम्बन्ध में भी पाकिस्तानी पत्रों ने सर्वथा गलत और विरोधी प्रचार किया है और एकदम झूठी तस्वीर सामने रखी है। अब होता यह है कि यहां पर जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हम अल्पमत की सुरक्षा के नाम पर उदारता के साथ सहन करते चले जाते हैं और वह लोग उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। परिणाम में इस प्रकार की घातक और अराष्ट्रीय प्रवृत्तियां धीरे धीरे देश के सामने आ रही हैं। वहां पाकिस्तानी पत्र प्रचार क्या करते हैं। अमुक स्थान में भारत में दंगा हुआ उसमें इतने मुसलमान तलवार के घाट उतार दिये गये जोकि सरासर गलत होता है। मैं तो गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि १५ अगस्त सन् १६४७ के बाद से पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक हिन्दुस्तान में मुसलमानों के मरने सम्बन्धी जो आंकड़े समय समय पर पाकिस्तानी पत्रों द्वारा छापे जाते रहे हैं उन सारे आंकड़ों को सच माना जाय और सबको जोड़ा जाय तो हिन्दुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं वे तीन बार मरें और तीन बार जन्म लें तब कहीं जाकर यह पाकिस्तानी पत्रों के आंकड़े सही साबित हो सकते हैं। इतना तो वह देश है जो सारे झूठों का सरदार है लेकिन उसके पश्चात् हमारी अपनी स्थिति क्या है? मैं आपको थोड़े में इसलिये यह कह रहा हूं कि यह जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं इन घटनाओं को छोटी कह कर उपेक्षा के साथ यूं ही छोड़ न दिया जाय। यह आने वाले भयंकर भविष्य की सूचना और भूमिकाएं भी हैं और हमें समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि पीछे जिस प्रकार से उपेक्षा करते करते वह विष इतना बढ़ा कि देश विभाजन के रूप में दुष्परिणाम हमको देखना पड़ा कहीं आगे चल कर यह प्रवृत्तियां फिर इसी प्रकार से देश को विभाजन के नये द्वार पर न ले जांय। इसलिए हमें चाहिए कि इन धर्म स्थानों में बैठ कर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं सावधानी के साथ हम उनका निरीक्षण करें और जहां भी हमें कोई आपत्तिजनक चीज लगे उस पर प्रतिबंध लगायें।

तीसरी चीज जिस के कि बारे में अभी इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने भी कहा है और सरहदी साहब ने भी कहा उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। पंजाब के अंदर अभी पंजाबी सूबा बनाने का एक आंदोलन चला था। अब उस के बारे में सरहदी जी का अपना कहना तो इस प्रकार का है कि वह आंदोलन भाषा के आधार पर था और संस्कृति के आधार पर था लेकिन भाषा और संस्कृति की उस में पृष्ठभूमि कितनी थी उस को यदि मैं अपने शब्दों में कहूं तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। यह तो पंजाबी सूबा आन्दोलन के मुख्य संचालक मास्टर तारासिंह ने ही जेल से छूटने के पश्चात् अमृतसर में कहा था कि भाषा का तो हम ने उस को एक आवरण पहनाया था। असल बात तो यह थी कि पंथ की हिफाजत के लिये हम यह आंदोलन चला रहे हैं। अब मैं नहीं समझता कि सरहदी साहब का यह बयान ठीक है या मास्टर तारासिंह जोकि इस आंदोलन के संचालक थे उन का यह बयान उस आंदोलन के सम्बन्ध में ठीक है।

दूसरी बात जो सरहदी साहब यह कह रहे थे कि बहुत से हिन्दुओं को भी इस आंदोलन का समर्थन प्राप्त था तो क्या उन को यह जानकारी नहीं है कि बहुत से सिक्ख भी इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और वह नहीं चाहते थे कि पंजाब जोकि भारतवर्ष का सीमावर्ती प्रदेश है उस में

इस प्रकार से साम्प्रदायिक आधार पर किसी भूभाग का विभाजन किया जाय। या इसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति बढ़े। लेकिन जहां तक समर्थन करने का सम्बन्ध है वह तो आंदोलन में समर्थन पैसे के बल से भी मिल जाया करता है और पैसे से इस पंजाबी सूबा आंदोलन के लिये समर्थन खरीदा भी गया। यहीं दिल्ली के अन्दर वह घटना घटी कि मुरादाबाद से कुछ मुसलमान पकड़ कर ले आये गये पंजाबी सूबा आन्दोलन के लिये। जब कोर्ट में उन से जवाब तलब किया गया तो उन्हों ने कहा कि साहब हम क्या करते हमारे पास खाने पीने का इंतजाम नहीं था इसलिये हम इस आंदोलन में चले आये क्योंकि हम ने सोचा कि कोई काम नहीं है तो यह डेढ़ डेढ़ रुपया रोज इसी तरह से मिल जायेगा। पंजाबी सूबा आन्दोलन चलाने में पैसे से इस प्रकार का कितना समर्थन खरीदा गया उस पर मैं विस्तारपूर्वक नहीं जाना चाहता। मेरा तो कहना यह है कि जिस चीज पर सरहदी साहब भी सहमत हैं और जिस में मैं समझता हूं कि हर एक सहमत होगा कि हमारे धर्म स्थानों में और पवित्र स्थानों में जहां कि बैठ कर लोग मानसिक शांति प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक चिन्तन करेंगे, आज यदि उन स्थानों का किन्हीं राजनैतिक स्वार्थों के लिये गलत प्रयोग होता है तो वह एकदम अवांछनीय और अनुचित है और सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिये। उन अपने धर्म स्थानों में हम लोग बैठ कर मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंग, और आध्यात्मिक चिन्तन करेंगे और उन स्थानों में बैठ कर अपने को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में कुछ योजनायें बनायेंगे। अगर उन स्थानों पर बैठ कर इस प्रकार की सर्वथा विपरीत स्थिति पैदा की जाती है, तो इस विषय में कोई कदम उठाना आवश्यक है। क्या गृह मंत्री जी और सरकार को यह बात पता नहीं है कि अमृतसर में इस प्रकार की घटना घटी कि पुलिस के एक ज़िम्मेदार इंस्पैक्टर की स्वर्ण मन्दिर के सामने हत्या की गई और उस के पश्चात् हत्यारा स्वर्ण मन्दिर की चारदीवारी में चला गया? उस के पश्चात् आज तक पंजाब गवर्नमेंट उस को नहीं पकड़ सकी है। अगर ये धर्म-स्थान ऐसे लोगों के लिये पनाहगाह और शरण देने के स्थान बन जायेंगे तो मेरा निवेदन है कि गम्भीरतापूर्वक इन धर्म-स्थानों के सम्बन्ध में सोचना पड़ेगा और दृढ़ता के साथ निर्णय लेना पड़ेगा।

इन स्थानों का प्रयोग केवल हत्यारों को पनाह देने के लिये ही नहीं अपितु राजनैतिक बड़ी बड़ी प्रैस कांफ़रेंसें भी वहां की जाती हैं, जिन में प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के ख़िलाफ़ विष उगला जाता है और देश की नीति पर आलोचना की जाती है। इस प्रकार की प्रेस कांफ़रेंसें धर्म-स्थानों की चारदीवारी में बैठ कर की जाती हैं। क्या हम को पता नहीं है कि १२ जून को दिल्ली के सीसगंज गुरुद्वारे के सामने जो प्रदर्शन हुआ। उस समय यहां पर पुलिस के ऊपर आक्रमण किया गया और गुरुद्वारे के ऊपर से बम और सोडावाटर की बोतलें फेंकी गईं। हम को सोचना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार की चीज़ कहां तक सही जा सकती है।

इस आंदोलन के मूल संचालक, मास्टर तारासिंह, जगह जगह घूम कर कहते फिर रहे हैं कि और सारी बातों को बाद में तय किया जायगा, पहले मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, जो यह कहते हैं कि हमारे आन्दोलन का पाकिस्तान से सम्बन्ध है। मुझे जानकारी नहीं कि यह बात किस आधार पर कही जाती है, लेकिन एक बात देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसी पार्टी के सेक्रेटरी ने बग़ल के रकाबगंज गुरुद्वारे में भाषण देते हुए अभी पीछे कहा कि अगर कहीं संत फतेह सिंह शहीद हो जाते, या अपने उपवास में समाप्त हो जाते, तो पाकिस्तानी फौजें इस बात के लिये तैयार खड़ी हुई थीं कि वे पंजाब में प्रवेश कर जायें। मेरी समझ में नहीं आता कि संत फ़तेह सिंह जी के शहीद होने और पाकिस्तानी फ़ौजों का आपस में गठबन्धन उन्हों ने किस तरह से किया। उधर एक ओर तो मास्टर जी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर पाकिस्तानी फौजें क्यों अनशन का परिणाम देख रही थीं।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कुछ समय पहले जब लोक सभा का पिछला अधिवेशन हो रहा था, तो यहां पास में प्रदर्शन होने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तब लोक सभा के अध्यक्ष को यह व्यवस्था देनी पड़ी थी कि लोक सभा से इतनी इतनी दूर तक किसी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जायगी। लेकिन जब इस लोकसभा से पचास कदम हट कर एक जो वह प्रदर्शन हुआ था जिसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ी। उस में दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के तेंतीस अधिकारियों को घायल होना पड़ा। गुरुद्वारे से बोतलें और पत्थर फैंके गये। तमाम सड़क पटी पड़ी थी, लेकिन इस पर भी पुलिस बिल्कुल अपने को हैल्पलेस अनुभव कर रही थी। वह उस की चारदीवारी में प्रवेश नहीं कर सकती थी। इस से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि उन पवित्र गुरुद्वारों, या अन्य पवित्र धर्म-स्थानों की रक्षा न की जाये। मेरे कहने का सीधी सी भाषा में स्पष्ट अभिप्राय यह है कि उन का प्रयोग हत्यारों को शरण देने और इस प्रकार की अन्य अवांछनीय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों के लिये न करने दिया जाये। आज यह होता है कि गुरुद्वारों में बैठ कर पंजाबी सूबे का आन्दोलन चलाया जाता है और पुलिस उन की चारदीवारी में प्रवेश नहीं कर सकती। कल यह हो सकता है कि मस्जिदों में इस तरह के देश-विभाजन के अराष्ट्रीय आन्दोलन चलाये जायें और इसी प्रकार गिराजाघरों से ऐसे आन्दोलनों का सूत्रपात किया जाये। तो क्या ऐसी स्थिति में यह गवनमेंट अपने को बिल्कुल हैल्पलैस समझ कर हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहेगी? किस तरह की गवनमेंट की स्थिति होगी? इसलिये आज समय है कि इस प्रश्न पर दृढ़ता के साथ कदम उठाया जाना चाहिये और निर्णय लिया जाना चाहिये।

इस विषय में मेरा नम्र निवेदन यह भी है कि गवनमेंट को बराबर धर्म-स्थानों की पवित्रता को बनाये रखना चाहिये। गवनमेंट की ओर से कोई इस प्रकार का कदम तो न उठाया जाय, जिस से उन की पवित्रता में किसी प्रकार से बाधा आये, या उस को हानि पहुंचे। लेकिन उन की पवित्रता को बनाये रखते हुए भी ऐसे पग उठाये जायें कि उन को अनुचित कार्यों के लिये प्रयुक्त न किया जाये। आप को पता है कि केन्द्रीय और पंजाब सरकारों के पास पंजाब के राष्ट्रवादी सिखों ने आवेदन-पत्र दिये और वक्तव्य दिये कि गुरुद्वारे पूजा के स्थान हैं, वहां पर बैठ कर अकाली पार्टी जो आंदोलन चला रही है, उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। लेकिन हम देखते हैं कि हत्यारों ने गुरुद्वारों में जा कर शरण ली, गुरुद्वारों से पुलिस पर हमले किये गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि गुरुद्वारों की पवित्रता को बनाये रखने का जो अपना ढंग है, उस ढंग को सुरक्षित रखते हुए भी इस सम्बन्ध में उपयुक्त कदम उठाये जा सकते हैं। हमारी पुलिस में भी इस प्रकार के सात्विक प्रवृत्ति के पवित्र भाई हो सकते हैं, जो सिख हैं और जो गुरुद्वारों के प्रति पवित्र भावना रखते हैं। उन की ड्यूटी लगा दी जाती कि वे उन के अन्दर से अपराधियों और हत्यारों को पकड़ कर लाते, लेकिन आज जब मैं आप के सामने ये बातें कह रहा हूं, इसी दिल्ली शहर में यह स्थिति चालू है कि सीसगंज गुरुद्वारे में बैठकर रिछपाल सिंह आन्दोलन के विषय में योजनायें बनाते हैं। कुछ भले व्यक्तियों के द्वारा उन का विरोध किया जाता है और उस के परिणामस्वरूप उन में टकराव होता है। समाचारपत्रों में ये सब समाचार छपते हैं।

इस से प्रतीत होता है कि इस स्थिति के विषय में गवनमेंट को दृढ़ता के साथ निर्णय लेना चाहिये और उस के लिए यह आवश्यक है——धर्मस्थानों की पवित्रता की रक्षा हो तो गृह मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि श्री परूलकर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये। मुझे पता नहीं कि इस प्रस्ताव को उपस्थित करने में उन की और क्या भावना रही होगी, लेकिन जहां तक प्रस्ताव की मलभावना का सम्बन्ध है, उसे जहां तक मैं समझ सका हूं, मैं उस का स्वागत करता हूं और भारत

सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में दृढ़ता के साथ और अविलम्ब कदम उठाया जाये ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, यद्यपि मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्तर्गत प्लैसिज आफ़ पिलग्रिमेज को---तीर्थ के जो स्थान हैं, उन को--- लाने के सम्बन्ध में प्रस्तावक महोदय को फिर से विचार करना चाहिये । जहां तक पूजा के स्थानों का राजनैतिक प्रचार के लिये दुरुपयोग रोकने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं और अगर हम भारतीय गणराज्य के असाम्प्रदायिक स्वरूप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस सम्बन्ध में हमें अन्तिम निणय लेने की स्थिति आ गई है । जिन परिस्थितियों में देश का विभाजन हुआ, विभाजन के जिन दुष्परिणामों को हम अभी तक भूल नहीं सके हैं, उन को ध्यान में रख कर हमें ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है, जो राष्ट्रीय एकता को दुर्बल करती हैं, भारतीय गणराज्य के असाम्प्रदायिक स्वरूप पर कुठाराघात करती हैं और देश में फिर से साम्प्रदायिकता के उन्माद का जागरण करती हैं ।

हमने एक असाम्प्रदायिक राज्य का निर्माण किया है । इसका स्वाभाविक पर्याय यह है कि राजनीति और सम्प्रदाय को अलग अलग रखा जाना चाहिये । जो राजनीति को सम्प्रदाय के साथ जोड़ते हैं, या सम्प्रदाय को राजनीति के साथ सम्बद्ध करते हैं, वे अन्तःकरण से असाम्प्रदायिकता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, फिर चाहे वे साम्प्रदायिकता के विरुद्ध कितने ही भाषण दें, अधिवेशन में बैठ कर लम्बे लम्बे प्रस्ताव पास करें । आज राजनीति और संप्रदाय को मिलाने के फिर से प्रयत्न हो रहे हैं । अगर इनको रोका नहीं जा सका, तो देश में साम्प्रदायिकता फिर से सिर उठायेगी और हमारी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के लिये एक भयंकर संकट खड़ा हो जायेगा ।

हमने लोकतन्त्रात्मक मार्ग का अवलम्बन किया है । किसी भी सम्प्रदाय को स्वतंत्रता है कि वह राजनैतिक दल का निर्माण करे, खुले मैदान में आकर चुनाव लड़े, अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार करे । इसके लिये मन्दिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे या गिरजाघर मे जा कर आन्दोलन चलाने की क्या आवश्यकता है ? मुझे ताज्जुब हुआ कि श्री सरहदी साहब ने जहांगीर के काल का उदाहरण दिया । समय बीत गया है ; यह केवल सिख बन्धुओं के लिये ही सही नहीं है । अतीत के काल में जो भी स्वतंत्रता के लिये संघर्ष हुये, वे सब धर्म के साथ जुड़े हुये थे, लेकिन आज पूजा की पद्धति को और राजनीति को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है । हां गुरुद्वारे में बैठकर, मंदिर में बैठकर अगर पूजा करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, राज्य की ओर से कोई भेद भाव की नीति बरती जाती है, शुद्ध धार्मिक मामलों में, तो उसका विचार हो सकता है । लेकिन मस्जिदों में चुनाव के सम्बन्ध में फतवे दिये जायें, गुरुद्वारों से एक पृथक राज्य के निर्माण का राजनीतिक और साम्प्रदायिक आन्दोलन चलाया जाये, गिरजाघरों को भारत की एकता को खंडित करने का केन्द्र बनाया जाये और फिर उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लोग मंदिरों में भी राजनीतिक गतिविधियों को ले जाने का प्रयत्न करें, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता । तेरह वर्ष हो गये देश का विभाजन हुये . . .

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : आर० एस० एस० की मीटिंगें मंदिरों में ही होती हैं ।

श्री वाजपेयी : आर० एस० एस० कोई राजनीतिक दल नहीं है और मेरा निवेदन है कि अगर होती हैं तो वह भी गलत है और वह चीज़ भी बन्द होनी चाहिये और जब मैं इस प्रस्ताव का समर्थन

[श्री वाजपेयी]

करता हूं तो आर० एस० एस० भी बचने वाला नहीं है । मगर कांग्रेस के माननीय सदस्यों में यह नैतिक साहस होना चाहिये कि इस प्रस्ताव का वे समर्थन करें, मगर यह वह नहीं कर सकते हैं । वे साम्प्रदायिकता के विरुद्ध भाषण दे सकते ह, मगर चुनाव लड़ने के लिये साम्प्रदायिक तत्वों से समझौता करते हैं । वे राष्ट्रीयता की बात करते हैं मगर दल के स्वार्थों को बली पर नहीं चढ़ा सकते । यही कारण है कि तेरह वर्ष के बाद भी साम्प्रदायिकता फिर से पनप रही है और यह तब तक नहीं मिटेगी जब तक कि हम इस साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में कभी न समझौता करने वाला दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे । कोई भी दल हो, पूजा का कोई भी स्थान हो, उसको अपनी राजनीतिक गतिविधियां वहां चलाने की छूट नहीं होनी चाहिये ।

अभी कहा गया है कि राजनीतिक गतिविधियों की परिभाषा क्या हो, किसे कहा जाये कि यह राजनीतिक गतिविधि है और किसे कहा जाये कि यह नहीं है । मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये नियम बना रखा है कि वे राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं । यह परिभाषा की कठिनाई उनके सामने तो नहीं आती है । सरकार का कोई कर्मचारी अगर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है तो उसे दंड भोगना पड़ता है । और अगर कोई परिभाषा की कठिनाई है भी तो उस पर बैठ कर विचार किया जा सकता है, उसके सम्बन्ध में लोगों की राय ली जा सकती है और एक ऐसी सर्वसम्मत परिभाषा बनाई जा सकती है जिसके अन्तर्गत सत्ता प्राप्ति को, या राजनीतिक चुनाव लड़ने को इसमें शामिल करते हुये बाकी के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगे ।

इसके लिये आवश्यक है कि इस प्रस्ताव की मूल भावना से सब सहमत हों । राजनीतिक गतिविधियों की परिभाषा नहीं हो सकती है इसलिये धार्मिक स्थानों में राजनीति चलती रहे, इस चीज को स्वीकार करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । सिद्धांत के रूप में मैं चाहता हूं कि हम स्वीकार कर लें कि समय आ गया है कि पूजा के स्थान राजनीति के अड्डे न बनाये जायें और फिर इसके लिये कैसा कानून बनाया जाये, उसकी भरिभाषा क्या हो, उसकी परिधि क्या हो, ये विचार के विषय हो सकते हैं, इन पर मिल बैठ कर हम गम्भीरता से सोच सकते हैं । मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय एकता को जो संकट है, कोई भी राष्ट्रवादी उसकी ओर से आंखें नहीं मूंद सकता है और यह संकट भिन्न भिन्न रूपों में खड़ा है । मेरा निवेदन है कि हम किसी भी सम्प्रदाय की साम्प्रदायिकता को बरदाश्त न करें, चाहे वह कम संख्या वालों की हो और चाहे अनेक संख्या वालों की । जो नियम बनते हैं वे सब के लिये एक से होते हैं । मगर देखा गया है कि पंजाब में गुरुद्वारों में पुलिस नहीं जा सकती है, मगर चंडीगढ़ के आर्य समाज मंदिर में पुलिस प्रवेश कर सकती है । अगर नियम बने हुये हैं तो सभी के लिये एक से होने चाहिये । अभी जालंधर में आर्य समाज मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गयी थी जब कि महीनों तक गुरुद्वारों का उपयोग क्या एक साम्प्रदायिक आन्दोलन को चलाने के लिये नहीं होता रहा है ? वह रोक उठा ली गयी है, इसका मैं स्वागत करता हूं । मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि आर्य समाज के मंदिरों में राजनीतिक गतिविधियां चलें । मैं कहता हूं कि किसी को भी इस तरह की कार्यवाहियां करने का अधिकार नहीं होना चाहिये, फिर चाहे वे गुरुद्वारे हों, चाहे आर्य समाज मंदिर हों या दूसरे धर्म स्थान हों । इस सम्बन्ध में हमें कट्टरता तथा कठोरता की नीति अपनाने की आवश्यकता है । अगर आप ने इस नीति को नहीं अपनाया तो असाम्प्रदायिक राज्य स्थापित करने का हमारा स्वप्न कभी भी सत्य नहीं हो सकेगा । देश के विभाजन से भी हम अगर शिक्षा नहीं लेंगे, राजनीति को मजहब से अलग नहीं रखेंगे, इस सम्बन्ध में जनमत की भावना का कानून के रूप में

प्रयोग नहीं करेंगे तो केवल यह कह कर कि जनमत जागृत किया जाये कोई अधिक परिणाम नहीं निकल सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दू कोड बिल के बारे में जनमत कितना जागृत किया गया था ? हिन्दू कोड बिल तो बन गया मगर सिविल कोड बिल अभी तक नहीं बना है। गुरुद्वारों में पुलिस प्रवेश नहीं कर सकती है, आर्य समाज मंदिरों में कर सकती है। मस्जिदों से चुनाव जीतने के लिये फतवे दिये जा सकते हैं, विदेशी मिशनरीज़ गिरजा घरों में बैठ कर राष्ट्रीय एकता का विच्छेद करने के लिये षडयंत्र कर सकती हैं और इन सब चीजों को आज बरदाश्त किया जाता है। अगर इन संकटों को हम आज भी नहीं समझेंगे तो हमारी स्वतंत्रता और हमारी राष्ट्रीयता की रक्षा नहीं हो सकेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव नहीं है, यह शासन को कसौटी पर कसा जा रहा है और एक कांग्रेसी की राष्ट्रीयता को मानो आज चुनौती दी जा रही है। अगर वे चाहते हैं कि राजनीति का साम्प्रदायिकता में प्रवेश नहीं होना चाहिये तो इस प्रस्ताव का उन को समर्थन करना चाहिये वरना कहा जायेगा कि वे राष्ट्रीय एकता की बातें तो कर सकते हैं मगर उसके निर्माण के लिये कदम नहीं उठा सकते हैं।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मुझे मालूम नहीं कि श्री परूलकर जी की इस प्रस्ताव को पेश करने में क्या मंशा थी, कुछ उनके दिल में काला काला चोर था या सद्भावना थी, मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम) : सद्भावना थी।

चौ० रणवीर सिंह : अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को एक डेढ़ साल पहले रखा होता जबकि कम्युनिस्ट पार्टी वाले उन्हीं साथियों का, उन्ही दोस्तों का साथ दे रहे थे और उन्ही धर्मस्थानों का उपयोग कर रहे थे जिनके उपयोग पर आज प्रतिबन्ध लगाने की मांग की जा रही है तो मैं समझ सकता था कि वह सद्भावना के साथ इस प्रस्ताव को लाये हैं...

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (पुरी) : कब की बात है ?

चौ० रणवीर सिंह : जनरल इलैक्शन की बात है। इसको सारा देश जानता है और अगर मेरे ये भाई नहीं जानते हैं और कहते जाते हैं कि दो और दो तीन होते हैं तो मैं समझता हूं कि इनका इलाज कहीं दूसरी जगह हो सकता है, आगरा में या अमृतसर के अन्दर हो सकता है, यहां इनका कोई इलाज नहीं है।

मेरे एक भाई ने चुनौती दी है और इधर बैठने वालों के बारे में कुछ बातें कही हैं। मैं मानता हूं कि सरहदी जी ने जो बातें कही हैं वे सही नहीं हैं और मैं समझता हूं कि आज वक्त आ गया है कि हम कानून बनायें। हमने जनमत जागृत करने की कोशिश की और पंजाब में बहुत ज्यादा इसके लिये कुर्बानियां भी दी गईं। पंजाब की यह बदकिस्मती है कि उसे फिरकादारी से जो कि धार्मिक स्थानों में पनपती है, नुक्सान उठाना पड़ा है। इस देश के दो प्रदेश हैं जिनका विभाजन हुआ, एक पंजाब का और दूसरे बंगाल का। बंगाल में उतने आदमियों की हत्या नहीं हुई जितने आदिमियों की पंजाब में हुई और उन हत्याओं के पीछे जहां मेरे उन साथी के साथियों का हाथ हो सकता है जो कि अब चले गये है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ हो सकता है वहां दूसरे भाइयों का भी चाहे वे सिख फिरकापरस्त हों या हिन्दू फिरकापरस्त उनका भी हाथ हो सकता है और था। मुस्लिम फिरकापरस्तों का भी उसमें हाथ था।

[चौ० रणवीर सिंह]

पंजाब में सन् १९३७ में जब एक सियासी पार्टी कांग्रेस को हरा कर मैदान में आई, तो मैंने उसकी मुखालिफत की । मेरा इशारा यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ है । लेकिन हम समझते हैं कि उसने पंजाब के अंदर एक हवा पैदा की थी जो फिरकापरस्ती से ऊंची थी । उस फिरकापरस्ती से ऊंची हवा को खराब करने के लिये हम जानते हैं कि शहीदगंज का इस्तैमाल किया गया, मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया । यह पंजाब का इतिहास है । मेरे साथी कहते हैं और पूछते हैं कि समय आ गया है या नहीं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में पंजाब के अन्दर क्या क्या हुआ है ? क्या पंजाब पंजाब के अन्दर गुरुद्वारों से एक सियासी तहरीक नहीं उठी थी और उस तहरीक के दौरान में क्या १२-१३ हज़ार व्यक्ति जेल नहीं गए थे और क्या पंजाब के लोगों से टैक्सों के जरिये वसूल किया गया लाखों रुपया इस तरहरीक को दबाने के लिए बरबाद नहीं किया गया था ? उसके बाद फिर जनमत जाग्रत करने का मौका दिया गया । गुरुद्वारों के चुनाव हुए, आम सिखों को मौका दिया गया कि वे सोच कर राय दें और उन्होंने क्या राय दी ? यह बात सही है कि पहले गुरुद्वारा चुनाव के अन्दर हम सिर्फ तीन सीटें जीते थे और दूसरे गुरुद्वारा चुनाव में हम पांच जीते । तरक्की हमने की, लेकिन क्या वह तरक्की ऐसी थी, क्या उसकी रफ्तार ऐसी थी कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते ? मेरा ख्याल है कि वह तरक्की ऐसी नहीं थी कि हम शान्ति से बैठ जायें । इस सदन को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । लेकिन मैं शास्त्री जी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या शास्त्री जी का इसमें हिस्सा नहीं था ? श्री वाजपेयी ने चंडीगढ़ आर्यसमाज मन्दिर की दुहाई दी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आर्यसमाज मन्दिर चण्डीगढ़ से वह सत्याग्रह नहीं चला जो एक तरह से राजनीतिक था और जिसके पीछे उन भाइयों का हाथ था जो जो वजारत से निकले थे ? पंजाब के अन्दर उन्होंने और उन भाइयों ने जो अगुआ थे क्या जिन्होंने सच्चर फार्मूले पर दस्तखत नहीं किये थे . . . . . .

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : सच्चर फार्मूले की उस धारा का ही विरोध किया गया था जो भाषा से सम्बन्ध रखती थी क्योंकि वह विशुद्ध सांस्कृतिक प्रश्न था ।

चौ० रणवीर सिंह : शास्त्री जी को दस्तखत करने का मौका नहीं मिला था, आगे मिलेगा तो वे कैसे दस्तखत करेंगे, यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन भाइयों ने, जिन में हमारे सरदार प्रताप सिंह कैरो भी थे, सच्चर फार्मूले पर दस्तखत नहीं किये, वे उसका विरोध करने वाले थे । लेकिन प्रोफेसर शेरसिंह ने, सच्चर फार्मूले पर दस्तखत किये थे जो कि शास्त्री जी के साथी हैं, आर्यसमाज मन्दिर का इस्तेमाल किया, और अगर सरहदी साहब के साथियों ने गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थानों को अपवित्र किया तो इन लोगों ने आर्यसमाज मन्दिर को भी अपवित्र किया । लेकिन सवाल यह है कि चाहे आर० एस० एस० वाले अपवित्र करें या अकाली दल वाले अपवित्र करें, हम को उसके लिये जवाबदेह होना है ।

मैं जानता हूं कि पंजाब के अन्दर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत तरक्की हुई । उसी पंजाब सूबे के अन्दर, जिसमें आज से १४ साल पहले तकरीबन ४ लाख आदमियों की हत्या हुई और २८ जिलों वाला सूबा १२ $^{1}/_{2}$ जिलों का सूबा बन गया और वह तबाह हुआ, पिछले १४ सालों के अन्दर ऊपर उठा और उसमें तरक्की की रफ्तार बहुत तेज रही । दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर उसकी तरक्की की जो रफ्तार रही है वह किसी भी दूसरे प्रदेश के लिये एक एन्विएबल पोजीशन है । पंजाब ने हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों को तरक्की की तरफ जाने का एक सबक दिया । लेकिन यह बात सही है कि जहां पंजाब के अन्दर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चल रही थी, पंजाब बहुत आगे बढ़ आया, पंजाब के अन्दर दस सालों में अनाज की पैदावार दुगनी बढ़ी,

नहर सिंचाई को उसने तिगुना किया और बिजली के तारों की सात गुना किया दस सालों के अन्दर अस्पतालों को दूना किया, वहां यह भी सही है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के भीतर कभी शास्त्री जी मैदान में आ गये तो कभी सरहदी साहब के साथी मदान में आ गये। उन्होंने ६० हजार आदमियों को, उन शूरवीरों को जो पंजाब की तरक्की के लिये आगे बढ़ सकतेथे, जो हिन्दी और पंजाबी की तरक्की के लिये आगे बढ़ सकते थे, भड़काया। मैं रोहतक जिले का रहने वाला हूं, मैं जब पढ़ता था या १३ या १४ साल पहले तो पंजाब के अन्दर कोई ऐसा सरकारी स्कूल नहीं था जहां हिन्दी पढ़ाई जाती हो, और आज पंजाब के अन्दर, रोहतक जिले की बात नहीं कहता, अमृतसर जिले में भी, और जो नया पहाड़ी जिला है, उसके अन्दर भी, कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा मेवों का भी स्कूल नहीं है, जहां न पढ़ाई जाती हो। लेकिन शास्त्री जी और उनके साथियों ने पंजाब के अन्दर धार्मिक स्थान से, आर्य हिन्दी समाज मन्दिर से, एक तूफान बर्पा किया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक औचित्य प्रश्न है। सभापति जी, भाषा का सम्बन्ध राजनीति से चौधरी साहब जोड़ रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। भाषा तो विशुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक प्रश्न है। अगर पंजाब के विभाजन के लिये इस तरह की कोई चीज हुई होती, तो दूसरी बात थी।

चौ० रणवीर सिंह : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

†**सभापति महोदय :** यह औचित्य प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

चौ० रणवीर सिंह: सभापति महोदय, आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि बम्बई के अन्दर भाषा के नाम पर तूफान उठा और उसके पीछे सियासत थी। पंजाब के लिये भी मैं जानता हूं कि यह बात ठीक है। अब जरा सच्ची बात हुई है तो शास्त्री जी को दु:ख पहुंचा। सरहद्दी साहब का हौसला था कि उनके ऊपर गाली पड़ रही थी वह चुपचाप शान्ति से सुन रहे थे। शास्त्री जी ने वह हौसला नहीं दिखलाया। लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, पंजाब का कोई भी आदमी नहीं इंकार कर सकता कि वहां पर जो मूवमेंट हिन्दी के नाम पर और पंजाबी के नाम पर चलाया गया उसके पीछे सयासत नहीं थी। शास्त्री जी, जो पंजाब के नहीं हैं, इंकार कर सकते हैं और मेरे भाई स्नातक साहब भी कर सकते हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : आप हरियाना प्रान्त चाहते हैं या नहीं ?

चौ० रणवीरसिंह : मैं चाहता था कि हर एक बात का जवाब दूं, लेकिन मेरा समय सीमित है।

श्री नरदेव स्नातक (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आप इर्रेलेवेंट बोल रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव : मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। जहां पर धार्मिक स्थानों को राजनीति के लिये प्रयोग न करने का प्रश्न है वहां पंचवर्षीय योजना कैसे आ गई या पंजाबी सूबे की बात कैसे आ गई। अगर सभापति महोदय इसे रोकेंगे नहीं तो समय व्यर्थ नहीं हो जायेगा क्या ?

सभापति महोदय : यह इसके अन्दर आता है।

चौ० रणवीर सिंह : आप अच्छी तरह समझते हैं कि यह प्रश्न क्यों उठाये जा रहे हैं, इस लिये मैं उनका जवाब देने में समय नहीं लगाऊंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

मैं आप से अर्ज कर रहा था कि धार्मिक स्थानों को किस तरह पर पंजाब के अन्दर अपवित्र किया गया। केरल का मुझे पता नहीं, केरल का दुःख होगा मेरे साथी को, लेकिन मुझे पंजाब का दुःख है, उन पंजाबियों का जिन का खून बहा, जिनका करोड़ों रुपया लगा, पिछले पांच सालों के अन्दर पंजाब में कम से कम डेढ़ करोड़ रुपया हिन्दी और पंजाबी और गुरुद्वारों और मन्दिरों को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ लगा, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर तरक्की के कामों में लग सकता था। अगर मेरे साथी समझना चाहते हैं कि इसका क्या वास्ता है तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका सीधा वास्ता है और मैं नहीं चाहता हूं कि धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल ऐसे कामों में किया जाय ताकि उस पर हमारा पैसा खर्च न हो।

इसी के साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यहां बड़ी बड़ी कोशिशें हुईं गुरुद्वारों को इस्तेमाल करने की और जैसा शास्त्री जी ने कहा, मैं उनसे सोलह आने सहमत हूं गुरुद्वारों के बारे में, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं और मैं जानता हूं कि जिस तरह से पंजाब के अन्दर गुरुद्वारे इस्तेमाल हुए, उस तरह से नहीं इस्तेमाल होने चाहिये थे। पंजाब के लिये यह एक शर्म की बात है, और खास तौर पर जो भाई गुरु नानक देव को मानते हैं, और जिन्होंने ऐसा किया, उनके लिये तो और भी शर्म की बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो भाई महर्षि दयानन्द को मानते हैं उन्होंने मन्दिरों को इस्तेमाल किया, तो उनके लिये भी यह शर्म की बात थी।

इतना कहते हुए मैं एक बार सरकार से भी कहना चाहता हूं। जहां सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह कानून बनाये, वहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग गुरुद्वारों को भूख हड़ताल के लिये इस्तेमाल करके सरकार को डराना चाहते हैं, जो हिन्दुस्तान का संविधान बना, जिस संविधान के अन्दर रक्खा गया कि पंजाब एक है, वह द्विभाषी सूबा है, एक हिन्दी और रीजन और दूसरा पंजाबी रीजन, उसका खयाल न करके जो पंजाब को एक भाषी सूबा बनाना चाहते हैं, उनका भी हमें मुकाबला करना है। मुझे मालूम है कि आज लोग ४४ हजार आदमियों का दावा करते हैं गुरुद्वारों में बैठ कर और सरकार भी मानती है कि तीस हजार आदमी जेलों में गये, इसमें गुरुद्वारों का पैसा लगा और देश का वायुमण्डल और सूबे का वायुमण्डल खराब हुआ, हमें उन लोगों से दब कर नहीं चलना है। हमें पंजाब को आगे बढ़ाना है, हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना है और इस देश के अन्दर निरधर्मी सरकार स्थापित करना है, जैसा कि हम मानते हैं। मेरा निवेदन है कि अब वक्त आ गया है इसके लिये हम को कायदे कानून बनाने हैं और इस तरह की चीजों पर रोक लगाने के लिये जल्दी कानून बनाया जाय। सरहद्दी साहब की यह बात ठीक है, और मैं सरदार प्रतापसिंह कैरों की तारीफ करता हूं कि उन्होंने धार्मिक स्थानों में दखलअन्दाजी नहीं की। यह एक बहुत अच्छा सबूत था कि किस तरह से अच्छे ढंग से लोगों का मुकाबला किया जा सकता है।

इसके साथ ही साथ मैं तो उम्मीद करता था कि आज सरदार सरहदी १६ आने इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और बात का सबूत देंगे कि सरदार प्रतापसिंह कैरों की प्रेरणा का उनके लिए दिल पर असर हुआ है। पर मैंने देखा कि सरदार सरहदी पर उनकी प्रेरणा का असर नहीं हुआ। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि कायदे और कानून की बड़ी तेजी से जरूरत है और उनसे डरना भी नहीं चाहिए।

†**सभापति महोदय** : अब सभा कल के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होगी।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, २० फरवरी, १९६१/१फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१ / २८ माघ, १८८२ (शक)]

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — २७५—३०१

तारांकित
प्रश्न संख्या

८४	जासूसी गिरोह	२७३—८०
८५	सरकारी दफ्तरों में कार्य का समय	२८०—८२
८६	ततीय पंचवर्षीय योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता	२८२—८५
८७	यांत्रिक परिवहन गाड़ियों के पुर्जों की खरीद	२८६—८७
८८	पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा	२८८
८९	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान	२८८—८९
९०	अलीगढ़ विश्वविद्यालय जांच समिति	२८९—९४
९१	बरसुआ की लौह अयस्क की खानें	२९४—९५
९२	जैसलमेर में तेल की खोज	२९६—९७
९३	वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण	२९८—३०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर — ३०१—३६२

तारांकित
प्रश्न संख्या

८३	दिल्ली में मकानों की कमी	३०१—०२
९४	दिल्ली में विज्ञान संग्रहालय	३०२
९५	राजा रवि वर्मा के चित्र	३०२
९६	पट्रोलियम उत्पाद	३०३
९७	उत्तर प्रदेश को कोयले का संभरण	३०३
९८	इस्पात कारखानों के लिये चूने के पत्थर और डोलोमाइट का संभरण	३०४
९९	रूस से प्राप्त ऋण से चलायी जाने वाली परियोजनायें	३०५
१००	यूनाइटिड प्राविन्सिस कर्माशियल कारपोरेशन	३०५—०६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

सारांकित प्रश्न संख्या		
१०१	केन्द्रीय संस्कृत संस्था	३०६
१०२	भारत-पाक कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति सम्बन्धी मामले	३०६–०७
१०३	प्रविधिक विषयों पर सस्ती पुस्तकें	३०७
१०४	सोने का तस्कर व्यापार	३०७–०८
१०५	अध्यापक	३०८
१०६	केन्द्रपाड़ा में पालीटेकनीक	३०८–०९
१०७	अन्तर्राष्ट्रीय विकास सन्था से ऋण	३०९
१०८	नूनमती का तेल शोधक कारखाना	३०९–१०
१०९	आसवान बांध क्षेत्र में पुरातत्वीय खुदाई	३१०
११०	जूते तैयार करने का कारखाना	३१०–११
१११	रूरकेला इस्पात	३११
११२	सीमान्त सड़कें	३११
११३	दिल्ली में नगरीय पंचायतें	३१२
११४	जीवन बीमा पालिसी जारी करना	३१२
११५	तीसरा वित्त आयोग	३१२–१३
११६	भिलाई इस्पात संयंत्र	३१३
११७	मुद्रा का तस्कर व्यापार	३१३
११८	ग्राम्य बीमा योजना	३१३–१४
११९	गृह-रक्षक	३१४
१२०	निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता	३१४
१२१	रुद्र सागर में तेल निक्षेप	३१५
१२२	श्रीमती एलन राय हत्या कांड	३१५–१६
१२३	लौह अयस्क का उपयोग	३१६
१२४	टैंकों का निर्माण	३१६–१७
१२५	शस्त्र नियम	३१७
१२६	ह्विटले कौंसिल	३१७–३१८
१२७	सुई गैस	३१८
१२८	होमगार्ड	३८१
१२९	बोकारो तथा रानीगंज क्षेत्र	३१९

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या

१३०	नवाब भोपाल का उत्तराधिकारी	३१६
१३१	यूनेस्को के साथ सहयोग सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय आयोग	३१६–२०
१३२	उर्वरक कारखाने के लिये विकास ऋण निधि से ऋण	३२०
१३३	निवेली संयंत्र	३२०–२१
१३४	धातु मिश्रित तथा औजारी इस्पात संयंत्र	३२१
१३५	जम्मू तथा काश्मीर का खनन सर्वेक्षण	३२१–२२
१३६	उत्तर प्रदेश में तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम	३२२
१३७	काश्मीर में विमान दुर्घटना	३२२
१३८	इंडिया आफिस लाइब्रेरी	३२३
१३९	अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा	३२३
१४०	एक टन वाले ट्रकों का निर्माण	३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या

१६४	मिनीकाय और लक्कादीव द्वीप	३२४
१६५	दिल्ली में अपहरण के मामले	३२४
१६६	आंध्र प्रदेश पर बकाया ऋण	३२५
१६७	मत्स्यपालन, कृषि तथा भूगर्भशास्त्र में स्नातक उपाधि	३२५
१६८	विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान	३२५–२६
१६९	रबड़ औद्योगिकी	३२६
१७०	सरकारी उपक्रमों में सरकारी पदाधिकारी	३२६
१७१	मराठी भाषा का विकास	३२७
१७२	महाराष्ट्र में पुरातत्वीय खुदाई	३२७
१७३	परली-बैजनाथ में अयस्क विक्षेप	३२७
१७४	मनीपुर और त्रिपुरा के लिये लौह की चादरों का संभरण	३२७–२८
१७५	बिहार के लिये लोहा और इस्पात का संभरण	३२८
१७६	तम्बाकू का उत्पादन	३२९
१७७	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को वित्तीय सहायता	३२९–३०
१७८	इस्पात संयंत्र	३३०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७९	उड़ीसा में राजनैतिक पीड़ित . .	३३१
१८०	तार का वितरण	३३१-३२
१८१	लोक सहायक सेना	३३२
१८२	पंजाब में केन्द्रीय "बाद की देखभाल" गृह	३३२-३३
१८३	विद्यार्थियों में अन्तर्राज्यीय भावना की वृद्धि	३३३
१८४	अंदमान और निकोबार में अन्तरद्वीपीय संचार के लिए जहाज	३३३
१८५	सरकारी कर्मचारी . .	३३३
१८६	पोर्ट ब्लेयर में लड़कियों का स्कूल .	३३३-३४
१८७	रौस द्वीप (पोर्ट ब्लेयर) में नारियल के बागान	३३४
१८८	फिल्म वित्त निगम . .	३३४
१८९	मनीपुर और त्रिपुरा में बच्चों की शिक्षा	३३४-३५
१९०	हिन्दी शिक्षक	३३५
१९१	हिन्दी शब्दावली .	३३५-३६
१९२	टीन की प्लेटों का आयात .	३३६
१९३	तीसरी योजना के लिये विदेशी सहायता	३३६
१९४	गुरुद्वारा शीशगंज .	३३७
१९५	सौ रुपये के नये नोट .	१३७
१९६	मोगा के निकट विमान दुर्घटना .	१३७
१९७	विदेश जाने वाले विद्यार्थी . .	१३८
१९८	पुरातत्वीय विभाग का उत्तर–पश्चिम सर्किल	३३८
१९९	ईसाई धर्म के प्रसार के लिये विदेशों से सहायता	३३८
२००	विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन	३३८-३९
२०१	पाकिस्तानी नागरिक . .	३३९
२०२	प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारी .	९३९
२०३	नागा विद्रोहियों द्वारा जनसंख्या प्रगणक पर हमला	३४०
२०४	भारत सरकार के तीसरी श्रेणी के कर्मचारी	३४०
२०५	रत्नगिर में संग्रहालय .	३४१
२०६	'सेवक' पत्रिका को वित्तीय सहायता	३४१
२०७	उड़ीसा में अस्पृश्यता निवारण	३४१-४२

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०८	यौगिक आसन	३४२
२०९	'आनन्द बाजार पत्रिका' द्वारा जीवन बीमा निगम के ऋणों का भुगतान	३४२
२१०	तलाक के मामले	३४३
२११	जामा मस्जिद दिल्ली	३४३
२१२	छावनियों में खेती योग्य भूमि	३४३–४४
२१३	सीमान्त सड़कें	३४४
२१४	सरकारी कर्मचारी	३४४
२१५	ग्रामीण उच्च शिक्षा	३४५–४६
२१६	उड़ीसा में अनुसूचित आदिमजातियां	३४६
२१७	केरल में मध्य कालीन निर्वाचन	३४६
२१८	उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण	३४६–४७
२१९	संयुक्त राज्य अमरीका से गैर सरकारी पूंजी विनियोजन	३४७–४८
२२०	उड़ीसा राज्य संग्रहालय	३४८
२२१	डाकल विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक अनुसन्धान	३४८
२२२	मूसा बाग महल, लखनऊ	३४८
२२३	इस्पात संयंत्रों को कोयले का संभरण	३४९
२२४	पांडिचेरी प्रशासन के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा	३४९–५०
२२५	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों द्वारा चुकाये जाने वाला ब्याज	३५०
२२६	रूपड़ में प्राप्त चीजें	३५०–५१
२२७	अगरतला नगरपालिका का निर्वाचन	३५१
२२८	त्रिपुरा में आंधी से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता	३५१–५२
२२९	केरल में प्राथमिक शिक्षा	३५२
२३०	रिजर्व बैंक के केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्ड	३५२
२३१	राज्य सम्बद्ध बैंकों का विलय	३५२–५३
२३२	एकक न्यास	३५३
२३३	दिल्ली में स्कूलों के बच्चों को जल-पान	३५३
२३४	भारत में ब्रिटिश और अमरीकी विनियोजन	३५३–५४
२३५	पालम पर उतरने के प्रमाण पत्र	३५४

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३६	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में मितव्ययता	३५५
२३७	इस्पात उद्योग में प्रशिक्षण	३५५
२३८	जीवन बीमा निगम का व्यापार	३५५–५६
२३९	शिक्षण संस्थाओं में निर्माण कार्य परियोजनायें	३५६
२४०	फतेहपुर सीकरी में प्राप्त पाषाण युग के अवशेष	३५६–५७
२४१	असिस्टेंटों के वेतन स्तर	३५७
२४२	मनीपुर में मृत्यु दंड	३५७
२४३	इस्पात संयंत्रों में कर्मचारी	३५७–५८
२४४	रेह	३५८
२४५	पेंशनरों की मांगें	३५८–५९
२४६	बैंकों का शोध विलम्ब काल	३५९
२४७	प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन	३५९–६०
२४८	आयुध कारखाने	३६०–६१
२४९	प्रभाकर बैंक लिमिटेड का समापन	३६१
२५०	मितव्ययता कार्यक्रम	३६१
२५१	माल-डिब्बे	३६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३६३–६४

(१) दूसरी लोक सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक एक प्रति :—

(एक)	अनुपूरक विवरण संख्या १	बारहवां सत्र, १९६०
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या ५	ग्यारहवां सत्र, १९६०
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या १०	दसवां सत्र, १९६०
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या १३	नवां सत्र, १९५९
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या १५	आठवां सत्र, १९५९
(छै)	अनुपूरक विवरण संख्या २२	सातवां सत्र, १९५९
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या ३४	चौथा सत्र, १९५८

(२) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रतिः—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४१३ ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४१४ ।

(४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १८ के अन्तर्गत अप्रैल, १९५९ से मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(५) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाली अवधि के लिये भारत के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे सहित (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३६४

एक सौ पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . . . ३६४

प्रसूति लाभ विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३६५

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने हिन्दी विश्वकोष के बारे में २१ नवम्बर, १९६० को सर्वश्री बहादुर सिंह और म० ला० द्विवेदी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के अनुपूरक प्रश्नों की शुद्धि के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन—स्वीकृत ३६५

इकसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

विषय	पृष्ठ
समिति के लिए निर्वाचन	३६६
वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) ने प्रस्ताव किया कि मानव विज्ञान बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये लोक सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों का निर्वाचन किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
विधेयक—विचाराधीन	३६६—८७
द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा और विधेयक पर जनमत जानने के लिये उसे परिचालित करने के संशोधन पर चर्चा जारी रही। संशोधन अस्वीकृत हुआ और विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार आरम्भ हुआ और चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी का प्रतिवेदन—स्वीकृत .	३८७—८८
छियत्तरवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत	३८८—९४
श्री वारियर द्वारा १६ दिसम्बर, १९६० की प्रस्तावित कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाने संबंधी संकल्प पर चर्चा प्रारम्भ हुई। श्री वारियर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। संकल्प अस्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . .	३९५—४०६
श्री परूलकर ने धार्मिक पूजा स्थलों को राजनैतिक प्रचार के लिये उपयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	

सोमवार २० फरवरी, १९६१/१ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक पर और आगे खंडवार चर्चा और उस का पारित किया जाना; और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

GIPND—LSIII—1940 (Ai) LS—15-3-61—125.